बृहस्पतिवार,
२७ अगस्त, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

बृहस्पतिवार, २७ अगस्त, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विस्थापित व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये ऋण

*८५०. **प्रो० डी० सी० शर्मा:** क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५२-५३ में भारत सरकार द्वारा पंजाब, पैप्सू तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों को इन राज्यों में पुनर्वासित हुए विस्थापित व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए ऋण देने के हेतु स्वीकृत की गई धन राशि; तथा

(ख) उन ऋणों की सहायता से उन राज्यों में बनाये गये मकानों तथा कुटीरों की संख्या ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) और (ख). सन् १९५२-५३ में पंजाब सरकार को २० लाख रुपये की रक़म विस्थापित व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए दिये जाने वाले ऋणों के हेतु दी गई थी। इस के अतिरिक्त, राज्य सरकार के पास सन् १९५१-५२ की इसी मद में से बची हुई ९.१० लाख रुपये की रक़म भी थी। २९.१० लाख रुपये की रकम में से राज्य सरकार ने २८.८८ लाख रुपये के ऋण ७७९ विस्थापित व्यक्तियों को दिये हैं। ऋण पाने वालों में से ५०० व्यक्तियों ने या तो मकान बना लिये हैं या अभी बना रहे हैं, शेष २७९ के द्वारा शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की प्रत्याशा है।

हिमाचल प्रदेश और पैप्सू को सन् १९५२-५३ में कोई ऋण नहीं दिये गये थे।

प्रो० डी० सी० शर्मा: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या गृह निर्माण कार्यों के लिये ऋण देने के हेतु पैप्सू सरकार की ओर से ऐसी कोई मांग की गई थी ?

श्री ए० पी० जैन: जहां तक मुझे ज्ञात है, ऐसी कोई मांग नहीं की गई थी।

प्रो० डी० सी० शर्मा: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि पंजाब तथा पैप्सू राज्यों में गृह निर्माण सम्बन्धी जो कार्यवाहियां की जा रही हैं क्या वह जनता की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त हैं ? जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है वह बहुत अपर्याप्त हैं तथा और अधिक ऋणों के दिये जाने की आवश्यकता है।

श्री ए० पी० जैन: एक दम अपर्याप्त।

कुमारी एनी मस्करीन: मैं ज्ञात कर सकती हूं कि यह ऋण किन शर्तों पर दिये

गये हैं, क्या उन की वसूली के कोई उपबन्ध किये गये हैं और यदि हां तो कितनी क़िस्तों में ?

श्री ए० पी० जैन : मकान बनाने के लिये जो ऋण दिये जाते हैं वह सामान्यतः इस आधार पर दिये जाते हैं कि ५००० रुपये तक के ऋण में ऋण लेने वाला स्वयं २५ प्रतिशत दे और सरकार शेष ७५ प्रतिशत ऋण देती है । इस में थोड़ा बहुत विभेद हो सकता है । प्रति व्यक्ति जो अधिकतम ऋण दिया जा सकता है उस की रक़म ५००० रुपये है । यह ऋण क़िस्तों में वसूल किये जाते हैं । सामान्यतः थोड़े दिनों तक : एक या दो वर्ष तक कोई वसूली नहीं होती है । इस के पश्चात् ऋण को ६ से १० वर्ष तक में वापस देना होता है और उसे क़िस्तों में वसूल किया जाता है । उन पर सामान्यतः ३ १/२ प्रतिशत ब्याज लिया जाता है । परन्तु हाल ही में इस दर को ऋण लेने की दरों में वृद्धि हो जाने के कारण ४ १/४ कर दिया गया है ।

श्री टी० के० चौधरी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ऋणों में क्या नगरीय तथा देहाती गृह निर्माण योजनाओं जैसा कोई विभेद किया गया है और पश्चिमी बंगाल में रह रहे पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ऋणों की तुलना में इन ऋणों की रक़म कितनी है ?

श्री ए० पी० जैन : निस्सन्देह, नगरीय तथा देहाती गृह निर्माण के लिये दिये गये ऋणों की रक़मों में अन्तर है । नगरीय ऋण सामान्यतः अधिक रक़म के होते हैं । यही बात पूर्व में है और यही पश्चिम में है । सामान्यतः पूर्व तथा पश्चिम दोनों में एक सी ही नीति का पालन किया जा रहा है ।

श्री टी० के० चौधरी : मैं तो पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ऋणों की रक़म तथा पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ऋणों की रक़म जानना चाहता था ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक व्यक्ति को ?

श्री टी० के० चौधरी : प्रत्येक ऋण पाने वाले को ।

श्री ए० पी० जैन : जहां तक प्रत्येक व्यक्ति का सम्बन्ध है, ऋण की रक़म भिन्न भिन्न है क्योंकि ऋण मिलने के साथ ही साथ उन को कुछ भाग अपने पास से देना होता है और कुछ भाग सरकार देती है । कोई व्यक्ति ३,००० रुपये की लागत का मकान बनाना ही पसन्द करे । वह इस रक़म का कुछ भाग देता है और कुछ भाग हम दे देते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यक्तिगत मामलों में ?

श्री ए० पी० जैन : दोनों ओर सिद्धान्त एक ही है ।

श्री मुनिस्वामी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह विस्थापित व्यक्ति किन्हीं अन्य राज्यों में भी बसे हैं और क्या उन राज्यों को अनुदान दिये गये हैं ?

श्री ए० पी० जैन : वह सारे भारत भर में बसे हैं और इसी आधार तथा इसी सिद्धान्त के अनुसार समस्त भारत में अनुदान दिये गये हैं ।

श्री गिडवानी : क्या यह तथ्य है कि इन्दौर की जैरामपुर गृह निर्माण बस्ती का एक शिष्टमंडल उन की बस्ती को ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में मंत्री महोदय से मिला था और उन्होंने उन के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का वायदा किया है ?

कुछ माननीय सदस्य : यह तो सूचना देना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां; श्री मुनिस्वामी ।

श्री गिडवानी: मेरे प्रश्न का क्या उत्तर रहा ?

उपाध्यक्ष महोदय: कोई उत्तर नहीं है।

श्री मुनिस्वामी: क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री मद्रास राज्य को भेजे गये विस्थापित व्यक्तियों की सम्पूर्ण संख्या तथा उस राज्य को दिये गये अनुदान की रक़म को बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री ए० पी० जैन: प्रश्न पंजाब के सम्बंध में है। सभी विभिन्न राज्यों के आंकड़ों को लिये फिरने की आशा मुझ से नहीं की जा सकती है।

श्री एम० आर० कृष्ण: क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि गृह निर्माण के लिए विस्थापित व्यक्तियों को दी जाने वाली धन राशि में से क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए गृह निर्माण के हेतु कोई पर्याप्त धनराशि अलग रख दी गई है ?

श्री ए० पी० जैन: विस्थापित अनुसूचित जाति वालों को अन्य विस्थापित व्यक्तियों के समतुल्य ही समझा जाता है। इस के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों के विस्थापित व्यक्तियों को कुछ विशेष सुविधायें तथा विशेष ऋण दिये गये हैं।

श्री टी० के० चौधरी: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि पूर्वी पंजाब तथा इस प्रश्न में निर्दिष्ट अन्य राज्यों में बसे विस्थापित व्यक्तियों के लिए ऋण की अधिकतम रक़म ५,००० रुपये है तथा पश्चिमी बंगाल में बसे विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ऋणों की अधिकतम रक़म १,२५० रुपया है ?

श्री पी० एन० राजभोज: मैं यह पूछना चाहता हूं कि लोन्स (ऋण) जो दिये गये हैं वह किन किन सूबों में और शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को खास कर बंगाल में और पंजाब में कितने कितने दिये गये हैं ?

श्री ए० पी० जैन: इस के लिए अगर आप अलग सवाल दें तो मैं सारे के सारे आंकड़े इकट्ठे कर दूंगा।

लाला अचिन्त राम: क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जो हाउस बिल्डिंग का प्रोग्राम पंजाब और पैप्सू के लिए रखा गया है उस में किस हद तक कंजेशन (भीड़भाड़) दूर हो जायेगा ?

श्री ए० पी० जैन: बहुत दूर तक।

प्रो० डी० सी० शर्मा: माननीय मंत्री ने जो स्पष्ट आश्वासन दिया है उस से यह विचार उत्पन्न हो सकता है कि विस्थापित व्यक्तियों के लिये पंजाब तथा अन्य राज्यों में कोई मकानों की कमी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इन राज्यों के देहाती तथा नगरीय क्षेत्रों में कितने मकान बनाये गये हैं ?

श्री ए० पी० जैन: यदि किसी प्रश्न की सूचना दी जाये, तो मैं उस प्रश्न का उत्तर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री के पास वह सूचना नहीं है। अगला प्रश्न, संख्या ८५२।

एक माननीय सदस्य: प्रश्न संख्या ८५१ का क्या रहा ?

उपाध्यक्ष महोदय: उसे १ सितम्बर के लिए बदल दिया गया है।

ग्राम विकास योजनाओं में कुटीर उद्योग

*८५२. **श्री दाभो:** क्या योजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या किन्हीं भी ग्राम विकास योजनाओं में कोई भी कुटीर उद्योग चलाये जा रहे हैं; तथा

(ख) यदि हैं, तो इन किन कुटीर उद्योगों को इन केन्द्रों में चलाया जा रहा है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां ।

(ख) यह विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न हैं । एक प्रतिनिधित सूची सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३२]**

श्री दाभी: क्या मैं सूची में दिये गये विभिन्न कुटीर उद्योगों और विशेष कर खादी उद्योग में लगे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकता हूं ?

श्री हाथी: मेरे पास प्रत्येक गुट की सूचना है । उन सब के एकीकृत आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । यदि माननीय सदस्य किसी प्रथक प्रश्न की सूचना दें, तो मैं एकीकृत संख्या बता दूंगा ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि ग्रेम विकास योजनाओं में जिन कुटीर उद्योगों को लिया गया है, वह वही हैं जो कि योजना आयोग की रिपोर्ट में दी हुई हैं अथवा वह इन क्षेत्रों में विभिन्न संभाव्नाओं की जांच करते हैं और तदनुसार उन को विकसित करते हैं?

श्री हाथी: सामान्यत: इन उद्योगों को कच्चे माल की उपलब्धता, सामान बेचने की संभावनायें इत्यादि सम्बन्धी स्थिति का स्थानीय अध्ययन करने के बाद, प्रारम्भ किया जाता है ।

श्री दाभी: इस सूची में, एक कुटीर उद्योग बुनाई भी दिया हुआ है । क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि बुनाई में मिल के सूत से बुने गये खड्डी कपड़े को भी क्या शामिल किया गया है ? क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या खादी उद्योग किन्हीं अन्य केन्द्रों पर चलाया जा रहा है, उन केन्द्रों के नाम तथा वह सहायता जो खादी तथा अन्य उद्योगों को दी जा रही है ?

श्री हाथी: बुनाई में दोनों आ जाते हैं, खड्डी तथा खादी । खादी के लिये भी सहायता दी जाती है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी: क्या हमें इन उद्योगों में लगे व्यक्तियों की संख्या तथा उन के द्वारा किये गये उत्पादन के मूल्य का कोई अनुमान प्राप्त हो सकता है ?

श्री हाथी: मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि मेरे पास प्रत्येक के, जैसे कर्मचारियों की संख्या, होने वाली आय तथा इन वस्तुओं के बेचने के प्रबन्धों के सम्बन्ध में सूचना है ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या ग्राम विकास योजना प्रशासन की गतिविधियों तथा विभिन्न सरकारों के उद्योग विभागों तथा अखिल भारतीय चरखा संघ जैसी असरकारी संस्थाओं की गतिविधियों को सहयोजित करने के कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री हाथी: सामान्यत: जब कभी किसी कुटीर उद्योग को ग्राम विकास योजना प्रशासन को भेजा जाता है तो उन कों छान बीन के लिए राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है । इस प्रकार राज्य सरकारों में तथा अन्य संस्थाओं से भी सहयोजन होता है ।

पंडित सी० एन० मालवीय: इन कम्युनिटी प्रोजैक्ट एरियाज़ में जो काटेज इंडस्ट्रीज़ हैं इन में जो सामान उत्पादित किया जाता है उस के विपणन का क्या प्रबन्ध है ? क्या जो सामान बनता है उसे सरकार ख़रीद लेती है ?

श्री हाथी: कुछ राज्यों में सरकारी वाणिज्यालय हैं जो कि इन वस्तुओं की बिक्री का प्रबन्ध करते हैं । अन्य राज्यों में सहयोग समितियां हैं ।

श्री अच्युतन: क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या त्रावनकोर-कोचीन के ग्राम विकास योजना क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को इस कारण प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि वहां सड़कों तथा कुओं की कोई समस्या नहीं है, और क्या मैं यह भी ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई आदेश दिये गये हैं ?

श्री हाथी: मुझे इस की पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री पी० एन० राजभोज: मैं यह जानना चाहता हूं कि किन किन सोशल वलफ़ेयर आर्गेनाइज़ेशन्स (समाज कल्याण संस्थाओं) को अब तक इस रुपये से सहायता दी गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न कुटीर उद्योगों तथा ग्राम विकास योजनाओं के सम्बन्ध में है।

श्री हेडा: क्या सरकार कुछ कुटीर उद्योगों को कुछ क्षेत्रों विशेष में केन्द्रित कर देना चाहती है जिस से कि उन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने तथा साथ ही उन के बनाये माल के विक्रय के सम्बन्ध में अधिक उत्तम प्रबन्ध किये जा सकें ?

श्री हाथी: जहां तक ग्राम विकास योजना प्रशासन का प्रश्न है वह अपनी गतिविधियों को केवल ग्राम विकास योजना केन्द्रों तक ही सीमित कर सकता है ।

लाला अचित राम: कम्युनिटी प्रौजैक्ट एरियाज़ के अन्दर जो काटेज इंडस्ट्रीज़ (कुटीर उद्योग) चलाई गई हैं, आप की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कामयाबी से चल रही हैं ?

श्री हाथी: मैं ने विवरण में सूची दे दी है । उन में से अधिकांश सन्तोषजनक रीति से कार्य कर रही हैं ।

श्री एन० सोमना: क्या उद्योगों को कोई सरकारी सहायता दी जा रही है ।

श्री हाथी: जी हां ।

श्री दाभी: क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इन में किसी भी केन्द्र में हाथ से कताई और हाथ से बुनाई की जा रही है ?

श्री हाथी: मैं इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुका हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हों ने कहा था दोनों ।

पाकिस्तानी आक्रमणकारियों द्वारा जानवरों का उठा ले जाना

*८५३. **सरदार ए० एस० सहगल:** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि मालडा में पाकिस्तान सीमा से मिले हुए भक्तियार बील में पाकिस्तान पुलिस की सहायता से पाकिस्तानी आक्रमणकारियों द्वारा लगभग २०० जानवर जबर्दस्ती उठा लिये गये थे ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि ये जानवर कलियाचक पुलिस चौकी के अन्तर्गत ग्राम चकलाऊ के निवासियों के थे ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) और (ख), २२ मई, १९५३ को कुछ सशस्त्र पाकिस्तानी भारतीय सीमा के भक्तियार बील नामक स्थान में आ घुसे और चकलालू गांव के कई निवासियों के १९२ जानवरों को पाकिस्तान में भगा ले गये । सीमा के दो पाकिस्तानी सिपाहियों ने आक्रमणकारियों की सहायता की ।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या प्रधान मंत्री के पाकिस्तान जाने के उपरान्त ऐसी कोई घटना घटी गई अथवा नहीं ?

श्री अनिल के० चन्दा: मेरे पास केवल ३० जून तक के आंकड़े हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): यह बिल्कुल स्थानीय बात है। साधारणतया समाज विरोधी व्यक्ति ही चोरी और चौर्यानयन के ऐसे कृत्य किया करते हैं।

श्रीमती ए० काले : क्या मैं जान सकती हूं कि इन आक्रमणकारियों को दण्ड देने के लिये अथवा उन के द्वारा ले जाये जानवरों को वापिस लेने के लिये क्या कुछ किया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा: हम दूसरे देशों के राष्ट्रजनों को दण्ड नहीं दे सकते, परन्तु भारत-पाकिस्तान करार के अनुसार सीमा की ऐसी घटनाएं सीमा के दोनों ओर के जिला दण्डाधीशों द्वारा विचारी जाती हैं। इस मामले में पश्चिमी बंगाल सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान सरकार से अनुरोध किया है। कल तक इस के बारे में हमारे पास उन का कोई उत्तर नहीं आया है।

श्री एन० सोमना: क्या मैं जान सकता हूं कि इस वर्ष जानवरों के उठाये जाने की ऐसी कितनी घटनायें हो चुकी हैं, और किन दिशाओं में ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या ऐसी घटनाएं पश्चिम की ओर भी हुई हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा: श्रीमान जी, ३० जून तक हमारी सीमा के दूसरी ओर से ऐसी १२ घटनाएं हो चुकी हैं जिन में ३६ घटनाएं जानवरों के उठाए जाने के सम्बन्ध में हैं और ७५५ जानवर चुराये गये हैं। इस ओर से ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

श्री जी० पी० सिन्हा: प्रधान मंत्री ने अभी जो कुछ कहा कि यह स्थानीय घटना है, इस बात के दृष्टिकोण से क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह आक्रमण समाजी विरोधी तत्वों द्वारा किया गया था और क्या ऐसा आक्रमण कभी भारतीयों द्वारा भी किया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा: मुझे इस प्रश्न के लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री सारंगधर दास: उपमंत्री के वक्तव्य की दृष्टि से कि दो सिपाहियों ने आक्रमणकारियों की सहायता की, क्या यह समाज विरोधी बात से बड़ी बात नहीं है ? और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या इस मामले में लगे हुए सिपाहियों की बात के लिये पाकिस्तान सरकार से कोई विरोध किया गया था ?

श्री अनिल के० चन्दा: दोनों सिपाही हमारी सीमा के अन्दर नहीं आये। वे सीमा के दूसरी ओर ही रहे।

पाकिस्तान में आज्ञापत्र प्राप्त किये बिना रहने वाले भारतीय नागरिक

*८५४. **सरदार ए० एस० सहगल:** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि भावलपुर पुलिस द्वारा मई १९५३ में ४३ भारतीय नागरिक पाकिस्तान में आज्ञा पत्र प्राप्त किये बिना घुसने में घेर लिये गये थे।

(ख) क्या ये ४३ भारतीय नागरिक अब भी वहीं हैं या छोड़ दिये गए हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) और (ख). भारत सरकार को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है।

सिन्दरी कारखाने में अमोनियम सल्फेट का स्टाक

*८५५. **श्री के० पी० सिन्हा:** (क) क्या **उत्पादन** मंत्री सिंदरी कारखाने में अप्रैल, मई तथा जून, १९५३ माहों के अमोनियम सल्फेट के स्टाक की कुल मात्रा बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) यातायात की तंगी को दूर करने के लिये क्या पग उठाए गए थे ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) सिंदरी फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में अप्रैल, मई तथा जून, १९५३ में अमोनियम सल्फेट के स्टाक की मात्रा क्रमशः ७५,३६४ टन, ६१,६४५ टन तथा ४३,३१९ टन थी ।

(ख) कारखाने ने एक यातायात पदाधिकारी को योजना बनाने, सहयोग करने तथा भेजे जाने वाले माल की देख-रेख रेल अधिकारियों के परामर्श से करने के लिये नियुक्त किया है । इस के परिणामस्वरूप अब यातायात में कोई कठिनाई नहीं है और उर्वरक आसानी से निकल जाता है ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या मैं पिछले मई तथा जून की उत्पादित मात्रा जान सकता हूं?

श्री के० सी० रेड्डी : जून में उत्पादन १८,५४८ टन था । मई में···

श्री के० पी० सिन्हा : १००० टन दैनिक उत्पादन क्यों नहीं हो सका ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस का एक विशेष कारण था । संयंत्र के कुछ भागों में जून में खराबी हो गई थी और उन की मरम्मत करानी थी तथा ठीक प्रकार से पुनः कार्य करने योग्य बनाना था । लगभग दस दिन तक उत्पादन पर बड़ा प्रभाव पड़ा जिस के कारण जून के उत्पादन में अन्य महीनों की तुलना में कमी रही । लक्ष्य १,००० टन के विषय में जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा निर्देश किया गया है, मैं दूसरे अवसर पर पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि अब दैनिक औसत उत्पादन लगभग ८०० टन है और व्यवस्थापकों द्वारा इसे लगभग ९०० टन दैनिक तक पहुंचाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जा रहा है कि उन प्रान्तों में जहां ऋण पर माल भेजा जाता है और किसान उर्वरकों के अपेक्षतः अधिक महंगे होने के कारण ऋण करने के इच्छुक नहीं हैं, स्टाक जमा होता जा रहा है ।

श्री के० सी० रेड्डी : माननीय सदस्य ने एक स्थिति का निर्देश किया है जो कुछ माह पूर्व विद्यमान थी । अब स्थिति सुधर गई है । उर्वरक का मूल्य, जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात होगा, जनवरी १९५३ से ३६५ रु० से घटा कर २९० रु० कर दिया गया है । स्टाकों के सम्बन्ध में भी, जहां मुझे ज्ञात है जैसे कि वे राज्यों में इस वर्ष १९५२-५३ में थे, उस से कम रह गए हैं और अब उतने अधिक नहीं रह गये हैं जैसे कि जनवरी के आरम्भ में थे । राज्यों द्वारा प्रत्येक कार्यवाही की जा रही है और भारत सरकार के खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा, जो अब विक्रय व्यवस्था का इन्चार्ज है, राज्यों को इन स्टाकों को उपभोक्ताओं तथा कृषकों के लिये नियत करने के लिये कहने तथा इस के लिये प्रयत्न करने कि ये स्टाक समाप्त हो जाएं और कारखाने से अधिकाधिक सल्फेट निकल जाए, इस के लिए लगातार दबाव डाला जा रहा है ।

भारतीय कला-कौशल प्रदर्शनियां

*८५६. **श्री राधा रमण** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री वर्ष १९५२-५३ में विदेशों में संगठित की गई भारतीय कला-कौशल प्रदर्शनियों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) किन संस्थाओं ने उन को संगठित किया ?

(ग) उन में से कितनी केवल अधिक गहरे सांस्कृतिक सम्बन्ध बनाने के लिये तथा कितनी अपनी वस्तुओं की बिक्री के लिये संगठित की गई थीं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) इकतालीस ।

(ख) और (ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा है **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३३]**

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि उन देशों द्वारा, जिन में ये प्रदर्शनियां संगठित की गई थीं, कोई विशेष सुविधायें प्रदान की गई थीं ?

श्री करमरकर : अवश्य ही । हम लोग उन के निमंत्रण पर वहां गए थे और सभी सम्भव सुविधायें दी गई थी ।

श्री राधा रमण : क्या मंत्री महोदय कृपा कर के हम को बतलाएंगे कि कुल लागत कितनी लगी तथा कितने की बिक्री हुई ?

श्री करमरकर : मुझे सन्देह है मैं इन प्रदर्शनियों की कुल लागत नहीं बता सकता । बिक्री के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि नार्वे की ओस्लो प्रदर्शनी और इटली में मिलान के मेले में ७५ प्रतिशत से कम प्रदर्शनी की वस्तुओं की बिक्री नहीं हुई थी । मैं बेची गई वस्तुओं का मूल्य नहीं बता सकता ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं, श्रीमान्, कि रूस में आयोजित कला-प्रदर्शनी अन्य यूरोपीय देशों में भी ले जाई जा रही है ? यदि ऐसा है, तो भविष्य में किन-किन देशों में यह प्रदर्शनी जायगी ?

श्री करमरकर : इस समय इस सम्बन्ध में मुझे कोई सूचना नहीं है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान्, क्या मैं लन्दन में राज्याभिषेक पर होने वाली प्रदर्शनी पर व्यय की गई धनराशि जान सकता हूं ?

श्री करमरकर : मेरे पास इस समय उस के आंकड़े नहीं हैं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं भारत सरकार का इन प्रदर्शनियों के कारण किया गया कुल व्यय तथा बिक्री के रूप में आठ प्रदर्शनियों से प्राप्त होने वाली राशि, जिन में भारत ने वाणिज्य संबंधी तथा प्रचार कार्यों के लिये भाग लिया था, जान सकता हूं ?

श्री करमरकर : प्रश्न के प्रथम भाग के सम्बन्ध में इन प्रदर्शनियों के लिये आय-व्ययक में, १७,३२,७५० रुपये की व्यवस्था है ।

श्री वी० पी० नायर : आयव्ययक में तो व्यवस्था है । मैं वास्तविक व्यय जानना चाहता था ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या १९५२-५३ का वास्तविक व्यय निकाला जा चुका है ?

श्री करमरकर : इस समय मेरे पास निश्चित सूचना नहीं है ।

श्री बन्सल : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रदर्शनियों के द्वारा इन वस्तुओं को विदेशों में लोकप्रियता प्राप्त होने में सहायता मिली है ?

श्री करमरकर : मेरे माननीय मित्र जानते हैं कि ये प्रदर्शनियां सहायता अवश्य करती हैं ।

श्री बंसल : यदि ऐसा है, तो भारत सरकार ने यह देखने के लिये कि विदेशों में इन वस्तुओं की नियमित पूर्ति उपलब्ध होती है, क्या कार्यवाहियां की हैं ?

श्री करमरकर : हम यथाशक्ति प्रयास कर रहे हैं, किन्तु मेरे माननीय मित्र की संस्था पर भी इस मामले में कुछ उत्तर-दायित्व है ?

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इन प्रदर्शनियों के प्रबन्धकों ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, और क्या वह पुस्तकालय अथवा अन्य कहीं उपलब्ध हो सकता है ?

श्री करमरकर: जहां तक कार्य का सम्बन्ध है, हमारे प्रदर्शनी पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। मुझे निश्चय नहीं कि वह संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है अथवा नहीं।

श्री राधा रमण: क्या मंत्री महोदय इन प्रदर्शनियों के दर्शकों की संख्या के विषय में कुछ बताएंगे।

श्री करमरकर: मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान

*८५७. **श्री एम० आर० कृष्ण:** क्या निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३ में जिन द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों ने मकानों के लिये आवेदन पत्र दिये थे उन की संख्या कितनी है; तथा

(ख) १९५२-५३ में दिये गये मकानों की संख्या कितनी है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) तथा (ख)। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़ कर, सम्बद्ध सरकारी कर्मचारियों को मकान उन की सेवा की श्रेणी के आधार पर नहीं दिये जाते हैं, किन्तु वे उन के वेतन के अनुसार दिये जाते हैं। एक विवरण, जिस में प्रतिमास ५०० रुपये या इस से अधिक वेतन पाने वाले तथाप्रति मास ५०० रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३४]**

श्री एम० आर० कृष्ण: क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय कितने मकान बनाये जा रहे हैं और सरकार द्वितीय तथा ततीय श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को ये मकान कब तक दे देगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह: चालू वर्ष के लिये हमारा बिचार सरकारी कर्मचारियों के लिये चार टाइप के मकान बनाने का है :

"ए" तथा "बी" फ्लैट्स	२०
"सी"—२ फ्लैट्स	१४८
कनिष्ठ अधिकारियों के लिये मीना बाग फ्लैट्स	५२
विनय नगर टाइप	५४८

श्री गिडवानी: क्या यह सत्य है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिये जो विभिन्न बस्तियां बनाई हैं उन के नाम भिन्न प्रकार से रखे गये हैं—चपरासियों के लिये "सेवा नगर", क्लर्कों के लिये "विनय नगर", अधिकारियों के लिये "मान नगर" तथा बड़े अधिकारियों के लिये "शान नगर" ? क्या ऐसा करना वर्ग विहीन तथा जाति विहीन समाज, जिसे हम बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, के अनुकूल होगा ?

सरदार स्वर्ण सिंह: मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को मिथ्या धारणा है। इन नामों को रखने में किसी विन्त बात का विचार नहीं किया गया किन्तु इन बस्तियों के ये नाम तो सामान्य रूप से ही रख दिये गये हैं।

श्री गिडवानी: तो इन नामों का क्या महत्व है ?

उपाध्यक्ष महोदय: "सेवानगर" नाम सबसे अच्छा लगता है।

श्री मुनिस्वामी: मैं जान सकता हूं कि इन अधिकारियों को इन मकानों के देने में किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है ? क्या ऐसा प्राथमिकता के आधार पर अथवा उनकी पद स्थिति के आधार पर किया जाता है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : प्राथमिकता के आधार पर ।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री द्वारा सदन पटल पर रखे गये विवरण से यह पता लगता है कि ५०० रुपये या इससे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों को २५ से ३० प्रतिशत तक मकान दिये जा चुके हैं, जबकि ५०० रुपये से कम वेतन पाने वाले अधिकारियों को केवल ३ प्रतिशत तक मकान दिये गये हैं । क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : स्पष्टत: इसका कारण मकानों की कमी है । किन्तु जितने अधिकारियों को मकान दिये जा चुके हैं उनके सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जो स्थिति बतायी है वह ठीक नहीं है । उस मामले में भी वास्तविकता यह है कि ५०० रुपये या इससे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों की ज़रूरतों को ६२ प्रतिशत तक पूरा किया गया है, जब कि ५०० रुपये से कम वेतन पाने वाले अधिकारियों की ज़रूरतों को लगभग ३१ प्रतिशत तक पूरा किया गया है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सत्य है कि जो मकान विशेष रूप से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये ही बनाये जाते हैं, वे प्राय: उच्चतर श्रेणी के कर्मचारियों को दे दिये जाते हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जी नहीं, ऐसी बात नहीं है ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं कि ५०० रूपये से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिये मकान बनाने में तथा ५०० रुपये से कम वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिये मकान बनाने में कितनी कितनी राशि व्यय की गई ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इनकी भिन्न भिन्न श्रेणियां हैं । यदि माननीय सदस्य एक अलग प्रश्न पूछें, तो मैं ये आंकड़े एकत्रित कर लूंगा ।

श्री पुन्नूस : कुल व्यय ।

सरदार स्वर्ण सिंह : यह आय व्ययक में दिया हुआ है ।

श्री भक्त दर्शन: क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि सेवानगर में अभी तक बिजली का प्रबन्ध नहीं किया गया है ? क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की जा रही है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे इस की पूर्व सूचना चाहिये । मैं नहीं बता सकता कि किस बस्ती में बिजली है और किस में नहीं ।

श्री हेडा : जो चौथी श्रेणी के सरकारी नौकर हैं, उन सब को मकान मिल जांय इस तरह मकान बनाने का क्या कोई प्रोग्राम है ? अगर है तो कब तक उनको मकान मिल जाने की उम्मीद हो सकती है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : उम्मीद तो एक ही तरह से हो सकती है कि मकान बनाए जायं और हर साल मकान बनाये जा रहे हैं । मगर गवर्नमेंट का कांम भी बढ़ रहा है और अफ़सर भी बढ़ रहे हैं । और सारी क्लासेज में बढ़ रहे हैं इसलिये कुछ वक्त तो ज़रूर लगेगा ।

श्री हेडा : कितना वक्त—दस साल; बीस साल ?

औज़ार बनाने की फैक्टरियां

* ८५८. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में औज़ार बनाने वाली कितनी ग़ैर सरकारी फ़ैक्टरियां काम कर रही हैं ?

(ख) क्या ग़ैर सरकारी फ़ैक्टरियों तथा सरकार की औज़ार बनाने की फ़ैक्टरी में कोई प्रतियोगिता होती है ?

(ग) इस समय देश में सरकार तथा ग़ैर सरकारी उपक्रमों द्वारा कितने प्रकार के औज़ार बनाये जा रहे हैं ;

(घ) क्या ग़ैर सरकारी उपक्रमों को सरकार किसी प्रकार की सहायता देती है; तथा

(ङ) यदि ऐसा है तो किस प्रकार की ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) लगभग ३८ संगठित फ़ैक्टरियां तथा ५० छोटे पैमाने की यूनिटें ।

(ख) जी हां ।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३५]**

(घ) तथा (ङ) । कच्चा माल प्राप्त करने की सुविधा तथा रेल यातायात सम्बन्धी सहायता आदि देने के अतिरिक्त सरकार ने सरकारी फ़ैक्टरियों के मुक़ाबले में ग़ैर सरकारी उद्योग की स्थिति की जांच करने के लिये एक समिति भी स्थापित की है । समिति की बैठक के शीघ्र होने की सम्भावना है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री द्वारा बताई गई कितनी फ़ैक्टरियां सरकार की हैं, तथा कितनी ग़ैर सरकारी उद्योगपतियों की हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: इस प्रश्न का सम्बन्ध तो ग़ैर सरकारी फ़ैक्टरियों से है । ये सब फ़ैक्टरियां ग़ैर सरकारी उद्योगपतियों की हैं ।

श्री ए० एम० टामस : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकारी फ़ैक्टरी में ग़ैर सरकारी फ़ैक्टरियों के इंजीनियरों तथा मज़दूरों को प्रशिक्षण सुविधायें दिये जाने की व्यवस्था है, और मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या ग़ैर सरकारी फ़ैक्टरियों को प्रयोग करने की वर्कशापों में काम करने की व्यवस्था की जाती है तथा अनुसन्धान सुविधायें दी जाती हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न तो माननीय उत्पादन मंत्री से किया जाना चाहिये ।

कुमारी एनी मस्करीन : मैं जान सकती हूं कि क्या कोई ऐसी भी फ़ैक्टरियां हैं जो चिकित्सा विभाग के लिये उपकरण बनाती हों, और यदि ऐसा है तो कौन सी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि ऐसी पांच या छै फ़ैक्टरियां हैं, किन्तु मैं उनके नाम नहीं बता सकता ।

श्री एम० एम० टामस : माननीय उत्पादन मंत्री यहां उपस्थित हैं । क्या मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल सकता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उनके पास भी यह सूचना यहां नहीं हो सकती ।

श्री के० सी० रेड्डी : किसके विषय में ?

श्री जी० पी० सिन्हा : औज़ार बनाने वाले कितने सार्थ यूरोपियनों तथा ग़ैर-भारतीयों के हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैंने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया ।

श्री मुनिस्वामी : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि भारत में कुछ व्यक्तियों को आयात लाइसेंस दिये जाते हैं, मैं जान सकता हूं कि इस देशी उद्योग को क्या संरक्षण दिया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : आयात लाइसेंस कुछ व्यक्तियों को दिये जाते हैं, किन्तु मैं यह नहीं समझ पाता कि इस बात का इस प्रश्न से कैसे सम्बन्ध है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह नहीं चाहते कि आयात लाइसेंस दिये जायें ।

पंडित सी० एन० मालवीय : प्रतियोगिता की उत्पादन पर क्या प्रतिक्रिया होती है, और मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने ग़ैर सरकारी तथा सरकारी फ़ैक्टरियों के उत्पादन तथा वितरण के मामले में कोई योजना बनाई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं जानता कि प्रतियोगिता से माननीय सदस्य का क्या अभिप्राय है । यदि उनका अभिप्राय इन फ़ैक्टरियों के बीच होने वाली प्रतियोगिता से है, तो मैं समझता हूं कि प्रतियोगिता का होना सदा अच्छा ही है । और इससे उत्पादित वस्तु की किसम के सुधार होने में सहायता मिलती है । वितरण का मामला तो ग़ैर सरकरी फ़ैक्टरियों से सम्बन्धित है, और वितरण के लिये ये फ़ैक्टरियां अपने प्रबन्ध करती हैं ।

श्री वी० पी० नायर : मुझे यह बात ग़लत मालूम देती है कि चीर फाड़ के बहुत से उपकरण यहां बनाये जाते हैं । क्या मैं माननीय मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि आयात किये गये उपकरणों की तुलना में इन उपकरणों के दाम तथा किस्म कैसी हैं, और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि आयात किये गये चीर फाड़ के उपकरणों का वार्षिक मूल्य कितना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है कि मेरे पास इन सब बातों की सूचना नहीं है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : राष्ट्र की औज़ार सम्बन्धी कितनी प्रतिशत आवश्यकता को ये देशी फ़ैक्टरियां पूरा करती हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे इसकी पूर्व सूचना चाहिये ।

कोसी नियंत्रण योजना

* ८५९. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** उपमंत्री १३ मई, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१०६ के दिये गये उत्तर का निर्देश करने तथा यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कोसी नियंत्रण योजना के वित्तीय उत्तरदायित्व के संविभाजन के सम्बन्ध में तब से क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : कोसी परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये स्वीकार नहीं किया गया है और परियोजना रिपोर्ट तथा आंकड़ों को अन्तिम रूप दिये जाने तथा स्वीकार कर लेने के बाद ही सम्बद्ध पार्टियों में वित्तीय उत्तरदायित्व को निर्धारित के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि सरकार को इस योजना को स्वीकार करने तथा सम्बद्ध राज्यों में वित्तीय उत्तरदायित्व को निर्धारित करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करने में कितना समय लगने की आशा है ?

श्री हाथी : यह बात आंकड़ों तथा परियोजना रिपोर्ट मिलने पर निर्भर करती है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हू कि कोसी नियंत्रण योजना पर अब तक कितना धन व्यय किया गया है ?

श्री हाथी : मैं समझता हूं कि उसकी जांच पड़ताल पर ७० या ८० लाख रुपया व्यय किया गया है ।

श्री एल० एन० मिश्र: मैं जान सकता हूं कि इस योजना पर कौनसी ऐजेन्सी या निकाय वित्तीय नियंत्रण रखता है ?

श्री हाथी: इस समय केन्द्रीय सरकार नियंत्रण करती है ।

श्री भागवत झा: मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि माननीय मंत्री तथा उनके विशेषज्ञों की सम्मतियों में परिवर्त्तन की अपेक्षा कोसी नदी की दिशा में परिवर्तन कम होता है ?

उपाध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिये । अब हम अगला प्रश्न लें ।

कोयले के निर्यात में कमी

*८६०. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा:** (क) क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या १९५२ में भारत से कोयले के निर्यात में १९५१ के मुकाबले बहुत कमी आ गई थी ?

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत कमी आई ?

(ग) इस कमी के क्या कारण थे ?

(घ) क्या यह सच है कि भारतीय कोयले को दक्षिण कोरिया में नया बाज़ार मिल गया है ?

(ङ) दक्षिण कोरिया को १९५१ तथा १९५२ में कितना कोयला भेजा गया ?

(च) क्या हैदराबाद की सिंगरैनी कोयला खानों के मज़दूरों या अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों ने कोयले के दक्षिण कोरिया भेजे जाने का विरोध किया था ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) जी नहीं । १९५२ में कोयले का कुल निर्यात १९५१ के मुकाबले अधिक हुआ था । हां, १९५२ के बाद के दिनों में यह कुछ कम होने लगा था ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) जी हां, परन्तु हो सकता है कि यह बाज़ार हमेशा कायम न रहे ।

(ङ) १९५२ में १०१,२९६ टन कोयले का निर्यात किया गया था । १९५१ में कोई निर्यात नहीं किया गया ।

(च) जी नहीं ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा: क्या यह सच है कि परिवहन सुविधाओं के अभाव में देश में कोयले की भरमार हो गई है जिसके फलस्वरूप बहुत सी छोटी छोटी कोयला खानें बन्द हो गई हैं और बेकारी भी फैल गई है ?

श्री के० सी० रेड्डी: प्रस्तुत प्रश्न कोयले के निर्यात के सम्बन्ध में है । माननीय सदस्य एक नितान्त भिन्न मामला उठा रहे हैं । इसके लिये तो मैं यह कहूंगा कि माननीय सदस्य एक पृथक् प्रश्न रखें ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: निर्यात की गई कुल मात्रा में धातुकर्म -कोयले की मात्रा कितनी है ?

श्री के० सी० रेड्डी: मुझे खेद है कि इसके अलग आंकड़े मैं इस समय नहीं दे सकता ।

श्री विट्ठल राव: क्या सरकार का ध्यान भारतीय कोयला खान संघ के इस आरोप पर दिलाया गया है कि निर्यात में कमी पर्ण रूप से रेल के डिब्बों की कमी के कारण हुई है ?

श्री के० सी० रेड्डी: जी नहीं । मैं नहीं समझता कि इस नये संघ ने, जो अभी बना है और जिसे, मैं समझता हूं, अभी सरकार द्वारा मान्यता भी प्रदान नहीं की गई है, ऐसा कोई आरोप लगाया है । उसने यह नहीं कहा है कि निर्यात में कमी परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण आई है ।

जहां तक मैं समझता हूं, उसने कुछ अन्य आरोप लगाये हैं, यह नहीं जिस का माननीय सदस्य ने निर्देश किया ।

श्री टी० के० चौधरी: क्या यही शिकायत यहां के उद्योगपतियों और व्यापारियों ने भी की है जो कोयले का कारबार करते हैं और कारखानों आदि को कोयला देते हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी: हम कोयले के निर्यात के प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं, परन्तु माननीय सदस्यगण आन्तरिक परिवहन स्थिति तथा अन्य सम्बद्ध मामलों का प्रश्न उठा रहे हैं ।

श्री ए० एम० टामस: माननीय मंत्री ने बतलाया कि १९५२ के बाद के दिनों में निर्यात में कुछ कमी आ गई थी । क्या मैं जान सकता हूं कि १९५३ में स्थिति क्या है ?

श्री के० सी० रेड्डी: १९५२ के बाद के दिनों में कोयले के निर्यात में १२ प्रतिशत कमी आ गई थी । १९५३ के पूर्वार्द्ध में भी निर्यात में कमी आई है, परन्तु यह कमी मुख्य रूप से उन देशों को किये जाने वाले निर्यात में आई है जहां हमें बाज़ार अस्थायी रूप से मिले थे । उदाहरण के लिये, संयुक्त राजतन्त्र, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ़्रीका तथा कुछ अन्य देशों को हम कोयला अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, जैसे कोरियाई युद्ध आदि, के कारण भेज रहे थे । अब स्थिति के सामान्य हो जाने पर ये असाधारण बाज़ार, जो हमें १९५१-५२ में मिले थे, स्वभावतः समाप्त हो गये हैं । हां हमारे स्थायी बाज़ार--हांकांग तथा सिंगापुर जैसे स्थानों को किये जाने वाले निर्यात में थोड़ी कमी के अतिरिक्त--ज्यों के त्यों मौजूद हैं । १९५३ के पहले छै मासों में कमी लगभग ३० से लेकर ४० प्रतिशत तक हुई है--परन्तु हो सकता है कि ये आंकड़े बिल्कुल सही न हों ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या भारतीय कोयला खान संघ ने उत्पादन मंत्रालय को कोई अभिवेदन भेजा है जिसमें कोयला उद्योग की समस्याओं के कुछ दल सुझाये गये हैं और यदि भेजा है, तो क्या सरकार ने उस पर कोई ध्यान दिया है ?

श्री के० सी० रेड्डी: यह तो एक नितान्त भिन्न प्रश्न है । सम्भवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय उन तारों से है जो भारतीय कोयला खान संघ ने हाल में उत्पादन मंत्रालय, रेल मंत्रालय तथा योजना आयोग को भेजे हैं । यदि मुझे ठीक स्मरण है, तो मैं समझता हूं कि एक माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में एक अल्प सूचना प्रश्न भी रखा है । जिस पर अब उत्पादन मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है । हमने कोयला आयुक्त से इस सम्बन्ध में जानकारी मांगी है । मैं उक्त जानकारी मिलने पर इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं । परन्तु अब एक निर्यात सम्बन्धी प्रश्न के सिलसिले में इन सब बातों को उठाने से कोई लाभ नहीं होगा ।

राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत स्थानीय निर्माण कार्य

*८६१. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय योजना के स्थानीय निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी परियोजनायें मंजूर की गई हैं;

(ख) कितनी परियोजनाओं का कार्य सम्पादन हुआ है तथा कितनों के सम्बन्ध में काम हो रहा है; तथा

(ग) प्रत्येक राज्य में ऐसे निर्माण कार्यों की पूर्ति के लिये जनता ने स्वेच्छा से कितना अंशदान दिया है ।

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) १३०१

(ख) १४ परियोजनाओं का कार्य-सम्पादन हुआ है तथा बाकी के सम्बन्ध में काम जारी है ।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या३६]**

श्री एल० एन० मिश्र : विवरण से पता चलता है कि बिहार राज्य के लिये कोई परियोजना मंजूर नहीं की गई है । क्या मैं इसके कारण जान सकता हूं ?

श्री हाथी : विवरण उन १४ परियोजनाओं की ओर निर्देश कर रहा है जिनका कि कार्य पूर्ण हुआ है ।

श्री एल० एन० मिश्र : इस शीर्ष के अन्तर्गत निश्चित की गई धन राशि क्या ज़िले-वार वितरित की जाती है अथवा राज्य-वार ?

श्री हाथी : यह राज्य-वार वितरित की जाती है ।

लाला अचिन्त राम : क्या लोकल वर्क्स प्रोग्राम के मातहत पंजाब स्टेट में कोई ऐसी स्कीम चलायी गई है ?

श्री हाथी : पंजाब में भी कुछ परियोजनाएं हैं ।

लाला अचिन्त राम : कितनी ?

श्री हाथी : मेरे पास यह संख्या मौजूद नहीं, क्योंकि स्थिति यह है । पिछले महीने राज्यों को अपनीं परियोजनायें मंजूरी के लिये यहां भेज देनी थीं । बाद में पता चला कि ऐसा करने से काम में विलम्ब होगा; इसलिये राज्यों को ऐसी परियोजनायें क्रियान्वित करने का अधिकार दिया गया जो कि अनुमोदित परियोजनाओं में आ जाती थी ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या राष्ट्रीय योजना को अब स्थानीय योजनाओं में बांटा गया है तथा क्या योजना प्रशासन को इस बात की जानकारी है कि किस योजना का कौनसा हिस्सा किस विशिष्ट क्षेत्र के लिये है ।

श्री हाथी : इसका सम्बन्ध उन निर्माण कार्यों से है जो कि योजना में शामिल नहीं हैं, स्थानीय निर्माण कार्यों में, जो कि जन समुदाय के लिये आवश्यक हैं, निम्नलिखित काम शामिल हैं: पीने के पानी की व्यवस्था, कृषि सुधार से सम्बन्धित स्थायी निर्माण कार्य, ग्रामीण स्वच्छता के सुधार के लिये स्थायी निर्माण कार्य, पुलों आदि सहित देहाती सड़कें, स्कूलों अथवा औषधालयों, जिनके पास कि काफी जगह नहीं, का सुधार, माल एकत्रित करने के लिये गोदामों का बनाना बशर्ते कि इस से जनता को फायदा पहुंचे ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: इस शीर्ष के अन्तर्गत राज्यों को लगभग ढ़ाई करोड़ रुपया दिया गया है । क्या सरकार को उनसे प्रस्थापनायें प्राप्त होती हैं ?

श्री हाथी : श्रीमान्, यह धन जनसंख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों को दिया जाता है तथा वह वहां इन निर्माण कार्यों को हाथ में लेते हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या यह सत्य है कि मद्रास ने इस समय तक कोई परियोजना नहीं भेज दी है ; तथा योजना आयोग का एक सदस्य वहां हालात देखने गया है ?

श्री हाथी : श्रीमान् मेरे पास कोई सूचना नहीं । प्रक्रिया में अब परिवर्तन हुआ है । राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वह अपनी परियोजनाओं पर काम करना शुरू करें ।

श्री बंसल: श्रीमान्, इन स्थानीय निर्माण कार्यों के लिये धन आवंटित करते समय क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखती है जिन्हें कि किसी भी विकास परियोजना से कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है ?

श्री हाथी: यह कई परियोजनाओं का केवल एक हिस्सा है तथा, निस्सन्देह, इसे जनसंख्या के आधार पर वितरित किया जाता है ।

श्री एल० एन० मिश्र: श्रीमान्, उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां कि यह परियोजना सर्वप्रिय हो गई है तथा जहां यह बिल्कुल सर्वप्रिय नहीं हुई है ?

श्री हाथी: प्राप्त परियोजनाओं की संख्या को देखते हुए मैं समझता हूं कि बम्बई सब से आगे है ।

सरदार ए० एस० सहगल: श्रीमान्, मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत कितने स्थानीय निर्माण कार्यों की सिफारिश की है ?

श्री हाथी: मध्य प्रदेश सरकार ने वैसे तो अभी कोई परियोजना नहीं भेजी है ।

श्री टी० के० चौधरी: क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने कोई परियोजनायें भेज दी हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय: मैं पश्चिमी बंगाल का बाद में ज़िक्र करूंगा ।

श्री भक्त दर्शन: चूंकि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में ग्राम पंचायतें सड़क निर्माण का प्रशंसनीय कार्य कर रही है, क्या उन्हें भी इस मद से अनुदान देने पर विचार किया जा रहा है ?

श्री हाथी: यदि वह राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में प्रार्थना करेंगे तो इस पर अवश्य ही विचार किया जायगा ।

पंडित सी० एन० मालवीय: इन परियोजनाओं पर वास्तव में कितना धन खर्च किया गया है, यह राज्य-वार बताने की कृपा करें ।

श्री हाथी: मेरे पास इस समय यह आंकड़े नहीं हैं ।

पंडित सी० एन० मालवीय: कुल कितनी राशि है ?

श्री हाथी: मेरे पास आंकड़े नहीं हैं क्योंकि इन परियोजनाओं पर काम अभी हो ही रहा है । मैंने जो आंकड़े दिये हैं उनका सम्बन्ध केवल उन परियोजनाओं से है जिन्हें कि पूरा किया गया है । शेष आंकड़े तब तक उपलब्ध नहीं हो सकते हैं जब तक कि दूसरे निर्माण-कार्य पूर्ण न होंगे ।

श्री मुनिस्वामी: क्या यह सत्य है कि योजना आयोग के एक सदस्य हाल ही में इन निर्माण कार्यों की प्रगति देखने के लिये मद्रास गये थे ? यदि गए थे तो क्या इस सदस्य से कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई है ?

श्री हाथी: रिपोर्ट किस चीज़ की ?

श्री टी० ए० ए० चेट्यिार: मद्रास में इन निर्माण कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में ।

श्री हाथी: मेरे पास कोई सूचना नहीं ।

श्री टी० के० चौधरी: पश्चिमी बंगाल के लिये कितने स्थानीय निर्माण कार्य मंजूर हुए हैं तथा इनके लिए कितना धन मंजूर किया गया है ?

श्री हाथी: जैसे कि मैंने निवेदन किया, राज्यों को अपनी परियोजनाओं पर काम शुरू करने के लिये कहा गया है बशर्ते कि वह परियोजनायें विशिष्ट श्रेणियों में आ जाती हों । उन्हें यह हमारे पास भेजने की कोई आवश्यकता नहीं । मुझे इसकी कोई सूचना नहीं ।

श्री टी० के० चौधरी : कुछ धन तो उन्हें आवंटित किया गया होगा ।

श्री हाथी : धन तो आवंटित किया जाता है परन्तु मुझे मालूम नहीं कि कौनसी परियोजनायें हाथ में ली गई हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : स्वयं-सेवक संस्थाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे छोटे काम किये हैं क्या सरकार ने उन्हें भी ध्यान में रखा है ? यदि रखा है, तो क्या सरकार ऐसी संस्थाओं को और अधिक बढ़ावा देने का विचार रखती है ?

श्री हाथी : अवश्य, श्रीमान् । ऐसी संस्थाओं के लिये ५० लाख रुपया रखा गया है । स्वयं-सेवक संस्थायें अपनी परियोजनायें तैयार कर सकती हैं, तथा यदि वह उन्हें हमारे पास भेज देंगी तो उन पर विचार किया जायगा, वास्तव में, ऐसी परियोजनायें हमारे पास आई हैं तथा हम ने उन्हें मंजूर किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

सिलाई की मशीनें

*८६२. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१-५२ तथा १९५२-५३ के वर्षों में क्रमश: कितनी सिलाई की मशीनें तथा उनके पुर्जे निर्यात किये गए ?

(ख) क्या इस माल का निर्यात खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत आ जाता है ?

(ग) कौन कौन से देश भारत से सिलाई की मशीनें तथा उनके पुर्जे आयात करते हैं ?

(घ) यह मशीनें तथा इनके पुर्जे अन्य देशों की मशीनों तथा पुर्जों की तुलना में कैसे लगते हैं ?

(ङ) भारत में कौन कौन सी फर्में सिलाई की मशीनें तथा इनके पुर्जे तैयार करती हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सरकारी आंकड़ों में सिलाई की मशीनों तथा उनके पुर्जों के निर्यात को अलग अलग नहीं लिखा जाता है ।

(ख) इनके निर्यात के लिये लाइसेन्स निर्बाध रूप से दी जाती हैं ।

(ग) सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, श्रीलंका, साऊदी अरब, न्यासालैंड, केनिया, ज़ंजीबार, दक्षिणी रोडेशिया, यूगांडा, मोज़म्बीक, फ्रांसीसी मराक्को, टांगानीका, बर्मा, स्याम, ईरान, सीरिया, बेलजियम कांगो, यूरागवे, नाइजेरिया, इंडोनेशिया, सुडान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा इस्राइल ।

(घ) बताया जाता है कि यहां की बनी सिलाई की मशीनें अन्य देशों की मशीनों की तुलना में अच्छी लगती हैं । पुर्जों का भी यही हाल है ।

(ङ) सर्वांगपूर्ण सिलाई की मशीनों के प्रमुख निर्माता यह हैं :—

(१) मैसर्ज जय इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटिड, कलकत्ता ।

(२) मैसर्ज के० सी० मलिक एंड सन्ज, कलकत्ता ।

सिलाई की मशीनों के पुर्जे बनाने वाले निम्नलिखित हैं :—

(१) मैसर्ज जनरल मैनुफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कार्पोरेशन, लुधियाना ।

(२) पंडित रामजी दास हरबंस लाल, बस्ती पठानां, पेप्सू ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सिलाई की मशीनों का निर्यात इनके आयात से ज्यादा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, जैसे कि मैं निवेदन कर चुका हमारे पास इस सम्बन्ध में अलग अलग आंकड़े नहीं हैं, इस-

लिए मैं इस बारे में ठीक ठीक तुलनात्मक सूचना नहीं दे सकता हूं ।

श्रीमती ए० काले : श्रीमान्, क्या मैं जान सकती हूं कि कितनी मशीनें आयात की गई हैं तथा स्थानीय मशीनों के मुकाबले में इनका मूल्य कितना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मैं आयात के सम्बन्ध में ठीक ठीक आंकड़े नहीं दे सकता हूं । भारत में बनी मशीनों के दाम सस्ते हैं ।

श्री बंसल : माननीय मंत्री ने बताया कि इन वस्तुओं का निर्यात अलग रूप से नहीं दिया गया है तथा वह आंकड़े नहीं दे सकते हैं, क्या इन आंकड़ों को उन समवायों से प्राप्त करना सम्भव होगा जो कि इस माल को बाहर भेजते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : निस्सन्देह श्रीमान्, ऐसा करना सम्भव होगा ।

श्रीमती ए० काले : श्रीमान्, क्या मैं जान सकती हूं कि विदेशी मशीनें क्यों आयात की जाती हैं जबकि देशीय मशीनें सस्ती हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इसी कारण से इन्हें आयात करने की अनुमति दी जाती है । जहां कुछ लोग सस्ता माल चाहते हैं वहां कुछ लोग अच्छी क्वालिटी का माल भी चाहते हैं । वास्तव में आयात का इस तरह से विनिमय होता है कि इससे स्थानीय निर्माताओं के लिये काम करने की काफी गुंजाइश रहे ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि सिलाई की मशीनें तथा उनके पुर्जे बनाने वाले कितने समवाय भारतीय स्वामित्व में हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय: स्थानीय निर्माताओं में से ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जिन समवायों का मैंने जिक्र किया है वह सभी भारतीय प्रतीत होते हैं ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या सभी सम्बन्धित पुर्जे भारत में तैयार किये जाते हैं अथवा बाहर से मंगाए जाते ह ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मैं इस प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक नहीं दे सकता हूं । परन्तु मैंने स्वयं वहां उन फैक्टरियों में जो कुछ देखा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि वह लगभग सारे पुर्जे यहां ही तैयार करते हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि सिलाई की मशीनों के लिये देश में कुल कितनी मांग है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास इस समय यह आंकड़े नहीं हैं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सत्य है कि हाल ही से सिलाई की मशीनों तथा उनके पुर्जों के निर्यात में कमी होने लगी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, कुछ समय पहले इन देशीय मशीनों की क्वालिटी के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें थीं ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस समय इन मशीनों की क्वालिटी से सन्तुष्ट है तथा यदि नहीं हैं तो क्या वह इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक क्वालिटी का प्रश्न है, इस पर अलग अलग राय हो सकती है, मैं समझता हूं कि सरकार को उस समय तक हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं जब तक इनके दाम सस्ते रहेंगे तथा लोग इन्हें खरीदते रहेंगे । वास्तव में इन्हें निर्यात भी किया जा रहा है तथा दूसरे देशों में लोग इन्हें खरीद भी रहे हैं ।

जापान के साथ व्यापार करार

*८६३. **श्री ए० एन० विद्यालंकार:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने हाल ही में जापान सरकार की इस प्रार्थना को रद्द किया है कि दोनों देशों के बीच एक उभय पक्षी करार हो;

(ख) यदि किया है, तो इसके कारण क्या हैं; तथा

(ग) (१) प्रस्थापित निबन्धन क्या थे तथा (२) किन वस्तुओं में व्यापार करने के लिये कहा गया था।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). भारत-जापान शान्ति संधि के अन्तर्गत भारत ने पहले ही जापान को व्यापार की समुचित सुविधायें दी हैं। इसलिए सरकार के विचार में किसी अग्रेतर उभयपक्षी करार की आवश्यकता नहीं है।

मृत विस्थापित व्यक्तियों के दावे

*८६४. **श्री ए० एन० विद्यालंकार:** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास ऐसे मामलों की सूचना आ चुकी है जिनमें दावेदार विस्थापित व्यक्ति अपने दावों के प्रमाणित हो जाने के उपरान्त मर चुके हैं और वर्तमान विधि में कुछ कमी होने के कारण उनके वैध उत्तराधिकारी उनका स्थान नहीं ले सकते ?

(ख) क्या सरकार ऐसे वैध उत्तराधिकारियों के मार्ग में से वैधानिक कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही करना चाहती है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) तथा (ख). ऐसा सम्भव है कि कुछ दावेदार अपने दावों के प्रमाणित होने के उपरान्त मर गये हों, और क्योंकि विस्थापित जन (दावा) अधिनियम समाप्त हो चुका है, इसलिये उनके उत्तराधिकारियों के नाम उनके स्थान पर नहीं रखे जाते। यदि आवश्यक होगा, तो ऐसे मामलों में मृत दावेदारों के उत्तराधिकारियों को मुआवजा देने का उपबन्ध किया जायगा।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को इस बात का पता है कि कई मामलों में एक सम्पत्ति के साझे हिस्सेदारों में से कुछ हिस्सेदारों ने, यह सोच कर कि एक साझे हिस्सेदार द्वारा किया गया दावा जिस में कि दूसरे साझे हिस्सेदारों के नाम भी सम्मिलित हैं, अलग दावा नहीं किया ? क्या सरकार इस दिशा में कोई संशोधन करेगी और उनको अपने दावे करने की अनुमति देगी ?

श्री ए० पी० जैन: श्रीमान् जी, यह प्रश्न श्री विद्यालंकार जी के प्रश्न से बिल्कुल भिन्न है। तो भी मैं उसका उत्तर दूंगा। प्रत्येक दावेदार को अपना दावा अलग करना चाहिए था, और यदि किसी व्यक्ति ने अपना दावा अलग नहीं किया, तो मुझे खेद है कि अब मेरे लिए उसके दावे को स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

चाय मिशन

*८६५. **डा० राम सुभग सिंह:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार आस्ट्रेलिया और अमेरिका में भारतीय चाय की खपत को बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिये वहां एक चाय का मिशन भेजने का विचार रखती है ?

(ख) यदि ऐसी बात है, तो मिशन को कब तक भेजा जायेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) इस समय आस्ट्रेलिया में चाय के मिशन को भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अमेरिका के सम्बन्ध में, अभी मामला विचाराधीन है।

डाक्टर श्यामाप्रसाद मुकर्जी की मृत्यु की सूचना का रेडियो द्वारा प्रसारित होना

*८६६. **श्री गिडवानी** : (क) क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह ठीक है कि डाक्टर श्यामा-प्रसाद मुकर्जी की दुखद मृत्यु का समाचार आल-इण्डिया रेडियो द्वारा १२–५० दोपहर को प्रसारित किया गया था, जबकि मृत्यु प्रातःकाल ३–४० पर हुई थी ?

(ख) क्या यह ठीक है कि दुखद मृत्यु की रिपोर्ट भी बेपरवाही से प्रसारित की गई थी ?

(ग) क्या सरकार का ध्यान २० जून १९५३ के दिल्ली एडीशन हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड की संपादकीय टिप्पणी की ओर दिलाया गया है, जिसमें सरकार से पूछा गया है कि वह समाचार के प्रसारित करने में देरी और जिस ढंग से यह प्रसारित किया गया, उसके असंतोषजनक ढंग का कारण स्पष्ट करें ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) जी, हां।

(ख) जा, नहीं। समाचार विवरणिका के १५ मिनटों में से लगभग ६ मिनट इसी समाचार पर लग गये थे।

(ग) सरकार ने हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड के दिल्ली एडीशन की संपादकीय टिप्पणी को देख लिया है। उस में कही गई बात ठीक नहीं है। डाक्टर श्यामाप्रसाद मुकर्जी की मृत्यु सम्बन्धी अपूर्ण सूचना प्रातःकाल ७–५८ पर प्राप्त की गई थी और शासकीय प्रमाण ९ बजने से कुछ मिनट पहले प्राप्त किया गया था। और प्राप्य गृह-सूचना १२–५० पर प्राप्त होने के कारण यह समाचार पहली विवरणिका में प्रसारित नहीं किया जा सकता था।

श्री गिडवानी : क्या यह तथ्य है कि श्रीनगर में ए० आई० आर० का विशेष प्रतिनिधि रहता है ?

डा० केसकर : जी हां।

श्री गिडवानी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि सूचना-अधिकारी की रिपोर्ट प्रातः काल ७–२२ बजे प्राप्त हो चुकी थी, और यदि यह बात ऐसी ही है, तो यह समाचार पहले क्यों प्रसारित नहीं किया गया ?

डा० केसकर : जी, नहीं, जैसा मैंने बतलाया, यह प्रातः ७–५८ पर प्राप्त की गई थी।

श्री गिडवानी : गृह विभाग सरकार ने यह सूचना कब प्राप्त की थी ?

डा० केसकर : मेरा विचार है कि यह प्रश्न गृह-कार्य मंत्री से पूछा जाना चाहिये ?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय सीधे कह सकते हैं कि वे इस बात को नहीं जानते।

श्री वीरस्वामि : क्या में यह जान सकता हूं कि डाक्टर मुकर्जी का देहावसान की सूचना कितनी बार और कितनी भाषाओं में प्रसारित की गई ?

डा० केसकर : मेरे पास अब इसकी जानकारी नहीं है। परन्तु यदि माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं, तो मैं अवश्य ही इसका विवरण दूंगा।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान् जी, क्या यह तथ्य नहीं है कि डाक्टर श्यामाप्रसाद मुकर्जी की मृत्यु की सूचना प्रातःकाल के समाचार पत्रों के अनुपूरक प्रकाशन में आगई थी ? क्या मैं यह जान सकता हूं कि ए० आई० आर० ने क्यों प्रमाण की प्रतीक्षा की और समाचार पत्रों की तरह अन्तर्कालीन सूचना को क्यों प्रसारित नहीं किया ?

डा० केसकर: श्रीमान् जी, ए० आई० आर० का विश्वसनीय और प्रमाणिक समाचार देने के लिये न केवल भारत में ही अपितु संसार भर में प्रसिद्ध है। और फिर सुविख्यात नेता डा० श्याम प्रसाद मुकर्जी के निधन के मामले में, जो काश्मीर राज्य में नज़रबन्द थे, ए० आई० आर० इस सूचना को प्रसारित नहीं कर सकता था, जब कि अधिकरण की सूचना भी अपूर्व ही थी। मैं अधिकरण का संदेश पढ़ सकता हूं :

"नई दिल्ली में प्राप्त किये गये सन्देश के अनुसार डाक्टर श्यामाप्रसाद मुकर्जी आज प्रातःकाल देहावसान कर गये।"

इसमें समय तक भी नहीं दिया गया। ए० आई० आर० तब तक ऐसी सूचना को प्रसारित नहीं करता, जब तक कि प्रमाण प्राप्त न हो, और प्रमाण प्राप्त करने के लिये प्रत्येक संभव प्रयत्न किये गये थे, परन्तु ९ बजने के कुछ मिनट पहले से पूर्व कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं किया जा सका था।

श्री तेनसिंह को आजीवन पेन्शन

*८६७. **सेठ गोविन्द दास:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार श्री तेनसिंह को आजीवन पेंशन देने का विचार कर रही है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पावर आलकोहल

*८६८. **सेठ गोविन्द दास:** क्या **वाणिज्य** तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२-५३ में शीरे (मोलासेज) से कितना पावर आलकोहल बनाया गया ;

(ख) क्या उसम लिव्युलिनिक एसिड (Levulinic Acid) भी बनाया जा सकता है ; और

(ग) क्या भारत में लेव्युलिनिक एसिड बनाने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) ७,७१९, ७६३ गैलन।

(ख) जी हां।

(ग) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान की केन्द्रीय प्रयोग शालाएं हैदराबाद में मोलासिस से लेव्युलिनिक एसिड बनाने के लिये प्रयोगशाला के स्तर पर प्रयोगात्मक कार्य कर रही हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रयोगशालाएं अब अग्रिम प्लांट स्तर पर प्रयोग करने का विचार कर रहीं हैं।

सेठ गोविन्द दास: यह प्रयोग कब से चल रहे हैं और इन प्रयोगों के परिणाम कब प्राप्त हो सकेंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: जी, हां। मैं यह बतलाने में असमर्थ हूं कि ये प्रयोग कब से चल रहे हैं। मैं तो केवल यही जानता हूं कि ये प्रयोगशालाएं इसे अगले स्तर पर ले जाना चाहती हैं और पायलट प्लांट अनुमाप पर प्रयोग करने का विचार रखती हैं। यह कहना भी बहुत कठिन है कि वह प्रयोग सफल हो सकेंगे या नहीं। इस मामले पर टैक्नीशियनों की रायों में मतभेद हैं। मैं ऐसी आशा नहीं दिला सकता कि पायलट प्लांट प्रयोग सफल होगा। सफल भी हो सकता है।

सेठ गोविन्द दास: इस देश में कितना लेव्युलिनिक एसिड बाहर से मंगवाया जाता है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: श्रीमान् जी, जहां तक मैं सोचता हूं अधिक नहीं मंगाई जाती। क्योंकि इस का कारण है जैसा कि मुझे विशेषज्ञों ने बतलाया है कि इसकी बिलकुल आवश्यकता नहीं। ऐसा हो सकता है कि थोड़ी मात्रा में एसिड मंगवाया जाता हो।

इस प्रकार के एसिड के लिये हमारे कस्टमस् में श्रेणी विभाजन नहीं किया गया है जो दूसरे उन एसिडों की सामान्य श्रेणी में यह आजाता है, जो कारबो हाईडरेट्स से तैयार किये जाते हैं। मैं इसकी जानकारी देने में असमर्थ हूं।

श्री के० के० बसु : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या पावर आलकोहल की उपज बढ़ रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां, मेरे पास ऐसी ही जानकारी है।

श्री दाभी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या पावर आलकोहल महुआ के फूलों से तैयार की जाती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: कई मामलों में यह तैयार की जाती है, परन्तु मैं नहीं कह सकता कि इस तरह पर्याप्त उत्पादन होता है, क्योंकि महुआ के फूलों से तैयार किये गये पावर आलकोहल पर मोलासिस से तैयार किये गये पावर आलकोहल की अपेक्षा लागत अधिक लगती है।

श्री बंसल : यह एसिड क्या है और इसके उपयोग क्या हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : लेवुलोज, गलूकोज की प्रकार का होता है। माननीय मित्र गलूकोज की बाबत जानते ही हैं। यह वास्तव में कारबो हाईडरेट्स् की उपज है। यह एसिड ग्लूकोनिक एसिड जैसी है जिसकी बाबत मेरे मित्र ने अवश्य सुना होगा, और संभवतया किसी न किसी रूप में उसका सेवन भी किया होगा।

अस्वायत्त प्रदेशों से प्राप्त सूचना सम्बन्धी समिति

*८६९. **श्री एस० एन० दास।** क्या प्रधान मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) अस्वायत्त प्रदेशों से प्राप्त सूचना सम्बन्धी समिति, में जिस का एक सदस्य भारत भी है, भारतीय प्रतिनिधि ने किस प्रकार का और क्या क्या कार्य किया है ; तथा

(ख) इस समिति में, भारत का प्रतिनिधित्व, सम्पूर्ण काल के लिये, एक स्थायी प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है या एतदर्थ रूप से प्रतिनिधि भेजे जाते हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) अस्वायत्त प्रदेशों से प्राप्त सूचना सम्बन्धी समिति के आरम्भ से ही, उस में भारत का प्रतिनिधित्व होता रहा है तथा भारतीय सदस्य इस समिति की कार्यवाहियों में, अस्वायत्त प्रदेशों के निवासियों के कल्याण के लिये रचनात्मक सुझाव देकर, मुख्य भाग लेता रहा है, जिससे यह प्रदेश जल्दी से जल्दी स्वशासन प्राप्त कर सकें। भारतीय प्रतिनिधि के सुझाव पर ही, इस समिति का जीवन काल बढ़ा कर १९५५ तक कर दिया गया है। भारत का प्रतिनिधि एक ऐसी प्रक्रिया भी बनाने का प्रयत्न कर रहा है कि जिस से अस्वायत्त प्रदेशों के अपने प्रतिनिधि भी इस समिति की कार्यवाहियों में भाग ले सकें।

(ख) प्रत्येक वार्षिक सत्र के आरम्भ होने के ठीक पहले प्रतिनिधि छांट लिये जाते हैं।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि जब से भारत इस संस्था का सदस्य रहा है, तब से भारत द्वारा जो प्रतिनिधि भेजे गये उन के नाम क्या हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : १९४७ में डा० पी० पी० पिल्ले हमारे प्रतिनिधि थे; १९४८-४९ तथा ५० में श्री बी० शिवाराव ; १९५१ में श्री अप्पा डी० पन्त ; १९५२ में श्री बी० शिवाराव, और इस वर्ष श्रीमती लक्ष्मी मेनन हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे भजरी नामक कोयले की खान में हुई दुर्घटना के सम्बन्ध

में, श्री पी० सी० बोस, श्री के० पी० त्रिपाठी तथा श्री विट्ठल राव द्वारा दी जाने वाली एक अल्पसूचना प्रश्न की सूचना प्राप्त हुई है। श्री त्रिपाठी तथा श्री विट्ठल राव ने उसी विषय पर अलग अलग एक प्रश्न की सूचना दी है जिस के लिये मैंने आज्ञा नहीं दी है। मैं इन सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न करने की आज्ञा दूंगा।

मैं श्री बोस से निवेदन करता हूं कि वे मुख्य प्रश्न करें।

अल्पसूचना प्रश्न तथा उत्तर

मजरी नामक कोयले की खान में दुर्घटना

श्री पी० सी० बोस : क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान ८ अगस्त १९५३ के समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के द्वारा दी जाने वाली एक सूचना की ओर दिलाया गया है, कि चन्दा जिले में मजरी नामक कोयले की खान की एक दुर्घटना में बाढ़ के पानी खान के अन्दर भर जाने के कारण, ११ खान मजदूर अन्दर फंस कर मर गये ;

(ख) क्या इस खान का इंचार्ज कोई प्रमाणित खनिज इंजीनियर है ;

(ग) क्या खान मजदूरों को निकालने के लिये कोई प्रयत्न किये गये थे ; तथा

(घ) क्या इस दुर्घटना के कारणों की जांच की जायेगी ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) हां।

(ख) हां।

(ग) हां।

(घ) मध्य प्रदेश के खान निरीक्षक के सहयोग से उपप्रधान खान निरीक्षक द्वारा इस दुर्घटना के कारणों की जांच की भी जा चुकी है।

श्री पी० सी० बोस : क्या खान से निकलने का दूसरा मार्ग भी था जैसा कि भारतीय खनिज अधिनियम के अनुसार आवश्यक है ?

श्री आबिद अली : हां, श्रीमान्।

श्री पी० सी० बोस: क्या सरकार द्वारा, जांच करने के लिये, भूमि के नीचे का नकशा, हाजिरी का रजिस्टर तथा उस घटना से सम्बन्ध रखने वाले पत्रों पर तुरन्त ही अधिकार कर लिया गया था ?

श्री आबिद अली : श्रीमान, यह दुर्घटना ५ तारीख को हुई और निरीक्षक वहां ६ तारीख को पहुंच गया था। उस ने जांच की है और उस ने सारी आवश्यक कार्यवाही अवश्य ही की होगी।

श्री विट्ठल राव : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि, क्या यह सच है, कि इस खान में टार्चें तथा सेफ्टी लैम्प न होने के कारण बचाव के कार्य में बहुत सी बाधायें उत्पन्न हो गई थीं ?

श्री आबिद अली : श्रीमान्, किसी भी खान में टार्चों के बहुत बड़े स्टाक होने की आशा नहीं की जाती है क्योंकि जमीन के अन्दर काम करने में, केवल टार्चों का प्रयोग सदा जोखम पूर्ण होता है क्योंकि इनसे वातावरण के दूषित होने का पता नहीं चल पाता है। परन्तु फ्लेम लैम्पों से कार्बन डाई आक्साईड का स्पष्ट रूप से पता लग जाता है। मैं इतना और बताना चाहता हूं कि यह ओपेन लैम्प वाली खान है और इस में काफी संख्या में ओपेन लैम्पों की व्यवस्था थी

श्री विट्ठल राव : क्या माननीय उपमंत्री, उपप्रधान खान निरीक्षक द्वारा की जाने वाली जांच के निर्णय की एक प्रतिलिपि, सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री आबिद अली : मैं इस विषय पर विचार करूंगा

श्री एस० एन० दास : इस जांच का निर्णय क्या है ?

श्री आबिद अली : निर्णय में कहा गया है कि खान के निकट एक गढ़े के द्वारा, वर्धा नदी, जिसमें बाढ़ आया था, उसके जल के अन्दर घुस आने के कारण चारों ओर सात फुट गहरा पानी भर गया था । कोयले की खान के अन्दर पानी भर गया जहां ४९ व्यक्ति काम कर रहे थे । इन ४९ में से ३८ व्यक्ति बचाये जा सके ; ११ नहीं निकल पाये । मैनेजर, निरीक्षणिक कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तियों ने मजदूरों को बचाने के लिये, जो कुछ वह कर सकते थे, सब किया परन्तु ११ व्यक्ति नहीं बचाये जा सके । मैनेजर के बाहर आने के १५ मिनट के अन्दर खान पानी से भर गई । मैनेजर ने स्वयं अन्य मजदूरों के साथ अन्दर जाने का जोखिम उठाया । खान में पानी भर जाने के कारण बेकार हो जाने वाले मजदूरों को बदले का काम दिलाने के लिये जिला अधिकारियों ने आवश्यक उपाय किये हैं ।

श्रीमती ए० काले : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार मर जाने वाले मजदूरों के सम्बन्धियों को उचित प्रतिकर दिये जाने पर जोर दे रही है ?

श्री आबिद अली : हां श्रीमान् । कर्मचारी क्षति पूर्ति अधिनियम के अनुसार प्रतिकर पायेंगे ।

श्री जोकिम अल्वा : क्या खानों के अन्दर भूमि के नीचे देख भाल तथा सुरक्षा के उपाय मान्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार हैं ?

श्री आबिद अली : भारतीय खनिज अधिनियम के अनुसार जो कुछ आवश्यक था वह सब किया गया था । निरीक्षक का कथन यही है ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या यह सच है कि बाहर से खतरे की सूचना देने का कोई प्रबन्ध नहीं था ? क्या सरकार को सन्तोष है कि खतरे की घन्टी तथा खतरे से सावधान करने के अन्य प्रबन्ध वहां पर थे ?

श्री आबिद अली : खतरे की घंटी का कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है । मैनेजर उसी स्थान पर था जब पानी गढ़े के अन्दर जा रहा था तो वे दौड़े । खतरे की घंटी वहां पर थी या नहीं यह मैं नहीं जानता हूं परन्तु उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे सतर्क थे । ४२ फुट की परत प्रभावित हो चुकी थी ; अत्याधिक जल के प्रभाव से गढ़ा भी बड़ा हो गया होगा ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना कर सकता हूं कि वह प्रतिवेदन देख कर बतावें कि क्या मैनेजर उस स्थान पर उपस्थित था ?

श्री आबिद अली : निश्चय पूर्वक वह उस स्थान पर ही था ।

श्री के० के० बसु : क्या यह सच है कि जब यह दुर्घटना हुई, खतरे की घंटी उस स्थान तक नहीं लगी थी जहां मजदूर काम कर रहे थे और इस दोष के कारण कोई भी सूचना उन तक नहीं पहुंचाई जा सकती थी ?

श्री आबिद अली : गड्ढा लगभग २,५०० फुट गहरा है और यह विचार किया जाता है कि मजदूर सब से निचले क्षेत्र में थे । इस विशेष प्रश्न के सम्बन्ध में कि क्या उन के स्थान तक खतरे की घंटी थी मुझे पूछ ताछ करनी पड़ेगी ।

श्री सारंगधर दास : माननीय उपमंत्री ने कहा है कि मैनेजर तथा अन्य व्यक्ति सतर्क थे तथा खतरे की घन्टी की कोई आवश्यकता नहीं थी । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारतीय खनिज अधिनियम में इस बात का उपबन्ध है कि खतरे की घन्टी की व्यवस्था होनी चाहियें ? इस के अतिरिक्त कि मैने-

जर सतर्क था तथा उस स्थान में था, क्या हम जान सकते हैं कि वहां खतरे की घन्टी का प्रबन्ध था या नहीं ?

श्री आबिद अली: मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं।

श्री मुहीउद्दीन : गड्ढे में काम करने के लिये मजदूरों के प्रवेष करने के पूर्व कोयले की खान के निकटतया चारों ओर पानी का स्तर कितना था तथा क्या व्यवस्था करने वालों ने मजदूरों को कोयले की खान में प्रवेष करने की आज्ञा देने के पूर्व, चारों ओर के पानी के स्तर से उत्पन्न होने वाले खतरे को नहीं देखा था ?

श्री आबिद अली: मैं बता चुका हूं कि सात फुट गहरा पानी कोयले की खान के चारों ओर था और मैनेजर किसी प्रकार के खतरे की आशा नहीं करता था। पिछले इक्कीस घन्टे से मैनेजर वहीं है। वह एक योग्य तथा अनुभवी अधिकारी है ?

श्री पी० सी० बोस: क्या मैं जान सकता हूं कि खान किस प्रकार की थी---पिट, इन्क्लाइन या ओपेनकट खान थी?

श्री आबिद अली: इन्क्लाईन, श्रीमान्।

श्री सैय्यद अहमद: मैं उस कोयले की खान के मालिक का तथा उस के मैनेजर का नाम जानना चाहता हूं।

श्री आबिद अली: मैं बता चका हूं कि कोयले की खान के मैनेजर के पास प्रथम वर्ग का कोल माइन्स मैनेजर्स सर्टीफिकेट आफ काम्पीटेंसी है तथा उस को २१ वर्ष का अनुभव प्राप्त है।

श्री सैय्यद अहमद: हम मालिक तथा मैनेजर का नाम जानना चाहेंगे।

श्री आबिद अली : यदि माननीय सदस्य इस कोयले की खान के मालिक तथा मैनेजर का नाम जानने के इतने उत्सुक हैं, तो उन को एक अलग प्रश्न की सूचना देनी चाहिये।

श्री जोकीम अल्वा: इस दुर्घटना को देखते हुए, क्या सरकार खानों में इस प्रकार के अभावों या कमियों को दूर करने के लिये निरीक्षकों का एक दल भेजने का विचार करती है ?

श्री आबिद अली : खान निरीक्षक ने उस क्षेत्र का निरीक्षण किया है तथा जांच भी की है। धानबाद में नियुक्त उपप्रधान खान निरीक्षक भी उस क्षेत्र में हो आये हैं, तथा उन्हों ने बड़ी गहराई के साथ मामले की छान बीन की है। वह वहां पर १२ अगस्त तक रहे और उन्होंने अपना प्रतिवेदन भेजा है जिस पर हमने विचार किया है। हमारा विचार है कि इस सम्बन्ध में और कोई कार्यवाई आवश्यक नहीं है सिवाय मजदूरों के लिये बदले का काम ढूंडने के, जो किया जा रहा है, तथा मरने वालों के सम्बन्धियों को प्रति कर दिलाने के।

श्री पुन्नूस: दस वर्ष पूर्व उसी स्थान पर धरती थोड़ा धंस गई थी। क्या यह सच है कि मजदूरों के द्वारा अनेक अभ्यावेदन– एक बार संसद् के सदस्य श्री विट्ठल राव के द्वारा – दिये जाने पर भी उस कोयले की खान में अब भी आदिम युग का वातावरण मौजूद है ?

श्री आबिद अली: श्रीमान् यदि मुझे ठीक ठीक याद है तो इस खान में १९३३ व १९३६ में दुर्घटनायें हुई तथा जो भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं उन पर उचित रूप से ध्यान दिया गया है।

डा० राम सुभग सिंह: माननीय मंत्री कह रहे थे कि उस विशेष कोयले की खान के मैनेजर के पास एक बहुत अच्छा प्रमाण पत्र है तथा उसे २१ वर्ष का कार्य का अनुभव

है। श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि फिर भी माननीय मंत्री उस का नाम बताने में क्यों असमर्थ हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन का कहना है कि उन्हें मालूम नहीं है।

श्री आबिद अली : मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में हिचकिचाता नहीं हूं। वास्तव में मुझे उन का नाम मालूम नहीं है।

श्री मुहोउद्दीन : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि उस समय जब मजदूर कार्य करने के लिये उतरे, गड्ढे में पानी का स्तर कितना था और जब कार्य आरंभ हुआ तो पानी के चूने की रफ़्तार क्या थी जिस के द्वारा पानी एकत्रित हो रहा था ?

श्री आबिद अली : इस प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे पूछ ताछ करनी पड़ेगी। मुझे उस समय की स्थिति मालूम नहीं जब मजदूर अन्दर गये परन्तु पानी बढ़ने की रफ़्तार लगभग ६ में एक थी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कोयले पर विशेष-कर

*८४९. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कोयले पर प्रथम बार विशेष कर लगाये जाने के कारण क्या थे ;

(ख) क्या वे कारण जो उस समय विद्यमान थे अब भी हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने नए कोयले के विषय में से विशेष कर हटाने पर विचार किया है; तथा

(घ) कोयले पर से विशेष-कर हटाने के परिणाम स्वरूप कुल कितना घाटा होगा और यदि किसी प्रकार यह विनियोजित किया भी गया तो वह किस प्रकार सम्भव होगा ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) कोयले के निर्यात पर व्यापारिक करारोप राजस्व के प्रयोजनों के लिये ऐसे समय में आरम्भ किया गया था जब विदेशी बाज़ारों में भारतीय कोयले की मांग अधिक थी।

(ख) नहीं।

(ग) हां। तब से व्यावसायिक कर हटा दिया गया है।

(घ) यह कहना कठिन है कि इस में कोई घाटा हुआ है। कर के हटाये जाने पर भी, भारतीय कोयले की प्रतिद्वंद्वितात्मक स्थिति पर आज की परिस्थितियों का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि निर्यात में कमी हो गई है। १९५२-५३ में इस माध्यम से लगभग १.६ करोड़ रुपये की आय थी।

चल-चित्र

*८७०. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीणों को दिखाने के योग्य चलचित्रों को एक बड़ी मात्रा में संगठित किये जाने की आशा है; तथा

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत सभी सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में चल-चित्र यन्त्र लगाये जायगे ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) हां।

नमक

*८७१. **श्री संगण्णा :** क्या उत्पादन मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि उड़ीसा में पड़ोसी राज्यों से नमक आयात किये जाने के कारण उड़ीसा राज्य में बना हुआ नमक बिक नहीं पाता ;

(ख) यदि ऐसा है, तो पड़ोसी राज्यों से आयात किये जाने के कारण क्या हैं ; तथा

(ग) उड़ीसा के नमक निर्माताओं के हितों की सुरक्षा के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) वास्तव में उड़ीसा का बना हुआ सभी नमक बिक जाता है । अतः यह कहना कि उड़ीसा का नमक बिकता नहीं, गलत होगा । अन्य राज्यों से आयात किये गये नमक के बिकने में अधिक सुविधा रहती है ।

(ख) और (ग) । उड़ीसा म उस की आवश्यकता का लगभग ५० प्रतिशत ही नमक का उत्पादन होता है, शेष आयात करना ही पड़ता है । उड़ीसा के लिये नमक का कोटा राज्य में किए गये उत्पादन तथा स्टाक को दृष्टि में रखते हुए तथा राज्य सरकार के परामर्श के पश्चात निश्चित किया जाता है । नमक के लेने, ले जाने में आयात को "क्षेत्रीय योजना" के अन्तर्गत, व्यवस्थित किया जाता है और अब तो केवल मद्रास से आयात करने की ही अनुमति है । आयात के लिये कोटे में धीरे-धीरे कमी की जा रही है ।

"विलायक निस्सारण" रीति

*८७२. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) "विलायक निस्सारण" रीति तथा भारत में तेल उद्योग के सुधार के लिये विलायक निस्सारण संयन्त्र के प्रतिस्थापन में क्या प्रगति हुई है ; तथा

(ख) इस रीति के परिणाम स्वरूप तिलहन से निकाले गए अतिरिक्त तेल की प्रतिशतता कितनी होगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) विलायक-निस्सारण संयन्त्र की स्थापना के लिये १२ फर्मों को लाइसेंस पहले से ही जारी किये जा चुके हैं और ७ फर्मों के लिये शीघ्र ही जारी किये जायेंगे । प्रति वर्ष लगभग २००,००० टन खली वर्तमान में इस रीति से तेल निकालने में बना लेने का विचार किया जाता है ।

(ख) साधारण तः घन्नी से प्राप्त होने वाली खली में अवशिष्ट तेल १४ प्रतिशत तक तथा तेल पेरने वाले कारखानों से प्राप्त होने वाली खली में ७ प्रतिशत तक तेल रह जाता है । "विलायक-निस्सारण" रीति के द्वारा तेल निकालने में खली में केवल एक प्रतिशत ही तेल बचा करेगा ।

जबलपुर में पशु-प्रजनन फार्म

*८७३. **सेठ गोविन्द दास** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने दो वर्ष बीते जबलपुर में भूतपूर्व पशु-प्रजनन फार्म के अधिकार में जो ३००० एकड़ भूमि है और जो अब अनुपजाऊ पड़ी हुई है, उस को विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये उपलब्ध कराने का निर्णय कर लिया है ?

(ख) इस में से कितने एकड़ भूमि पट्टे पर दी गई थी और कितनी पर वास्तव में कृषि की गई थी ?

(ग) क्या सरकार इस भूमि को अल्पावधि के आधार पर पट्टे पर देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) हां ।

(ख) ४१३ एकड़ भूमि में से जो तत्काल ही कृषि के लिये प्राप्य है अथवा जिस पर हल्के-हल्के ट्रैक्टर चलाने की आवश्यकता है, ३०० एकड़ आकारानुसार

टुकड़ों में विस्थापित व्यक्तियों को नियत कर दी गई थी। उस क्षेत्र को जिस पर गहराई से ट्रैक्टर चलाने की आवश्यकता है बड़े बड़े गैरपंजाबी विस्थापित जमीदारों के नाम नियत करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है जो अपने व्यय से उस को पुनः कृषि योग्य बना सकते हैं।

(ग) फार्म के सम्बन्ध में प्रस्तावित विचाराधीन व्यवस्था का प्रबन्ध राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया है।

काश्मीरी विस्थापित व्यक्ति

*८७४. **श्री हेम राज:** (क) क्या पुनर्वास मंत्री उन काश्मीरी विस्थापित परिवारों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जो पहले योल कैम्प में थे और अब विभिन्न स्थानों में पुनर्वासित हैं ?

(ख) उन को कितनी राशि ऋण के रूप में दी गई है ?

(ग) क्या उन के पुनर्वासन का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर है अथवा उस राज्य सरकार पर जहां से वे भेजे गए हैं ?

(घ) क्या सरकार ने उन्हें एक बड़ी राशि में अपने लिये मकान बनवाने तथा व्यापार आरम्भ करने के लिये ऋण देने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) ४,३६२ परिवार।

(ख) अब तक २०.२७ लाख रुपये।

(ग) पुनर्वासन का उत्तरदायित्व भारत सरकार तथा राज्य सरकारों का सम्मिलित उत्तरदायित्व है।

(घ) हां, जहां कहीं आवश्यक समझा गया व्यापार तथा मकान के लिये ऋण एक ही किस्त में दे दिया गया है।

कपास में द्वैध रक्षण व्यापार

*८७५. **श्री राधेलाल व्यास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के सह-सचिव मध्य भारत के कपास के द्वैध रक्षण व्यापार की सम्भावनाओं की जांच करने के लिये प्रेषित किये गये थे ?

(ख) क्या वे भूतपूर्व ग्वालियर राज्य द्वारा विनियोजित कपास में द्वैध रक्षण संविधाओं की कार्य प्रणाली की जांच करने के लिये उज्जैन गये थे ;

(ग) क्या उज्जैन के व्यापारियों ने द्वैध रक्षण संविदा की अनुमति के लिये आवेदन पत्र भेजा है ; तथा

(घ) यदि ऐसा है, तो अब तक अनुमति न देने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख)। नहीं, श्रीमान, पराधिकारी ने मध्य भारत के दौरों में उज्जैन का दौरा भी भारत के वायदा बाज़ारों की कार्यप्रणाली के आरम्भिक अध्ययन करने के लिये किया था।

(ग) हां, श्रीमान्।

(घ) ऐसे संविदाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिये कार्यपद्धति की स्थापना, ऐसी अनुमति देने पर विचार करने के पूर्व, करनी होगी। वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम, १९५२ तब से लागू कर दिया गया है और वायदा बाजार आयोग की स्थापना भी की जा चुकी है, जो भविष्य में यदि कपास में द्वैध रक्षण संविदा के लिये अनुमति मांगी गई तो अनुमति प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करेगी।

नदी तथा विद्युत परियोजनायें

*८७६. **श्री यू० एम० त्रिवेदी :** (क) क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री १५ सितम्बर १९५० के केन्द्रीय मण्डली सिंचाई के इश्तहार में प्रकाशित संख्या ३ में वर्णित नदी तथा विद्युत की ४७ परियोजनाओं में से आज तक जो पूरी हो गई हैं उन की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) इन में से कितनी के लिये १९५२ में पूर्ण हो जाने की आशा थी ?

(ग) कितनी के लिये १९५३ में पूरी होने की आशा की जाती है ?

(घ) चम्बल परियोजना में कितनी प्रगति हो चुकी है और कब तक उस के पूर्ण हो जाने की आशा है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) संख्या ३, १९५० में 'सिंचाई तथा विद्युत के लिये भारत में नवीन परियोजनाएं' शीर्षक वाले इश्तहार में जो सितम्बर १९५० में सिंचाई तथा विद्युत केन्द्रीय मण्डली द्वारा जारी किया गया था, वर्णित परियोजनाओं की संख्या ५८ है, ४७ नहीं ।

५८ परियोजनाओं में से ४६ के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध है । इन ४६ में से आज तक सात परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं ।

(ख) दो ।

(ग) छः ।

(घ) चम्बल परियोजना के संबंध में गान्धी सागर बांध की नींव खोदने का कार्य हो रहा है । गान्धी सागर बांध को १९५८-५९, राणाप्रताप सागर बांध को १९६० तथा कोटाह बांध एवं नहरें योजना भाग को १९५७-५८ तक पूरा कर लेने का कार्यक्रम बनाया जा चुका है ।

नार्थ ईस्ट फ्रंटियर के लिये पदाधिकारी

*८७७. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने उत्तर पूर्व फ्रंटियर एजेंसी के लिये विशेष योग्यता प्राप्त पदाधिकारियों को भर्ती करने का निश्चय किया है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या भारत सरकार ने उत्तर पूर्व फ्रंटियर के लिये पूर्व सैनिक पदाधिकारियों को भर्ती किया है ; और

(घ) यदि हां, तो अब तक कितने भर्ती किये जा चुके हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) उत्तर पूर्व फ्रंटियर एजेंसी में सेवा के लिये चुने गये पदाधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देने के कुछ प्रस्तावों पर विचार हो रहा है ।

(ख) एजेंसी क्षेत्र में हमारे पदाधिकारियों को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है । वहां की दशायें असाधारण हैं, जिन लोगों मे व्यवहार करना पड़ता है उन्हें पूरी तरह समझने तथा उनके साथ मित्रता का व्यवहार करने की आवश्यकता है । अतएव इस क्षेत्र में रहने वाले आदिम जाति के लोगों के प्रति इस प्रकार के व्यवहार में हमारे पदाधिकारियों को प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है । वहां संचार सम्बन्धी कठिनाइयां हैं और कार्य बहुत कठिन प्रकार का है ।

(ग) और (घ)। उत्तर पूर्व फ्रंटियर एजेंसी क्षेत्र में कुल मिला कर १८ पूर्व सैनिक कमीशन प्राप्त पदाधिकारी सेवा युक्त हैं । इस संख्या में कुछ आदिम जाति पदाधिकारी तथा सेना से, आसाम राज्य

से एवम् सी० पी० डब्ल्यू० डी० से डेपुटेशन पर गये हुए पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं। इस के अतिरिक्त 'आसाम राइफिल्स' नाम से एक विशेष पुलिस बल है। इस के अधिकतर पदाधिकारी सेना से हैं।

मनीपुर का विकास

*८७८. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत मनीपुर के मैदानी तथा पहाड़ी इलाकों के लिये क्रमशः सन् १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में कितनी कितनी राशियां व्यय की जा चुकी हैं और की जायेंगी ;

(ख) क्या यह सच है कि स्टाफ के कमी के कारण मनीपुर सरकार ने कोई 'नेशनल एक्सटेन्शन ब्लाक' स्वीकार नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो कितने प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है ; और

(घ) राज्य की आवश्यकता को पूरी करने के हेतु सरकार ने लोगों को प्रशिक्षित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) सूचना संकलित की जा रही है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रत्येक ब्लाक के लिये दस ग्राम्य कार्यकर्त्ता तथा दो सामाजिक शिक्षा संगठन कर्त्ता।

(घ) ग्राम्य कार्यकर्त्ताओं को जोरहाट आसाम में प्रशिक्षित किया जायेगा, सामाजिक शिक्षा संगठन कर्ताओं को शांतिनिकेतन में प्रशिक्षित किया जायेगा।

दक्षिण अर्काट में लिगनाइट परियोजना

*८७९. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि 'हाई पावर समिति' के सदस्य अगस्त, १९५३ के प्रथम सप्ताह में मद्रास राज्य के दक्षिण अर्काट जिले में निवेली पर लिगनाइट परियोजना को देखने गये थे ?

(ख) यदि हां, तो अब तक हुई प्रगति से वह कहां तक संतुष्ट हैं ?

(ग) क्या यह सच है कि फुटकर हिस्सों की कमी के कारण परियोजना पर मशीनें बेकार पड़ी हैं ?

(घ) क्या मद्रास सरकार ने केन्द्रीय सरकार से फुटकर हिस्से देने की प्रार्थना की है ?

(ङ) यदि हां, तो अब तक क्या किया गया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) से (ग)। सूचना मद्रास सरकार से मंगाई गई है और प्राप्त होते ही सदन पटल पर रखी जायेगी।

(घ) जी हां।

(ङ) भारत सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त 'इंडियन माइनिंग एंड कान्सट्रक्शन कम्पनी' के स्टाक से मांगे गये कुछ भाग भेज दिये गये हैं। शेष के सम्बन्ध में मद्रास सरकार से लिखा पढ़ी हो रही है।

काली मिर्च पर निर्यात शुल्क

*८८०. **श्री ए० एम० टामस** : (क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि काली मिर्च पर जब बर्तमान निर्यात शुल्क की दर स्वीकृत की गई थी उस समय उसका मूल्य क्या था ?

(ख) जुलाई और अगस्त, १९५३ में काली मिर्च का क्या मूल्य था ?

(ग) समय समय पर निर्यात शुल्क निर्धारित करने में सरकार ने किन सिद्धातों को ध्यान में रखा है ?

(घ) क्या हाल में सरकार ने शुल्कों में कोई परिवर्तन किए हैं ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार को ऐसा करने का कोई विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) काली मिर्च पर वर्तमान निर्यात शुल्क १-३-५३ को निर्धारित किया गया था जब कि उसका मूल्य कोचीन में ६७५ रुपये प्रति हंड्रेडवेट था ।

(ख) जुलाई १९५३—४८१ रु० ११ आने प्रति हंड्रेडवेट, १५ अगस्त १९५३—४१८ रुपये ५ आने प्रति हंड्रेडवेट ।

(ग) विदेशी बाजारों में इसे स्पर्धा रहित बना कर, शुल्क को निर्यात व्यापार के मार्ग में बाधा न बनाते हुए, अतिरिक्त नफे को ले लेने का प्रयत्न किया जाता है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) जहां तक वित्तीय मामलों का प्रश्न है, स्पष्ट कारणों से सरकार के लिये पहले से अपना इरादा बताना सम्भव नहीं है ।

विदेशी शराब

*८८१. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) किन किन देशों से विदेशी शराबें, बीयर इत्यादि आयात की जाती हैं; और

(ख) इस बात की दृष्टि में कि भारत में शराब बनाने के कारखाने पर्याप्त मात्रा में तथा अच्छी किस्म की शराबें तैयार कर रहे हैं, वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण उनका आयात किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) मुख्यतः इंगलैंड, नीदरलैंड्स, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, इटली, अमरीका, स्पेन और पुर्तगाल से ।

(ख) सीमित आयात की अनुमति दी गई है क्योंकि देशी उत्पादन पर्याप्त नहीं है और इस के उपभोक्ताओं की मांग अधिक अच्छी किस्म के लिये है ।

खरिया

*८८२. **श्री मुरारका** : क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान से प्रति वर्ष सिन्दरी उर्वरक फैक्टरी द्वारा कुल कितनी खरिया खरीदी जाती है;

(ख) यह किस दर पर खरीदी जाती है ; और

(ग) क्या राजस्थान सरकार तथा सिन्दरी फैक्टरी के बीच किसी निश्चित समय तक खड़िया देने के सम्बन्ध में कोई समझौता है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) लगभग २,५०,०० टन प्रति वर्ष ।

(ख) एफ० ओ० आर० जमसेर तक ८७ प्रति शत शुद्ध खरिया ५ रुपये १४ आने प्रति टन के हिसाब से ।

(ग) जी नहीं ।

एम्पोरिया (वाणिज्यालय)

*८८३. **श्री अच्युतन** : (क) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विदेशों में एम्पोरिया खोलने और प्रदर्शनियों में भाग लेने तथा हमारे दूतावासियों में देशी कलात्मक कृतियों और अन्य निर्मित वस्तुओं विशेषकर दस्तकारी की वस्तुओं के प्रदर्शन करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

(ख) इस समय विदेशों में हमारे कितने एम्पोरिया हैं और ये एम्पोरिया किन किन देशों में खोले गये हैं ?

(ग) क्या इन देशों के साथ हमारे निर्यात में कोई वृधि हुई है, जहां इस प्रकार के प्रचार कार्य किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हमारे उद्देश्य यह हैं कि जिस माल का हम निर्यात करना चाहते हैं उस के लिये यथा सम्भव अधिक प्रचार कार्य करके अपने निर्यात व्यापार में वृद्धि करें। हम चाहते हैं कि विदेशों में हमारे प्रत्येक दूतावास में एक प्रर्दशनालय (शो-रूम) अथवा वाणिज्यिक वस्तुप्रर्दशनालय (कामर्शियल सैम्पुल्स रूम) की व्वस्था हो। अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखते हुए हम वहुत से अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शिनियों में भी भाग लेते हैं, और ऐसा प्रति वर्ष मेले के महत्व तथा उस में भाग लेने से हमें लाभ होने की सम्भावना के आधार पर किया जाता है ।

(ख) एक सूची सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३७]**

(ग) जी हां। चूंकि सरकार वाणिज्यिक सार्थों की ओर से विशिष्ट वाणिज्यिक आर्डर्स बुक नहीं कर सकती, इसलिये इस यात्रा में कितनी वृद्धि हुई इसका निर्धारण करना संम्भव नहीं ।

कुटीर उद्योग उत्पाद

*४६७. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, मिल में वनी वस्तुओं के मुकाबले में कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों म बनी वस्तुओं के दामों में रियायत दिये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्य सरकारों द्वारा हाल ही में जारी किये गये आदेशों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या भारत सरकार के वस्तु क्रय विभागों में इस प्रकार की नीति अपना ली गई है ?

(ग) क्या भारत सरकार ने अपने विभागों को उसी प्रकार के अनुदेश जारी किये हैं ; तथा

(घ) क्या मिल में वनी वस्तुओं के मुकाबले में छोटे पैमाने और कुटीर उद्योगों में बनी वस्तुओं को अधिमान देने के लिये सभी राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार में एक समान वस्तु क्रय नीति अपनाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग)। भारत सरकार ने देश में कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास किये जाने की आवश्यकता को मान लिया है और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, उसने अपना (निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय) दिनांक २० जून १९५२ का संकल्प संख्या क्रय-आई-४ (आई) जारी किया, जिस में मिल में बनी वस्तुओं के मुकाबले में कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को पर्याप्त अधिमान दिये जाने की व्यवस्था की गई है ।

संकल्प की प्रतियां सभी राज्य सरकारों को भी भेज दी गई थीं ।

(घ) चूंकि यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है कि मिल में वनी वस्तुओं के मुकाबले में छोटे पैमाने तथा कुटीर उद्योगों में बनी वस्तुओं को अधिमान दिया जाय इसलिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें एक समान नीति का अनुसरण कर रही हैं । फिर भी, प्रत्येक राज्य मूल्य में रियायत की प्रतिशतता जिसे कि वह राज्य में व्याप्त दशाओं तथा

क्रय किये जाने वाली वस्तुओं के प्रकार तथा महत्व को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझें, निर्धारित करने के लिये स्वतंत्र है ।

साबुन

४६८. **श्री वी० पी० नायर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साबुन बनाने की फैक्टरियों में कुल कितनी पूंजी विनियोजित है;

(ख) इस में कितनी विदेशी पूंजी है; तथा

(ग) १९४७-४८ से १९५२-५३ तक की अवधि में इन फैक्टरियों को कुल कितना लाभ हुआ ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार, मशीनों से साबुन बनाने वाली फैक्टरियों में विनियोजित कुल पूंजी लगभग साढ़े बारह करोड़ रुपये है ।

(ख) तथा (ग) । यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

अगरतला कैम्प

४६ **श्री बीरेन दत्त** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अगरतला के निर्णाश्रत स्त्रियों के कैम्प में रहने वाली स्त्रियों की संख्या कितनी है ?

(ख) उन में से कितनों को वहां से बाहर भेज दिया गया है ?

(ग) उन क वहां से बाहर भेजे जाने के क्या कारण हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) ६००।

(ख) २७ से कैम्प छोड़ देने के लिये कहा गया था, किन्तु बाद में पांच स्त्रियों को उनके आश्रितों के साथ पुनः प्रविष्ट कर लिया गया था ।

(ग) दुर्व्यवहार के कारण, जिसमें रसोइया पर हमला करना और नियंत्रण भंग करना तथा समाज विरोधी कार्य में भाग लेना आदि सम्मिलित हैं ।

रेशम के धागे

४७०. **श्री भवनजी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस देश में रेशम के धागे का कुल कितना उत्पादन होता है ?

(ख) रेशम के धागे के लिये देश की कुल मांग कितनी है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि लाईसेंस दिये जाने की पिछली कुछ अवधियों में रेशम के धागे के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा रहा है ?

(घ) यदि ऐसा है, तो इस प्रकार के प्रतिबन्ध के क्या कारण ह?

(ङ) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि देश में रेशम के धागे के बहुत कम मिलने के कारण इसका दाम बहुत अधिक बढ़ गया है जिस से उपभोत्ताओं को बहुत कठिनाई हो रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : (क) तथा (ख)। तटकर आयोग ने यह अनुमान लगाया है कि मांग लगभग ९० लाख गज है । मांग के अनुसार उत्पादन प्रतिवर्ष भिन्न भिन्न रहा है ।

(ग) जी नहीं । मार्च १९५३ से ऐसे रेशम के धागे के, जिसमें १० प्रतिशत से अधिक और ९० प्रतिशत तक रेशम हो,

एक विशेष सीमा तक आयात करने की अनुमति दी गई है ।

(घ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) जी हां, गत जून में बम्बई के एक व्यापार संघ का अभिवेदन प्राप्त हुआ था । वह इस मिथ्या धारणा पर आधारित था कि आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

रेशम

४७१. **श्री भवनजी :** (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में चर्खे तथा अटारने से कितना कच्चा रेशम तय्यार किया जाता है ?

(ख) देश में कच्चे रेशम की अनुमानित खपत कितनी है ?

(ग) रेशम के कीड़े पालने के उद्योग में इसके संरक्षण काल में इसकी मात्रा तथा किस्म के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई ?

(घ) देश में तय्यार किये जाने वाले कच्चे रेशम की किस्म किस श्रेणी की होती है ?

(ङ) विदेशों से आयात किये जाने वाले कच्चे रेशम की किस्म किस श्रेणी की होती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : १९५२ में उत्पादन इस प्रकार था :

अटेरने से तैयार किया गया कच्चा रेशम	२७०,६०३ पौं०
चरखे से तय्यार किया गया कच्चा रेशम	१,४७४,११५ पौं०
कुल योग	१,७४४,७१८ पौं०

(ख) लगभग ३० लाख पौंड प्रतिवर्ष ।

(ग) शहतूत के पेड़ की खेती, ग्रेनेज टैक्नीक, रेशम के कीड़े पालने, कच्चे रेशम को अटेरनों पर लपेटने में होने वाले सुधार की दृष्टि से तथा रेशम के धागे लपेटने की नवीनतम प्रकार मशीन बन जाने के कारण कच्चे रेशम की किस्म में कुछ सीमा तक सुधार हुआ है । इसके उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है ।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय 'डी' श्रेणी ।

(ङ) 'ए', 'ए ए' तथा 'ए ए ए' श्रेणियां ।

रेशम के कीड़े पालने का उद्योग

४७२. **श्री भवन जी :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रशुल्क आयोग ने रेशम के कीड़े पालने के उद्योग की अपनी अन्तिम जांच का प्रतिवेदन सरकार के पास भेज दिया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार उस प्रतिवेदन पर विचार कर चुकी है तथा उसके सम्बन्ध में अपना निर्णय कर चुकी है ।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) उस प्रतिवेदन पर सरकार विचार कर रही है ।

शब्द "आर्ट शिल्क" अथवा कृत्रिम रेशम

४७३. **डा० एम० एम० दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) ऐसे अनेक प्रकार के सूत, जिनके लिये भारत में वर्तमान समय में, शब्द 'आर्ट सिल्क' अथवा कृत्रिम रेशम, का प्रयोग किया जाता है;

(ख) क्या ट्रेडमार्क अधिनियम के अन्तर्गत इस शब्द की रजिस्ट्री हो चुकी है;

(ग) क्या इस शब्द के प्रयोग के सम्बन्ध में किसी विशेष फ़र्म या उद्योग को कोई विशेष हक़ प्राप्त हैं;

(घ) क्या इस शब्द के द्वारा समझे जाने वाले अनेक प्रकार के सूतों की कोई परिभाषा किसी राजकीय गश्ती चिट्ठी, नियमों या अधिनियमों में, की गई है; तथा

(ङ) यदि हां तो क्या ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) शब्द 'आर्टसिल्क' में सम्मिलित हैं, सूत के ऐसे वस्त्र निर्माण उपयोगी रेशे, जिनका उत्पादन, सेलूलूज़ से या विस्कोज़, एसीटेट, कुपरामोनियम, नाइट्रो सेलूलूज़ या अन्य प्रक्रियाओं के अधीन सेलूलूज़ आधार से रसायनिक रूप से किया जाता है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(घ) नहीं, श्रीमान् ।

(ङ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

विस्थापित विद्यार्थी तथा शिक्षक

४७४. **श्री वी० पी० मिश्र** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अभी तक कितने विस्थापित विद्यार्थियों को सरकार की ओर से छात्र-वृत्तियां दी गई हैं ;

(ख) कितने विस्थापित शिक्षकों को विभिन्न राज्यों में बसाया गया है तथा उन्हें नौकरियां दी गई हैं अथवा अन्य व्यवसायों में लगा दिया गया है;

(ग) बिहार राज्य में कितने विस्थापित विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं तथा कितने विस्थापित शिक्षकों को बसाया गया है; और

(घ) यदि भाग (क), (ख) और (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो अभी तक इस कार्य में कितने रुपये खर्च हुए हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) से (घ) । अपेक्षित जानकारी इस समय प्राप्त नहीं है । उक्त जानकारी एकत्र करना उसके परिणामों को देखते हुए उचित नहीं होगा ।

साबुन बनाने के कारखाने

४७५. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : (क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में साबुन बनाने वाले सार्थ कितने हैं ?

(ख) इन में से कितने विदेशी हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जहां तक पता है, भारत में साबुन बनाने वाले संगठित सार्थ ६६ हैं ।

(ख) उपरोक्त समस्त सार्थ भारतीय समवाय अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध हैं । परन्तु तीन साबुन बनाने वाले सार्थों में विदेशी पूंजी लगी बतलाई जाती है ।

फ़िल्मों का अस्वीकृत तथा प्रमाणित किया जाना

४७६. **श्री दाभी** : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या पग उठाये हैं कि केन्द्रीय फ़िल्म सैंसर बोर्ड की जांच समिति को उन सिद्धान्तों के सम्बन्ध में दिये गये निदेशों का पालन हो जिन पर इस बात का निर्धारण करते समय अमल किया जाये कि अमुक फ़िल्म सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये उपयुक्त है या अनुपयुक्त;

(ख) १९५३ में केन्द्रीय फ़िल्म सेंसर बोर्ड ने किन फ़िल्मों को अबाध सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये पूर्णतः या अंशतः अनुपयुक्त ठहराया तथा क्यों; तथा

(ग) १९५२ में किन फ़िल्मों को केवल व्यस्कों द्वारा देखे जाने के लिये उपयुक्त ठहराया गया ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) इस बात का निर्धारण करने में कि अमुक फ़िल्म सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये उपयुक्त है या नहीं, अमल किये जाने वाले सिद्धान्तों सम्बन्धी निदेश केन्द्रीय फ़िल्म सेंसर बोर्ड द्वारा जांच समिति को दे दिया गया है।

(ख) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें यह बतलाया गया है कि १९५३ में कौन कौन से फ़िल्म केन्द्रीय फ़िल्म सेंसर बोर्ड द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये अनुपयुक्त ठहराये गये तथा कौन कौन से फ़िल्मों में से कुछ अंश काटे गये। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३८]

इस सम्बन्ध में विनिश्चय मंत्रणा परिषद् के सदस्यों द्वारा जांच समिति के सदस्यों की तथा कतिपय मामलों में पुनरीक्षण समिति के सदस्यों की हैसियत से व्यक्त किये गये विचारों के प्राप्त होने के बाद किये जाते हैं; प्रत्येक मामले में विशिष्ट कारण तो प्राप्य नहीं है, परन्तु जिस मुख्य आधार पर फिल्मों के कुछ अंश काटे गये या उन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये अनुपयुक्त ठहराया गया वह यह था कि उन फ़िल्मों में अपराध या वासना का आपत्तिजनक चित्रण किया गया था या वे शिष्टाचार या नैतिकता के माने हुए सिद्धांतों का उल्लंघन करते थे या विधि तथा व्यवस्था अथवा विदेशी सम्बन्धों के दृष्टिकोण से आपत्तिजनक थे।

(ग) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३९]

डालर तथा स्टर्लिंग क्षेत्रों को निर्यात

४७७. **पंडित एम० बी० भार्गव**: (क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९५३ से जून १९५३ के अन्त तक भारत से डालर तथा स्टर्लिंग क्षेत्रों को कितने कितने मूल्य की वस्तुयें भेजी गईं ?

(ख) ये आंकड़े गत वर्ष की इसी कालावधि के आंकड़ों की तुलना में कैसे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख)। एक तुलनात्मक विवरण संलग्न है जिसमें जनवरी-जून १९५३ में तथा १९५२ की इसी कालावधि में भारत से बाहर भेजी गई विभिन्न वस्तुओं का कुल मूल्य दिया गया है।

विवरण

भारत से जनवरी-जून २९५३ में तथा १९५२ की इसी कालावधि में बाहर भेजे गये वाणिज्य द्रव्य का कुल तुलनात्मक मूल्य

लाख रुपयों में

	जनवरी—जून १९५२	जनवरी—जून १९५३
डालर क्षेत्र	७४,४५	५९,७३
स्टर्लिंग क्षेत्र	१७३,४८	१२३,२२

उर्वरक का स्टाक

४७८. **श्री केशवैयंगार**: क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिन्दरी के उर्वरक बनाने वाले कारखाने में जनवरी से जून १९५३ तक प्रत्येक मास के अन्त में उर्वरक के स्टाक की कितनी मात्रा थी ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४०]

मद्रास तथा तिरुचिरापल्ली में स्वर परीक्षण

४७९. श्री वीर स्वामी : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी कलाकारों (स्टाफ़ आर्टिस्ट्स) तथा अन्य कलाकारों (आर्टिस्ट्स) के स्वर परीक्षण के लिये एक समिति अखिल भारतीय रेडियो के मद्रास तथा तिरुचिरापल्ली केन्द्रों को भेजी गयी थी; तथा

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारी कलाकारों तथा अन्य कलाकारों की कुल संख्या (अलग अलग) जिनका स्वर परीक्षण किया गया तथा उनकी संख्या जिनका संवरण किया गया ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री केसकर) : (क) जी हां।

(ख) कलाकारों को केवल श्रेणीबद्ध किया जाता है; संवरण आदि का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार

४८०. डा० राम सुभग सिंह: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५३–५४ के प्रथम तीन मासों में भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका को कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत में कितने मूल्य की वस्तुओं का आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) :

निर्यात २१७२ लाख रुपये।

आयात २९४५ लाख रुपये (अस्थायी)

उत्तर पूर्व सीमान्त एजेन्सी में चिकित्सा सुविधायें

४८१. श्री बेलीराम दास : (क) क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर पूर्व सीमान्त एजेन्सी में पिछले दो वर्षों में कितने नये चिकित्सालय खोले गये हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि मलेरिया, पेचिश तथा हुक वार्म रोग इस एजेंसी में सामान्य रूप से पाये जाते हैं ?

(ग) क्या यह सच है कि अबोर पहाड़ी में हर वर्ष बहुत से लोग क्षय रोग से मर जाते हैं ?

(घ) सरकार इस एजेंसी में लोगों का स्वास्थ्य सुधारने के लिये क्या पग उठाने का विचार कर रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) वर्ष १९५१ तथा १९५२ में ३० नये चिकित्सालय तथा अस्पताल खोले गये।

(ख) देश के अन्य अधिक वर्षा वाले प्रदेशों की भांति उक्त एजेंसी में भी मलेरिया काफ़ी सामान्य रूप से पाया जाता है। हां, पेचिश तथा हुक-वार्म रोग इतने सामान्य रूप से नहीं पाये जाते।

(ग) ऐसी तो कोई बात नहीं पता लगती। ऐसे क्षय रोगियों की संख्या, जिनकी चिकित्सा अथवा चिकित्सकीय प्रेक्षण किया गया, अपेक्षतया कम है।

(घ) एजेंसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने तथा सुरक्षित रखने के लिये कार्यवाही पहले ही प्रारम्भ की जा चुकी है। ५७ चिकित्सालय तथा अस्पताल, ३ चलते-फिरते स्वास्थ्य यूनिट, १४ भ्रमणशील यूनिट और १२ मलेरिया निरोधक यूनिट पहाड़ी के अन्दरूनी हिस्सों में कार्य कर रहे हैं। तीन बस्तियां कोढ़ियों के रहने के लिये भी बनाई गई हैं। पहाड़ी के

सबसे अन्दर के भागों में भी चिकित्सा-सुविधायें उपलब्ध करने के लिये पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तथा एजेंसी के सामान्य अनुदानों के अन्तर्गत भी, अतिरिक्त चिकित्सालय, अस्पताल तथा कोढ़ियों के रहने की बस्तियां स्थापित करने की प्रस्थापना है ।

नदी घाटी परियोजनाएं

४८२. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब सरकार द्वारा कितनी नदी घाटी परियोजनाओं का अनुसंधान किया जा रहा है ?

(ख) ये परियोजनायें क्या हैं जिनके विषय में हाल में ही अनुसंधान पूर्ण हो चुका है ?

(ग) क्या सरकार आने वाले वर्ष में नई परियोजनाओं को हाथ में लेने का विचार रखती है ?

(घ) यदि ऐसी बात है, तो वह कौनसी परियोजनायें हैं ?

(ङ) योजना आयोग द्वारा कृष्णा, गोदावरी और पेनार की खाड़ियों का अन्वेषण करने के लिये नियुक्त की गई खोसला समिति की क्या सिफारिशें हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा इस समय निम्न परियोजनाओं के बिषय में अनुसंधान किया जा रहा है :

१. बिहार और नेपाल में कोसी परियोजना ।

२. बम्बई और मध्य प्रदेश में नर्मदा परियोजनाएं (टावा, पुनासा और ब्रोच) ।

३. मध्य प्रदेश म महानदी परियोजना ।

४. आसाम में मानस और दिहांग परियोजनाएं ।

५. उड़ीसा में टिकड़पारा और नारज परियोजनाएं ।

(ख) निम्न परियोजनाओं के विषय में अनुसंधान हो चुका है :

१. बम्बई में साबरमती परियोजना ।

२. पश्चिमी बंगाल में गंगा बैरेज परियोजना ।

३. कुर्ग में लक्ष्मणतीर्थ और हारंगी परियोजनायें ।

४. राजस्थान में कान्तली खाड़ी नलकूप योजना ।

(ग) तथा (घ) । गोदावरी और कृष्णा की खाड़ियों के विकास के लिये अनुसंधान तथा प्रारम्भिक परिमाप करने के लिये कुछ प्रस्थापनायें विचाराधीन हैं, परन्तु इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि उनको कब हाथ में लिया जायेगा ।

(ङ) इस समिति की रिपोर्ट सदन की पिछली बैठक में पटल पर रखी गई थी । समिति की सिफारिशें रिपोर्ट के चौथे अध्याय में दी गई हैं ।

नेपा-मिल्स

४८३. **श्री चाण्डक** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बल्लारपुर और नेपा मिल्स में अभी तक कितना रुपया खर्च हुआ है तथा भविष्य में कितना रुपया खर्च होने की सम्भावना है;

(ख) मध्यप्रदेश सरकार ने इन कारखानों पर कितना रुपया खर्च किया है तथा भारत सरकार ने इन पर कितना रुपया खर्च किया है अथवा इसके लिये मध्यप्रदेश सरकार को कर्ज दिया है;

(ग) इन मिलों की जांच करने के लिये क्या सरकार न कुछ अधिकारी भेजे हैं; और

(घ) यदि हां तो (१) किन किन बातों की जांच की गई, (२) किस तारीख को यह जांच की गई; और (३) जांच से क्या मालूम हुआ ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) मध्य प्रदेश सरकार से जानकारी भेजने के लिये कहा गया है, और यह यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खर्च की गई रक़म के बारे में जानकारी मंगवाई गई है और वह भी सदन पटल पर रखी जायेगी।

(ग) भारत सरकार ने इन कारखानों पर कुछ खर्च नहीं किया है, परन्तु उसने नेपा मिल्स परियोजना की वित्तीय सहायता करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार को ९७·३३ लाख रुपये उधार दिये हैं। बेलारपुर की काग़ज की मिल के लिये कोई उधार नहीं दिया गया है।

(ग) नेपा मिल्स के सम्बन्ध में जांच करने के लिये अभी हाल में ही प्राधिकारियों का एक दल नियुक्त किया गया था। बेलारपुर की काग़ज़ की मिल के सम्बन्ध में ऐसी जॉच नहीं की गई थी।

(घ) यह प्राधिकारी जांच के उद्देश्य से २५ से २७ जुलाई १९५३ तक नेपा नगर दौरे पर गये। उनकी जांच की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई।

नमक के कारखाने

४८४. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) क्या **उत्पादन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि नमक के कारखानों पर कितना मूलधन लगाया गया है और उस मूलधन के लिये सूद की क्या दर निश्चित कर दी गई है ?

(ख) नमक के कारखानों की पुनर्नवीन सुरक्षित निधि में कुल कितना मूलधन है और क्या प्रति वर्ष कुछ निश्चित रुपया इस निधि में जमा किया जाता है ?

(ग) यदि ऐसा है, तो कितना रुपया जमा किया जाता है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : सरकारी नमक के कारखानों पर १९५१-५२ के अन्त तक कुल रक़म जो लगायी गई थी, वह १,२१,५२,७१४ रुपये थी। सरकार की अनुमति से नियंत्रक अंश लेखा परीक्षक प्रति वर्ष जो सूद की औसतन दर नियत करते हैं, वह लगाई जाती है। १९५१-५२ में सूद की दर ३·१२ प्रतिशत थी।

(ख) पुनर्नवीन सुरक्षित निधि में १९५१-५२ के अन्त में कुल धन १७,७५,४६२ रुपये था। प्रति वर्ष निश्चित रक़म इस में जमा की जाती है।

(ग) इस समय प्रति वर्ष १ लाख रुपये।

शराब की भट्टियां

४८५. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ऐसी शराब की भट्टियां कितनी हैं जहां जौ की शराब और बीयर तैयार होती है ;

(ख) भारत की इन भट्टियों की शराब तैयार करने की क्षमता कितनी है ; और

(ग) इन भट्टियों में कुल कितने गैलन शराब तैयार होती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तीन।

(ख) लगभग १,७००,००० गैलन प्रति वर्ष।

(ग) १९५२ में लगभग ४३८,००० गैलन।

बृहस्पतिवार,
२७ अगस्त, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बृहस्पतिवार, २७ अगस्त १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९·२५ म० पू०

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रशुल्क आयोग की खुश्क बैटरी तथा हाइड्रोकोनिन उद्योग सम्बन्धी रिपोर्टें तथा सरकार के तत्सम्बन्धी संकल्प

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): श्रीमान, मैं निम्नलिखित पत्रों में से प्रत्येक की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं :

(१) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय—प्रशुल्क आयोग की खुश्क बैटरी आयोग के रक्षण को जारी रखने सम्बन्धी रिपोर्ट (१९५३);

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या ५(२)—टी—ब/५३, दिनांक १५ अगस्त, १९५३ ।

(३) एक विवरण जिस में यह स्पष्टीकरण किया गया है कि उपरोक्त (१) तथा (२) में बतलाए गए पत्रों की प्रति को निश्चित समय में सदन पटल पर क्यों नहीं रखा जा सका ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या ४ आर० ३९ (एस) ।]

(४) प्रशुल्क आयोग की 'हाइड्रोकिनोन' उद्योग को प्रशिक्षण दिए रखने सम्बन्धी रिपोर्ट (१९५३) ।

(५) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या ८(३)—टी० बी०/५३, दिनांक १५ अगस्त, १९५३ ।

(६) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ८(३)—टी० बी०/५३, दिनांक १५ अगस्त, १९५३ ।

(७) प्रशुल्क आयोग का पत्र संख्या टी० सी०/आई डी/ई—७८, दिनांक २६/२८ मई, १९५३ ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या ४ आर० ११ ५(२५)]

आन्ध्र राज्य विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब आंध्र विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगा । प्रत्येक सदस्य पांच मिनट के लिए बोलेंगे ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : श्रीमान, मैं अनुभव करता हूं कि जो सदस्य इस विधेयक के विरोध में हैं, समय की बांट में उन से न्याय नहीं किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने 'अन्याय' का शब्द बहुत हल्केपन से कह दिया

[उपाध्यक्ष महोदय]

है । हम सामान्य चर्चा पर तीन दिन बिता चुके हैं तथा द्वितीय वाचन पर दो दिन

पंडित एस० सी० मिश्र (मुंगेर—उत्तर-पूर्व) : श्रीमान, भाषावार प्रान्तों के पीछे जनता की शोषण से छुटकारा पाने की आकांक्षा काम कर रही है । मुझे सरकार के वर्तमान परामर्शदाताओं के पहले की कही गई कई एक बातों को याद कर के दुःख होता है । एक समय स्वयं उन्होंने यह कहा था कि "भाषावार प्रान्तों के बनाने के पक्ष में एक तर्क यह भी है कि इस से विधान-मण्डलों का काम प्रान्तीय भाषाओं में हो सकेगा जिस से अंग्रेज़ी भाषा से अनभिज्ञ व्यक्ति भी उन की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे" ।

माननीय गृह-कार्य मंत्री ने इस विधेयक सम्बन्धी कार्यवाही में एक बार भी भाषावार प्रान्तों के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया है । यदि उन का आशय यही है कि वे अपनी धुन में लगे चलें तथा अपने विरोधियों को इस प्रकार के बेकार कामों में लगाए रखें तो भारत तथा इस की जनता की रक्षा करने वाला भगवान ही है । उन्हें ऐसी समस्याओं का शीघ्र से शीघ्र निपटारा कर देना चाहिये ।

मुझे दुःख से कहना पड़ता है कि यद्यपि बिहार, उड़ीसा तथा सिन्ध के इससे पहले पृथक राज्य बनाए जाने के दृष्टान्त मौजूद हैं, फिर भी ऐसा उदाहरण कोई नहीं है, जिस में इन राज्यों से वर्तमान राज्य की भान्ति 'सौतीले बेटे' का व्यवहार किया गया हो । हम ने वर्तमान सत्ता 'हिन्दुस्तान' के भूके तथा नंगे व्यक्ति के बल पर प्राप्त की है तथा राजाओं आदि के बल पर नहीं । यदि ऐसा स्वीकार करते हुए भी वे जन साधारण से दुर्व्यवहार करना चाहते हैं तो मेरे मत से वे संकट का आह्वान कर रहे हैं ।

मुझे खेद है कि श्री फ्रैंक एन्थनी तथा पंडित जवाहरलाल जैसे व्यक्ति जो अंग्रेज़ी आया द्वारा पाले पोसे गए हैं, भाषावार प्रान्तों के समर्थकों की भावनाएं नहीं समझ सकते तथा न ही इन के लाभ उन्हें सुझाई दे सकते हैं । जनसाधारण अपने मन की बातें तभी आप के सामने खोल सकता है, जब आप उस से उसी की भाषा में बातें करें । मैं ने माननीय गृह-कार्य मंत्री की सारे भारत के लिए एक ही भाषा अपनाए जाने की अपील को सुना है । मैं चाहता हूं कि हिन्दी शीघ्र से शीघ्र प्रबल बने । परन्तु 'पृथक्करण की मनोवृत्ति' जैसे आरोपों के लगाने का अर्थ यह है कि वे भारत को नहीं समझते । सारे भारत की संस्कृति एक है । अतएव यह निरर्थक सी बातें हैं । भाषावार प्रान्तों के बनाने से आप वास्तव में भारत को संगठित कर रहे हैं ।

कांग्रेसजन अपने वचन से अब इन्कार करते हैं तथा स्थान स्थान पर स्वयं अपनी निन्दा करते फिर रहे हैं । मेरी इच्छा थी कि कांग्रेस प्रधान यहां मौजूद होते जिस से वह कांग्रेस के सदस्यों के मुख से उन के अपने ही साथियों के बेईमान होने के आरोपों को वह सुन सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें आन्ध्र राज्य विधेयक तक सीमित रहना चाहिये ।

पंडित एस० सी० मिश्र : परन्तु अब उन्हें बुद्धिमत्ता आ रही है । फिर भी आंध्र राज्य की स्थापना के समय उन्हें इस से अच्छा व्यवहार करना चाहिये था । यदि वे उन्हें हैदराबाद या सिकन्दराबाद नहीं दे सकते थे तो कम से कम काफ़ी धन ही दे देते ।

अतएव मैं 'भावी उन्नति', जिस की वर्तमान संतति को तीव्र आकांक्षा है के

नाम से उन से अपील करता हूं कि कृपया अपने व्यवहार को बदलिये तथा शीघ्र बदलिये । प्रथम तो आंध्र राज्य को स्वावलम्बी बनाने के लिए पर्याप्त सहायता दीजिये तथा बाद में दूसरे भाषावार प्रान्तों के बनाने की ओर ध्यान दीजिये ।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : मैं आज अत्यन्त आश्चर्य के साथ कांग्रेस सरकार को बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं कि उन्होंने आखिर आधे मन से तथा इतने विलम्ब से सदन में आंध्र राज्य की स्थापना का विधेयक प्रस्तुत कर ही दिया है ।

मैं देखता हूं कि इस विधेयक से गैर-आन्ध्र तथा स्वयं आन्ध्र लोग भी संतुष्ट नहीं हो सके हैं । फिर भी आन्ध्र मित्रों से मेरा अनुरोध है कि उन्हें जो प्रान्त मिला है उसे परिश्रम, योग्यता तथा दूसरों के सहयोग से उन्नत करें ।

कल मेरे मित्र श्री गोपालन ने कांग्रेसियों को उन की अपनी ही कई पंक्तियां पढ़ कर सुनाई थीं । अब उन्होंने पैन्तरा बदल लिया है । परन्तु बात ऐसी नहीं कि इस विधेयक के प्रस्तुत करने से पहले वे बेकार बैठे रहे हों । उन्होंने कई राज्यों के क्षेत्रों में अपनी मनमानी से परिवर्तन किए है । जब ऐसा है तो अब वे हैदराबाद के बारे में कार्यवाही क्यों नहीं करते । यदि सचमुच वे भाषावार प्रान्तों के बनाने के पक्ष में हैं तो हैदराबाद के विभाजन को टाला नहीं जा सकता । आखिर जानते बूझते हुए या अज्ञानवश इतनी गलतियां करने पर भी निज़ाम को वहां क्यों रहने दिया जाय । भाषावार प्रान्तों के बनाने में हैदराबाद का विघटन आवश्यक है ।

कई लोग प्रान्तीय तथा अलग होने की प्रवृत्ति की बातें करते हैं, परन्तु तनिक भारत के वर्तमान चित्र पर दृष्टि डालिये । आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य भारत सभी भाषावार प्रान्त हैं । दक्षिण में सभी भाषाओं के मिले जुले क्षेत्र हैं । आप को उन्हें भाषावार अलग करना ही होगा ।

मैं स्वयं एक महाराष्ट्र निवासी हूं । हम लोग हैदराबाद, बम्बई तथा मध्य प्रदेश के तीन राज्यों में बटे हुए हैं तथा कहीं भी हमारी बहु संख्या नहीं है । इसी कारण भारत सरकार हम से सौतीलेपन का व्यवहार करती है । भाषावार प्रान्तों की आज अवश्य ही मांग है । यदि आप इन्हें नहीं बनाना चाहते तो फिर इस की चिन्ता ही क्यों करते हैं ? भारत के वर्तमान प्रान्तों में से कितने ही प्रान्त भाषा के आधार पर बने हुए हैं तथा देश में कितने ही विधान मण्डल बने हुए हैं । छोटे छोटे प्रान्तों--जैसे भोपाल--तक में विधान मण्डल हैं जिस से उपरि व्यय कितना ही बढ़ जाता है । मेरे कहने पर चलिये तथा सभी प्रान्तों और विधान मण्डलों को मिटा दीजिये और उन के स्थान पर प्रशासन के लिए कुछेक क्षेत्रों में बांट दीजिये । ये सभी विधान मंडल भ्रष्टाचार का अखाड़ा हैं । आप इन सब प्रान्तों तथा विधान मण्डलों को विघटित कर दीजिये तथा प्रशासी क्षेत्रों की स्थापना कर के उन में आयुक्त या राज्यपाल नियुक्त कीजिये । उन की सहायता के लिए परामर्शदाता नियुक्त कीजिये । इस से प्रशासन कार्य में अधिक क्षमता आयेगी तथा भ्रष्टाचार कम हो जायगा । यदि आप ऐसा नहीं करते तो भाषावार प्रान्तों की स्थापना के सिवाय कोई चारा नहीं । दोनों में से किसी एक को पसन्द करना आप का काम है ।

सेठ गोबिन्द दास (मण्डला-जबलपुर--दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं डाक्टर काटजू साहब को इस बात पर बधाई देता हूं कि उन्होंने आन्ध्र के सम्बन्ध

[सेठ गोविन्द दास]

में एक विधेयक रखा और अब कुछ ही क्षणों के बाद वह कानून बन जाने वाला है।

मैं स्वयं भाषावार प्रान्तों का बड़ा भारी समर्थक रहा हूं और आज भी मैं भाषावार प्रान्तों का बड़ा भारी समर्थक हूं। कल श्री गोपालन जी ने जो बातें कहीं उन में अनेक से मैं सहमत हूं। कांग्रेस की नीति सन् १९२० से ही भाषावार प्रान्तों के पक्ष में रही है और कांग्रेस के संगठन में प्रान्तों का विभाजन उसी प्रकार हुआ है। उस विभाजन के बाद जो कांग्रेस का कार्य करते रहे हैं उन्हें इस बात का अनुभव है कि उस विभाजन से यथार्थ में जिन जिन टुकड़ों में कांग्रेस की प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियां बनाई गईं उन में कितना अच्छा काम हुआ है। डाक्टर खरे सहाब के इस कथन से भी मैं सहमत हूं कि जब उत्तर भारत में करीब करीब भाषावार प्रान्त हैं तो फिर दक्षिण में हम वहां के लोगों की इच्छा के अनुसार इस बात को क्यों जल्दी से जल्दी नहीं निबटा देते। या तो जिस तरह से रेल के ६ ज़ोन हो गये हैं उसी प्रकार हम सारे देश का विभाजन कर डालें या फिर हम भाषावार प्रान्तों की रचना करें, और यदि भाषावार प्रान्तों की रचना होती है तो मैं इस के पक्ष में भी हूं कि उस भाषा के बोलने वालों के जितने क्षेत्र हैं वे उन प्रान्तों में मिला दिये जायें। मेरी समझ म नहीं आता कि एक तरफ तो आप आन्ध्र का निर्माण करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप हैदराबाद को जैसा का तैसा रखना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि केरल की कर्नाटक और महाराष्ट्र की मांग को भी आप बहुत दिनों तक न टाल सकेंगे। यदि आगे चल कर कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र प्रान्त बनना है और यदि आप ने आज आन्ध्र प्रान्त बना दिया है तो हैदराबाद की वर्तमान परिस्थिति कसे रह सकती है यह भी मेरी समझ के बाहर की चीज़ है। हमें कहीं न कहीं तो तर्कपूर्ण कार्य करना ही पड़ेगा। और यदि हम यह नहीं करेंगे तो असन्तोष रहने वाला है तथा कभी संतोषपूर्ण हालत होने वाली नहीं है। यदि आप को यह भय है कि अलग अलग भाषावार प्रान्तों के होने से भारत की एकता का नाश होगा तो इस से मैं सहमत नहीं हूं। यदि आप हिन्दी को उस का उचित स्थान केन्द्र में देंगे, यदि आप अन्तर्प्रान्तीय कार्यों में उस का उपयोग करेंगे, और इस के लिए भी जो हिन्दी का समुचित स्थान है वह उस को देंगे, यदि आप प्रान्तों में हिन्दी की शिक्षा को अनिवार्य कर देंगे तो भाषावार प्रान्तों के बनने पर भी, भारत की एकता का कभी नाश नहीं होगा। यदि आप यह सब करने को तैयार नहीं हैं और केवल एक आन्ध्र प्रान्त बना देना चाहते हैं और आन्ध्र प्रान्त में भी जहां जहां तेलगू भाषा बोली जाती है उस सब हिस्सों को आप आन्ध्र में सम्मिलित नहीं करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि हम कोई तर्कपूर्ण कार्य नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने भाषावार प्रान्त निर्माण की नीति को स्वीकार किया है। कांग्रेस ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के गत अधिवेशन में ही फिर से इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी पास किया है। मैं इस बात को मानता हूं कि जब हम भाषावार प्रान्त बनावें तो कुछ दूसरी बातें भी हमारे सामने आनी चाहिएं और उन पर भी हम को ध्यान देना चाहिये। उन पर ध्यान दिये बिना हम भाषावार प्रान्तों को नहीं बना सकते। यदि हम को देश का पुनः विभाजन करना है तो हम को सब बातें देखनी होंगी। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रान्त है और दूसरी तरफ अजमेर, कुर्ग, भोपाल, दिल्ली, और विन्ध्य प्रदेश जैसे छोटे छोटे टुकड़े हैं। मैं तो आप से कहूंगा भाषावार, प्रान्तों को बना कर भी यथासाध्य बड़े बड़े प्रान्त रखना चाहिये। यह बड़े प्रान्तों का युग है, छोटों

का नहीं, क्योंकि छोटे प्रान्तों में आर्थिक विकास के लिये अनेक अड़चनें आती हैं। मैं अपने प्रान्त का दृष्टान्त दूं। यदि महाराष्ट्र प्रान्त बनता ह तो हमारे प्रान्त का क्या होगा? मैं समझता हूं कि उस समय महाकोशल, मध्यभारत, विन्ध्य प्रदेश और भोपाल को इस में मिला कर एक बड़ा प्रान्त बनाना चाहिये। उत्तर प्रदेश के झांसी डिवीज़न के चार बुन्देली ज़िले भी इस प्रान्त को दे दीजिए।

डा० काटजू : और उस का कैपीटल जबलपुर रखा जाय।

सेठ गोविन्द दास : कुछ भी नाम रखियें और कहीं भी राजधानी रखियें। मैं डाक्टर काटजू साहब को यह बतला देना चाहता हूं कि संकुचित विचार रख कर मैं ३३ वर्ष से सार्वजनिक जीवन में नहीं रहा हूं। मेरा दृष्टिकोण व्यापक है। मैं तो यह मानता हूं कि या तो आप इस देश के चार पांच बड़े बड़े टुकड़े कर दें, और अगर आप इसी प्रकार के प्रान्त रखना चाहते हैं तो आप को भाषावार प्रान्त बनाने पड़ेंगे। और उन के सिवा जो दूसरे क्षेत्र ह उन का भी आप को ठीक विभाजन करना होगा। साथ ही देश की एकता के लिये हिन्दी का जो उचित स्थान है वह उसे आप को देना पड़ेगा। इतना कह कर म हृदय से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री फ्रेंक एन्थनी : सम्भवतः इस विधेयक के पूर्ण विरोध का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त है। मुझे मालूम है कि मेरी अकेली आवाज़ को सुना नहीं जायगा, परन्तु मुझे आशा है कि देश के अधिक बुद्धिमान भाग इस ओर अवश्य कुछ ध्यान देंगे।

माननीय गृह-कार्य मंत्री ने इस देश को असीम खतरों से भरी नीति से वचनबद्ध कर दिया है। मैं ने अपने कानों से सुना कि सरकार ने आन्ध्र राज्य की स्थापना को कमज़ोरी के क्षण में स्वीकार किया है अथवा कि इससे राजनैतिक लाभ उठाने तक का आशय है। माननी गृह-कार्य मंत्री ने अपने सदन को वे ब्यौरे बतलाए हैं कि इस विशेष अवसर पर वह आंध्र राज्य के बनाने के विरोध में क्यों हैं। माननीय गृह-कार्य मंत्री से मेरा प्रश्न यह है कि देश की अर्थ-व्यवस्था के दृष्टिकोण से इस विधेयक में शीघ्रतापूर्ण कार्यवाही करने की क्या आवश्यकता थी? यदि यह लंगड़ा तथा भद्दे रूप से बनाया गया राज्य प्रथम अक्तूबर तक न बने तो क्या हमारी अर्थ-व्यबस्था में अस्त व्यस्तता आ जाती या आन्ध्र लोग खत्म हो जाते?

हम जैसे जिन लोगों का इस समस्या से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, ऐसा अनुभव करते हैं कि सरकार को इस मामले में राजनैतिक चाल बाज़ी, अनशन व्रतों तथा हिंसात्मक कार्यों की धमकी से धकेल दिया गया है। एक और तर्क बड़े ज़ोर से यह दिया जाता है कि सत्तारूढ़ दल ने ऐसा तीस वर्ष पहले वचन दिया था। हमें ऐसा लगा कि सत्तारूढ़ दल केवल भावुक ही नहीं, बल्कि अत्यन्त भावुक है तथा कि अपनी साख मात्र के लिए अपने सभी वचनों से बद्ध हैं। मुझे यह सब कुछ राजनैतिक चालबाज़ी जान पड़ती है। उन दूसरे वचनों का क्या बना जो केवल आंध्र राज्य जैसे छोटे से क्षेत्र पर नहीं, बल्कि सारे देश पर प्रभाव रखते हैं। आप जो सता के नशे में मस्त कार्यपालिका को न्याय-पालिका से अलग नहीं करते तो इस में आप का राजनैतिक उद्देश्य है। राजनैतिक उद्देश्य से आप कहीं अधिक महत्वपूर्ण समस्याओं को भूल जाते हैं। हमारे सामने एक ही प्रमुख समस्या है और वह है देश को फिर से बसाने की। हमारी सारी शक्ति इसी पर लगनी चाहिये थी।

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

भारत को अभी तक केवल तीन बातों ने संगठित रखा है । प्रथम बात है एकीकृत प्रशासन प्रणाली जिसे अंग्रेज़ों ने प्रचलित किया है, दूसरी बात है जवाहरलाल नेहरू नाम का व्यक्ति तथा उस का व्यक्तित्व तथा तीसरी बात है देश के नेताओं में अभिव्यक्ति का एक सांझा माध्यम । पहली दो बातें बिल्कुल अस्थायी सी बन गई हैं । देश की सांझी प्रशासन प्रणाली प्रादेशिक भावना के बोझ तले पहले ही दम तोड़ रही है । सेवाओं को मत प्राप्त करने के विचार से प्रादेशिक बनाने के लिये आन्दोलन चल रहा है । मुझे खेद है कि दुर्भाग्यवश पंडित जवाहरलाल इस का विरोध करने में असमर्थ रहे हैं ।

इसके अतिरिक्त भाषा के कट्टर समर्थक हैं जो अंग्रेज़ी को पानी पी पी कर कोस रहे हैं । बजाय एक राष्ट्रीय भाषा का विकास करने के वे अंग्रेज़ी को नष्ट करन में लगे हुए हैं ।

मुझे खेद है कि मेरे मित्र सेठ गोविन्द दास ने एक ऐसा आन्दोलन आरम्भ किया हैं जिस से विघटन का खतरा और भी बढ़ गया है । कम्युनिस्ट दल के नेता ने आप को जतला दिया है कि यह तो संकट का श्री गणेश है । पदों के भूके लोग अपने स्वार्थ के लिए यह सब कुछ कर रहे हैं । इस से आप के विधान मण्डलों के बेकार व्यक्तियों को संतोष हो जायगा । वे उच्च वेतन वाले पदों को प्राप्त करना चाहते हैं । इस से सन्तुष्ट होंगे वे आंध्र निवासी साम्प्रदायिक व्यक्ति जो पदों के टुकड़ों के पीछे मारे मारे फिर रहे हैं । कुछ माननीय मित्र 'नहीं', 'नहीं', की आवाज़ कर रहे हैं । आखिर जो बात एक के लिए ठीक है, वह सभी के लिए ठीक है । आप ने उस समय विरोध में क्यों हाथ उठाया था जब सरदार हुक्म सिंह ने पंजाबी भाषी प्रान्त की मांग की थी । आप ने उस समय कहा था कि यह एक 'साम्प्रदायिक मांग है' । ऐसे समय आप उच्च आदर्शों, संस्कृति तथा श्रेष्ठ भावनाओं की दुहाई देने लग पड़ते हैं ।

यदि भाषावार राज्य, आन्ध्र की स्थापना नहीं होती तो आन्ध्रवासियों का क्या हाल होता ? क्या उन की संस्कृति लुप्त हो जाती ? तेलगू तो मुख्य प्रादेशिक भाषाओं में से एक है । तेलगू-भाषियों ने सांस्कृतिक स्वतंत्रता तो पहिले ही प्राप्त कर ली है । अतः यह एक राजनीतिक प्रोपेगंडा था । आप आन्ध्र राज्य पर करोड़ों रुपया व्यय करने जा रहे हैं । इस प्रकार आप राष्ट्रीय एकता को ही पीछे नहीं ढकेल देंगे अपितु अन्त में पूर्णतः भूल जायेंगे । जब आप अपनी भावयुक्त कल्पनाओं को संकुचित प्रादेशिक प्रवृतियों में प्रवाहित कर रहे हैं तो आप एक राष्ट्र तथा एक भाषा के समस्त विचारों को भूल जायेंगे । यही होने वाला है ।

न्यायाधीश श्री वांचू ने आन्ध्र राज्य को पांच करोड़ के घाटे का राज्य बताया है परन्तु जब सब राजनीतिज्ञ, मंत्री तथा उप-मंत्री के रूप में, पदों पर आसीन हो जायेंगे तो यह पांच की बजाये पन्द्रह करोड़ घाटे का राज्य होगा । वित्त मंत्री ने यह पन्द्रह करोड़ रुपया बचाने की दृष्टि से खाद्यान्न से आर्थिक-सहायता हटा ली है, और यह अत्यन्त बुरे कामों में से एक है । इस प्रकार आप मूर्खता ही नहीं कर रहे अपितु राजद्रोह कर रहे हैं । अब से पचास वर्ष पश्चात् आने वाले लोग गृह-मंत्री को घृणा की दृष्टि से देखेंगे ।

मैं सब पार्टियों को दोषी ठहराता हूं कि वे मत प्राप्त करने के लिए भाषा-समस्या से लाभ उठा रही हैं । मुझे खेद है कि सदन के नेता यहां नहीं हैं । मुझे आशा थी कि व ह

यह कहते "कि हमें यह विघटन रोकना चाहिये । परन्तु क्षणिक निर्बलता के कारण वह इस से सहमत हो गये ।"

आप में वह शक्ति तथा राजदर्शिता ही नहीं है कि आप कह सकें "चाहे साम्यवादी व प्रजा समाजवादी कितने ही मत प्राप्त करलें परन्तु हम इस स्थिति में इन केन्द्रापसारी शक्तियों को प्रोत्साहन देने वाली प्रवृत्तियों को समाप्त करेंगे । हम अपना ध्यान इस पर केन्द्रित करेंगे कि भूखों को भोजन, बेघरबार वालों को घर और नंगे तन व्यक्तियों को कपड़ा प्राप्त हो ।"

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) : डा० काटजू तथा श्री देशमुख के नाम इतिहास में इस आंध्र-विधेयक के निर्माता के रूप में लिखे जायेंगे । इस सदन में, इस सम्बन्ध में, बड़ा ही मतभेद रहा है, परन्तु ये सब अब शान्त हो गया है और इस का श्रेय, कुछ सीमा तक, माननीय वित्त मंत्री को है क्योंकि उन्होंने स्थिति का सपष्टीकरण बड़े ही योग्यतापूर्ण ढंग से किया है । इन मतभेदों के मूल कारणों की जांच करने के अब भी अवसर हैं । मैं तो केवल सरकार से मुख्यकर गृह मंत्री से, सीमा आयोग की स्थापना करने के लिए आग्रहपूर्ण निवेदन करता हूं । हमें आशा है कि इस से बहुत से प्रश्न सुलझ जायेंगे, जिन के कारण अन्य व्यक्तियों में विरोध की भावनायें उत्पन्न हो रही हैं ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : कल मुझे मेरे माननीय मित्र डा० काटजू से, तृतीय वाचन आरम्भ होने के पूर्व, एक पत्र प्राप्त हुआ था जिस में उन्होंने लिखा था "कल स्वस्तिवाचनिक भाषण । क्या आप का भाषण स्वस्तिवाचनिक होगा अथवा अभिशापिकी मुझे बताया गया है कि यह द्वितीय प्रकार का होगा ।" श्रीमान्, मैं ने तुरन्त ही इस का उत्तर भेजा और लिखा "मेरा भाषण युक्ति तथा देश-भक्ति की सीमा में होगा ।" श्रीमान्, मुझे आशा है कि मतभेद आदि का वातावरण अब समाप्त हो गया है ।

मुझे विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र मुख्य कर तामिल नाद तथा मैसूर वासी, मेरे यह कहने पर ईर्ष्या-भाव प्रकट नहीं करेंगे कि आन्ध्रवासियों ने इस सदन में पूरे नौ दिन तक घोर संघर्ष किया है । इतिहास में यह उल्लेख होने दीजिये कि उन के हृदय में किसी के प्रति बुरे विचार नहीं थे । आज भी आंध्र वासी मित्रता के वातावरण में मामलों पर विचार विनिमय करने तथा उन्हें सुलझाने के लिये तैयार हैं । वे सर्व प्रथम भारतीय हैं और उस के पश्चात आन्ध्रवासी ।

डा० काटजू ने कहा था कि मेरी आत्मा पवित्र है । मुझ पर विश्वास करो । मैं ने तुम्हारे लिये वह सब कुछ किया है जो एक मानव के लिये सम्भव है । मैं आन्ध्र देश का मित्र हूं । आप आस्तियों तथा दायित्वों के बारे में क्यों बातें करते हैं ? वास्तव में मैं नहीं जानता कि वे क्या हैं । आस्तियों तथा दायित्वों का निर्देश करते हुए डा० काटजू ने कहा था "यह सब बकवास है, आदि ।" इस प्रकार तो मेरे माननीय मित्र ने अथाह अन्धेरे में रहना पसन्द किया है । वह आंकड़ों से डरते हैं ।

मेरे माननीय मित्र श्री टी० एस० ए० चेट्टियार ने कहा था कि श्री देशमुख एक अच्छे जमाई हैं और इसलिये वह आंध्र देश का समर्थन करेंगे । प्रायः ये कुछ लेते हैं देते नहीं । वास्तव में, यदि मैं ग़लती पर नहीं हूं, माननीय वित्त मंत्री ने उस धर्मपरायण तथा गुणवान सास का सा ढंग अपनाया है जो दो बहुओं के बीच न्याय करने का प्रयत्न करती है । "सास कहती है, मेरा प्रयोजन

[डा० लंकासुन्दरम्]

दोषरहित है । मैं न्याययुक्त हूं । मेरे निश्चय पर झगड़ा मत करो ।"

मुझे खेद केवल इस का है कि पोटी श्रीरामुलू का बलिदान इस विधेयक के लिए आवश्यक था । इसे रोका जा सकता था । आज मुझे विश्वास है कि, कहीं भी हो, श्रीरामुलू की आत्मा शान्त होगी । देश का भाषा के आधार पर पुनः वर्गीकरण होना चाहिये ।

मैं तृतीय वाचन के लिये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : मैं मिश्रित भावनाओं से इस विधेयक का समर्थन करता हूं । मुझे हर्ष है कि कांग्रेस ने आंशिक रूप में अपने उन वचनों का पालन कर दिया है जो उस ने स्वतंत्रता का युद्ध लड़ते हुए जनता से किये थे । कांग्रेस ने अपने १९२७ के अधिवेशन में प्रस्ताव स्वीकार किया था स्वतंत्रता प्राप्त होते ही देश में भाषावार राज्य स्थापित किये जायेंगे । जनता ने अपना कर्त्तव्य पूरा कर दिया परन्तु कांग्रेस ने अभी तक दिये वचन पूरे नहीं किये हैं ।

मुझे हर्ष है कि आन्ध्र राज्य स्थापित हो गया है । मैं आंध्र वासियों के प्रति अपनी सद्भावनायें तथा सहानुभूति प्रकट करता हूं । मैं पहिले ही कह चुका हूं कि मैं मिश्रित भावनाओं से इस विधेयक का समर्थन करता हूं । इस का कारण यह है कि भाषावार राज्य बनाने का वचन एक साथ ही अर्थात १९२७ में दिया गया था । जब कि हमें महाराष्ट्र वासियों तथा कनाड़ियों को--१९२७ में दिया वचन पूरा नहीं किया जा रहा है, समय आ गया है कि आन्ध्र राज्य बनाया जाय

यदि कांग्रेस अपने वचनों को इस प्रकार पूरा कर रही है, जिस तरह आन्ध्र राज्य की स्थापना हुई है, यह प्रत्यक्ष ही हिंसा का मार्ग है । जब वे शान्तिपूर्वक राज्य मांग रहे थे तब सरकार ने न दिया और जब कुछ व्यक्तियों ने उपद्रव किया तो दे दिया । यदि हम, महाराष्ट्रवासी, भी हिंसा का मार्ग अपना लें, तो मैं नहीं जानता कि इस देश में क्या होगा । हमारे पास व्यवसायिक लड़ाकू हैं परन्तु मैं कटौती के ढंग से महाराष्ट्र प्रान्त बनाने का निवेदन कर रहा हूं ।

श्री सी० डी० देशमुख केबिनेट में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । मैं उन से निवेदन करता हूं कि वह पंडित नहरू को संयुक्त महाराष्ट्र बनाने के लिये रजामन्द कर लें । इस संयुक्त महाराष्ट्र की स्थापना सद्भावनाओं के ढंग म की जाय ।

श्रीमान, आप की अनुमति से, म आंध्र वासियों को अपना आशीर्वाद देता हूं और यह कहता हूं कि "आप साहसपूर्ण परन्तु सतर्कता से आगे बढ़ें । तुम्हारी आकांक्षाओं की पूर्ति अन्तिम मंजिल पर पहुंचे और उस के साथ इसी प्रकार की राष्ट्रीय ावनायें आदि रखने वाले व्यक्ति भी आगे बढ़ेंगे ।"

मैं अपने माननीय मित्र श्री फ्रैंक एन्थनी के भषण की ओर निर्देश किये बिना नहीं बैठ सकता । श्रीमान, मैं यह कह सकता हूं कि श्री फ्रैंक एन्थनी की नीति सत्तारूढ़ दल का समर्थन करना रही है । जब ब्रिटिश सरकार थी, वह उस का समर्थन करते और हमारी भावनाओं का विरोध करते थे । अब भी वह अपनी पुरानी नीति का पालन कर रहे हैं । जब सारी जनता सहस्त्रों वर्षों के इतिहास के आधार पर अपने अधिकार के अन्तर्गत तथा कांग्रेस द्वारा दिये गये वचनों की पूर्ति के लिये कोई मांग करती है, श्री एन्थनी यह

कहने का साहस करते ह कि तुम सब पागल हो रहे हो। तुम राजनीतिक छूटें चाहते हो।

यदि आप राजनीतिक दृष्टिकोण से, प्रान्तों का भाषा के आधार पर पुनर्निर्माण करें तो सम्भव है कि आरम्भ में यह एक राजनैतिक रियायत जान पड़े परन्तु इस से जनता का आर्थिक व सांस्कृतिक विकास अवश्य होगा।

श्री फ्रैंक एन्थनी एक छोटी सी जाति के प्रतिनिधि हैं। उन्हें बहुमत वालों के विचार समझने चाहियें, इसी में अल्पमत वालों का भला है।

जहां तक महाराष्ट्र वालों का सम्बन्ध है, अंग्रेज़ों ने उन्हें तीन अल्पमत दलों में बांट दिया था--एक बम्बई में, दूसरा मध्यप्रदेश में और तीसरा हैदराबाद राज्य में। इस बात को दूर किया जाना चाहिये और महाराष्ट्र की मांग मान ली जानी चाहिये। इस के लिये हम डा० काटजू के आगे घुटने टेकते हैं परन्तु वे कैलाश के नाथ ह। स्वर्ग में पहुंचे बिना कोई उन तक नहीं पहुंच सकता।

हमारी मांग है कि संयुक्त करनाटक और संयुक्त महाराष्ट्र को अलग किया जाय। तभी बेकारी और गरीबी की समस्या हल होगी। मैं चाहता हूं कि भारत के प्रान्तों का पुनर्संगठन हो और सभी प्रान्त समान हों।

मैं डा० काटजू की कार्यवाही का सच्चे दिल से समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि ऐसे ही और भी विधेयक रखे जायेंगे।

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद--पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, हम एक नये युग में आज प्रवेश कर रहे हैं और मैं इसी लिए खड़ा हुआ हूं कि जो आंध्रप्रदेश बनने वाला है उस के संचालकों को अपनी शुभ कामना अर्पण करूं।

हमारे मित्र श्री एंथनी जी ने कुछ गहरी चेतावनी दी है। मैं उन को बहुत ध्यान से सुनता था। उन्होंने निश्चय ही एक साहस का काम किया है कि जब बहुत अधिक लोग इस विधेयक के पक्ष में हैं तब उन्होंने उस के बारे में एक चेतावनी दी है। उन को भविष्य के लिये तरह तरह की कठिनाइयां दिखाई पड़ रही हैं। उन को यह भय है, यह अन्देशा है, कि इस प्रकार से देश का विभाजन देशहित में नहीं है और इस से अलग अलग टुकड़े बनने की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी, और साथ ही उन्होंने कहा कि साम्प्रदायिक प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। इस में साम्प्रदायिकता की बात वह कहां से ले आये वह तो कुछ समझ म नहीं आया। लेकिन हां यह अवश्य विचारने का प्रश्न है कि अलग अलग इस तरह से विभाजन करना कहां तक देशहित में है और कहां तक उस में पृथकता की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है। यह एक बात विचार की अवश्य है। लेकिन जब हम कोई भी काम जीवन में करते हैं तो उस की नापतोल करते हैं, उस के लाभ हानि को देखते हैं। एक बड़े देश का शासन कुछ न कुछ विभाजन ही द्वारा तो हो सकता है। लोग तो गांव गांव में पंचायत की मांग करते हैं। हमें तो गांव गांव तक जाना पड़ता है। इतने बड़े देश का शासन अधिकार को बांटने से ही चल सकता है और अधिकार जब बांटना है तब हम यह अपने अनुभव से देखते हैं कि अगर एक शासन के भीतर एक से अधिक भाषायें चलें तो कितनी असुविधा होती है। इस की कठिनाई को हमारे मध्यप्रदेश के भाई देख रहे हैं यद्यपि वहां केवल दो ही भाषायें हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि मद्रास वाले किस तरह से अपना काम करते हैं क्योंकि वहां चार चार भाषायें हैं। उस का परिणाम यह होता है कि शासन और विधान

[श्री टंडन]

के कामों में अपनी भाषा में साधारणत: कोई नहीं बोल सकता है। सब को यह भय रहता है कि हम जो कुछ अपनी भाषा में बोलेंगे उस को दूसरे समझ नहीं पायेंगे और इस कारण से उन्हें झख मार कर एक पर भाषा की, अंग्रेज़ी भाषा की, शरण लेनी पड़ती है। तो यह एक बड़ी कठिनाई है। जब हमें शासन बटवारा कर के ही करना है तो भाषा के आधार पर करें यह तो, मुझ को ऐसा लगता है, कि उचित रीति है। मैं यह मानता हूं कि हम को और बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, व्यय आदि का, लेकिन कुल मिला कर एक उचित रीति यही है कि जहां पर शासन की एक इकाई एक भाषा बोलने वाली हमें मिल सके वहां हम उसे स्वीकार करें । आन्ध्र की मांग एक बहुत प्रबल और पुरानी मांग रही है। मुझ को तो आंध्र-निर्माण की बात ठीक लगती है।

उत्साह तो एन्थनी साहब ने बहुत दिखलाया। लेकिन मुझ को कुछ ऐसा लगा कि यह उत्साह और यह साहस भी सवथा उचित नहीं था और मुझे अंग्रेज़ी की वह कहावत याद आ गई कि एक प्रकार के ऐसे जीव होते हैं who rush in where angels fear to tread तो मुझ को कुछ ऐसा लगा। मुझ को उन की बात में कुछ तथ्य भी लगा, लेकिन बहुत अधिक जो उन्होंने इस के विरोध में उत्साह दिखाया वह कुछ उचित नहीं दिखाई दिया। उन्होंने सेठ गोविन्द दास जी को चेतावनी दी कि इस में हिन्दी का हित नहीं है। वह जानते हैं कि गोविन्द दास जी में एक दुर्बलता है, हिन्दी के पक्ष में। उस को ध्यान में रख कर कि इस तरह से हिन्दी का भला होने वाला नहीं है। वह जानते हैं कि वह दुर्बलता मेरी भी है। लेकिन वह दुर्बलता राष्ट्रीय कारणों से है। मैं ने सदा ही माना है कि हिन्दी ही हमारे देश को एक सूत्र में बांध सकती है। मैं जानता हूं कि हमारे भाई अंग्रेज़ी के पक्षपाती हैं और ऐसे दस बीस और भी हैं जिन का ऐसा विचार है। लेकिन अंग्रेज़ी से हमारा देश एक सूत्र में बंध सके, यह बिल्कुल ग़लत है, असम्भव है। उस को बांधने के लिये हमारे देश की ही भाषा रखनी होगी। आज उस का विवाद नहीं है, वह हमारा संविधान निश्चित कर चुका है। उस में कोई अन्तर इस कारण से पड़ेगा कि अलग कुछ इकाइयां शासन की भाषावार बनेंगी, ऐसा मेरा विचार नहीं है। मैं यह उचित समझता हूं कि यह प्रयोग किया जाय। यह एक ऐक्सपैरीमेंट है। हम को जीवन में बहुत से प्रयोग करने पड़ते हैं। शासन में भी प्रयोग करने पड़ते हैं। मैं इस प्रयोग के, ऐक्सपैरीमेंट के, पक्ष में हूं। आज केवल आन्ध्र बन रहा है। हमारी सद्भावनाएं उन के साथ हैं। केन्द्रीय शासन की सद्भावना भी उन के साथ है। उन की वास्तविक सहायता, आर्थिक सहायता, भी कुछ दिनों होनी चाहिये।

साथ ही मैं तो यह भी कहूंगा कि औरों के सम्बन्ध में अधिक विलम्ब नहीं होना चाहिये। मैं जानता हूं कि हमारे कन्नड़ भाषी लोग कितने इच्छुक हैं, उत्सुक हैं। मैसूर उस के सम्बन्ध में तैयार है। मुझे तो कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता कि इस में विलम्ब किया जाय। कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से जब मैं कन्नड़ में घूमा और म ने वहां इतनी गहरी मांग देखी तब मैं ने तो स्पष्ट उनसे कहा था कि मैं उनके पक्ष में हूं। कन्नड़ भाइयों को मैं तो आश्वासन दे चुका था कि मैं इस के पक्ष में हूं कि कन्नड़ भाषी प्रदेश बनाया जाय; ऐसे राज्य को स्थापना हो। मेरे विचार में उन की मांग के ऊपर भी, जैसे ही कुछ अवसर मिले, सुविधा मिले, केन्द्रीय शासन को ध्यान देना चाहिय

में और अधिक समय नहीं लेना चाहता। इसी प्रकार से अन्य भी प्रदेश जो भाषा के सूत्र के ऊपर बनना चाहते हैं, जैसे महाराष्ट्र है, केरल है, जिन की मांगें हैं और हम सुविधा के साथ जिन की इकाई स्वीकार कर सकते हैं--मेरा अपना कथन है कि उस में हमें अब बहुत विलम्ब नहीं करना चाहिये। कुछ समय तो स्वाभाविक रीति से लगेगा ही। परन्तु यह मांग जो जनता की ओर से आती है उस के लिये यह कहना कि उस में कुछ थोड़े से लोगों का स्वार्थ है, थोड़े से लोग पद चाहते हैं, यह उचित समालोचना नहीं है। मैं तो इस भाषावार क्रम के पक्ष में हूं। जो विधेयक डाक्टर काटजू ने रखा है मैं उस का समर्थन करता हूं और अपने आंध्र के भाइयों को अपना आशीर्वाद देता हूं।

श्री वेंकटारमन (तंजोर): आंध्र जनता की महत्वाकांक्षा पूरी होने के इस अवसर पर मैं उसे बधाई देता हूं। सम्भव है कि विधेयक पर चर्चा के दौरान में मद्रास का प्रतिनिधित्व करते समय मैं ने कुछ ऐसी बातें कही हों जिन से कुछ लोग नाराज़ हो गए हों। मैं चाहता हूं कि हम पुरानी बातों को भूल कर मित्रता का नया युग प्रारम्भ करें।

आंध्र राज्य बनने का यह मतलब नहीं है कि खर्चा बढ़ जायगा। आन्ध्र तथा मद्रास राज्य दोनों ही अपना खर्च घटाने का प्रयत्न करेंगे। यह आवश्यक नहीं कि दोनों राज्यों में पन्द्रह पन्द्रह या सोलह सोलह मंत्री हों।

इन दोनों राज्यों के पास ऐसे संसाधन हैं जिन का विकास किया जा सकता है। और दोनों राज्यों की जनता सुख से रह सकती है। मैं सरकार से कहूंगा कि चाहे हम ने इस विधेयक पर चर्चा के दौरान में उसे बहुत तंग किया है उसे चाहिये कि वह आंध्र राज्य को उस के भावी विकास के लिए पर्याप्त धन दे कर उसे आशीर्वाद

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पहले मद्रास राज्य ने जो कुछ किया है ठीक समझ कर किया है। अगर कोई गलती रह गई हो उसे खण्ड ५१ के अधीन ठीक किया जा सकता है। परन्तु हमें पुरानी बातों पर झगड़ना नहीं चाहिये तभी दोनों राज्यों में मैत्रीपूर्ण सहयोग बना रहेगा।

जहां तक मद्रास में स्थित कुछ संस्थाओं का सम्बन्ध है, वहां सभी जा सकते हैं। आंखों के इलाज की शिक्षा देने वाली हमारी संस्था सब से अच्छी समझी जाती है और भारत भर से लोग वहां आते हैं। आंध्र भी वहां जा सकते हैं परन्तु आंध्र वालों के लिये इन संस्थाओं में स्थान सुरक्षित नहीं किए जा सकते। इसीलिये मैं ने इस की ओर सदन का ध्यान दिलाया है।

श्री रघुरामय्या (तेनाली): मैं इस अवसर पर तामिल मित्रों, मैसूर के प्रतिनिधियों बल्कि सारे सदन को धन्यवाद देना चाहता हूं जिस ने इतनी सहानुभूति से हमारे प्रश्न पर विचार किया है।

यह कहा जाता है कि आंध्र प्रान्त सरकार से छीना गया है। यह गलत है। कांग्रेस ने तीस साल पहले भाषावार प्रान्तों का प्रचार शुरू किया था। कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में आंध्र का आन्दोलन चलता रहा है। इसलिये यह कहना गलत है कि हम ने आंध्र प्रान्त सरकार से छीनाछपटी कर के लिया है। सरकार ने हमें आंध्र प्रान्त दिया, इस के लिए वह हमारे धन्यवाद की भागी है। आशा है कि विशाल आंध्र प्राप्त करने की हमारी इच्छा भी शीघ्र ही पूरी होगी।

प्रो० अग्रवाल (वर्धा): कांग्रेस सदा से राज्यों के उचित पुनर्संगठन के पक्ष में रही है, क्योंकि प्रस्तुत रूप में ये प्रान्त ठीक नहीं हैं। अंग्रेज़ों ने प्रशासन के दृष्टिकोण से इन का संगठन किया था। कांग्रेस यह भी

[प्रो० अग्रवाल]

कहती रही है कि इस पुनर्संगठन में भाषा का भी महत्व होगा। परन्तु इस के साथ ही अन्य बातों--जैसे राष्ट्र की सुरक्षा आदि--का भी बड़ा महत्व है। इसलिए हम ने प्रधान मंत्री की इस घोषणा का स्वागत किया है कि सारे भारत के दृष्टिकोण से इस प्रश्न पर विचार करने के लिए शीघ्र ही एक आयोग बनाया जायगा।

यह धारणा ग़लत है कि आंध्र राज्य हिंसा या भूखहड़ताल के कारण बन गया। ये बातें न होतीं तो यह राज्य बहुत पहले बन गया होता। नए राज्यों के लिए अन्नशन करना गांधी जी के सिद्धान्तों के सर्वथा विरुद्ध है। विनोबा भावे ने भी कई बार कहा है कि इस उद्देश्य से अन्नशन नहीं किए जाने चाहिये। परन्तु हम चाहते हैं कि नया आंध्र राज्य फले फूले। मेरा विश्वास है कि भाषा तथा प्रशासन की सुविधा के आधार पर भारत की एकता सुदृढ़ होगी।

मैं अपने उन मित्रों से जो नए राज्यों की स्थापना की मांग करते हैं, यह अनुरोध करूंगा कि भारत की एकता पर ज़ोर दें। क्षेत्रों की भाषाएं चाहे भिन्न हों परन्तु भारत की संस्कृति एक है। मैं देश के विभिन्न भागों में देखता हूं कि लोग प्रादेशिक गाने गाते हैं। हमें सब से पहले "वन्दे मातरम्" गाना चाहिए और फिर प्रादेशिक गाने। मुझे आशा है कि नए राज्यों की स्थापना होने पर वे एकता का पक्ष लेंगे और हम संसार को दिखा देंगे कि हम सदा भारतीय संस्कृति में विश्वास रखेंगे और हम अपने को समय के अनुकूल ढाल सकते हैं।

मैं अपने आंध्र मित्रों से यह कहना चाहता हूं कि नशेबन्दी खत्म न करें। आंध्र राज्य तो सर्वोदय राज्य बनना चाहिये।

नए राज्य बनाते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि पंचवर्षीय योजना में बाधा न पड़े, क्योंकि यही हमारे भविष्य की आशा है।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा): आज आंध्र वालों की मनोकामना पूरी हुई है। इसी दिन के लिये उन्हों ने इतना संघर्ष किया तथा बलिदान दिए। इस संघर्ष में जिन्हों ने अपने प्राणों की बलि दी, मैं उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करता हूं।

श्रीमान, मैं एक आंध्र के नाते यह देख रहा हूं कि हमारे चारों ओर बड़ा ही निराशाजनक वातावरण है। हमारे पास अपनी राजधानी बनाने के लिए कोई नगर नहीं। हमारी हालत तो कांग्रेस के पुराने दफ्तरों जैसी है जब पुलिस उन पर छापे मारा करती थी और कांग्रेस कार्यकर्त्ता पेड़ों की नीचे बैठ कर काम करते थे।

हमारे वित्तीय साधन नहीं हैं और ऋण का बोझ हमारे कन्धों पर है। हमें देश के अन्य भागों की आशाओं की पूर्ति के लिए इस नए राज्य के परीक्षण को सफल बनाना है। मैं केन्द्रीय सरकार से फिर प्रार्थना करता हूं कि वह हमें काफी धन दे जिस से कि हम इस प्रयोग को सफल बना सकें।

आंध्र राज्य के लिये अपने इस संघर्ष में हमें कई बार अपने तामिल तथा कन्नड़ भाइयों से लड़ना पड़ा है। हम उनका बुरा नहीं चाहते। अब जब कि सारी बात हो चुकी है मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि वे अब भी हमें अपना भाई ही समझें।

११ म० पू०

यह प्रयोग तभी सफल होगा जब कि हम सब, जिन पर यह जिम्मेदारी है, साम्प्रदायिक भावनाओं को दूर ही रखें। आज सारी दुनिया

की नज़रें हम पर हैं। हमें किसी को यह कहने का अवसर नहीं देना चाहिए "आंध्र देश तो अब नहीं रहा।" आंध्र होने के नाते यह मेरे लिए खुशी मनाने का अवसर नहीं बल्कि गम्भीर अवसर है जब कि हम इतनी बड़ी जिमेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मुझे कहना तो बहुत कुछ था लेकिन आज चूंकि दस दिन बाद मझे यह अवसर मिला है और समय बहुत कम है इसलिये अधिक न बोल कर केवल थोड़े सजेशन देना चाहता हूं।

यह आंध्र विधेयक स्वीकृत कर के सदन ने भाषावार प्रान्त रचना का तत्व मान्य कर लिया है। इस लिये हाई पावर कमिशन की नियुक्ति यह अधिवेशन समाप्त होने के पूर्व हो जानी चाहिये जिस से कि इस तत्व का समस्त भारत में प्रयोग हो सके।

दूसरा मेरा सजेशन यह है कि इस समय भारत में भाषावाद से भी अधिक जातीयवाद प्रबल है। हर एक प्रान्त में एक न एक जातीय राज्य होने का भय है जैसे ही भाषावार प्रान्तों की रचना हो जायेगी हर एक प्रान्त में जातीय राज्य बनाने के लिये प्रयत्न होने लगेगा जैसे महाराष्ट्र में मराठा राज्य, आंध्र में रेड्डी राज्य। इस का फल यह होगा कि उन प्रान्तों में जो अछूत जाति के अल्पसंख्यक और दलित व्यक्ति हैं उन की स्थिति और भी खराब हो जायेगी। इस कारण उन के संरक्षण का प्रबन्ध अवश्य होना चाहिये, यह मैं अपने होम मिनिस्टर साहब से कह देना चाहता हूं, क्योंकि आप तो कैलाश पति हैं, और हमारे देशमुख साहब देश के मुख हैं। खाली मुख या खाली कैलाश को नहीं बल्कि दोनों को ही एक साथ ठीक तरह से चलना है। इस लिये हमारा जो भय है उस का समाधान होना चाहिये। जो अछूत जाति के लोग अल्प संख्या में हैं उन का क्या होगा ? जिस वक्त पंजाब में हिन्दी और पंजाबी का सवाल पैदा हुआ उस समय अछूतों पर बहुत अत्याचार और जुल्म हुए। यह भी मैं हाउस के सामने कहना चाहता हूं। और महाराष्ट्र में भी गांधी वध के बाद जो कुछ मार पीट हुई उसमें हम में से कुछ को कष्ट उठाना पड़ा। दंगा करने में हम सम्मिलित नहीं हुए, इसलिए हमारे लोगों पर अत्याचार हुए। तो ऐसा होना चाहिये कि हम अल्पसंख्यकों को पर्याप्त संरक्षण मिलना चाहिये। अक्सर देहातों में हम लोग अल्प संख्या में हैं और हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। तो हम को यही भय है। वैसे तो भाषावार प्रान्त ठीक हैं और हम भी चाहते हैं कि संयुक्त महाराष्ट्र होना चाहिये लेकिन हमारे जो विभिन्न पार्टियों के नेता लोग हैं उन से मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा करने में अल्पसंख्यकों को पूरा संरक्षण मिलना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हमारी संस्कृति का विकास हो और हम इस के खिलाफ कोई पोलीटिकल प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा देश सब प्रकार से समृद्ध होना चाहिये और बम्बई, विदर्भ, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, एक बनाना और निजाम को जल्दी से जल्दी अलग करना चाहिये। विशाल आन्ध्र भी बनना चाहिये और हैदराबाद का विभाजन कर के, मराठवाड़ा, विदर्भ और बम्बई को मिला कर संयक्त महाराष्ट्र बनाना चाहिए यह मेरी प्रार्थना है।

अभी बाउंडरी कमीशन की बात कही गई। यह जो कमीशन बनेगा इस में अल्पसंख्यक लोगों के प्रतिनिधि को भी लेना चाहिये। आजकल यह होता है कि बड़े बड़े लोग लम्बी चौड़ी बातें कर लेते हैं और जो अल्पसंख्यक हैं उन को कोई नहीं पूछता। मुझे दलित वर्ग का होने के कारण समय भी

[श्री पी० एन० राजभोज]

तीन मिनट का दिया गया जब कि दूसरे लोग काफी काफी समय तक बोले हैं। गोपालन जी और अन्य पार्टी जो कि पार्टी के लीडर हैं वह तो आध आध घंटा बोले हैं। लेकिन मुझे इतना कम समय मिला है। तो आप ने कोई ठेका नहीं ले रखा है। हम को भी उचित समय मिलना चाहिए। यही मुझे हाउस में निवेदन करना है और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे एक कन्नड़ महानुभाव को भी अवसर देना भूलना नहीं चाहिये। श्री जोकीम आल्वा।

श्री जोकीम अल्वा (कनारा) : इस पीढ़ी के लोगों ने दुनिया को हिला देने वाली दो बातें देखी हैं। एक तो वह थी जब मुहम्मद अली जिन्नाह ने एक गोली चलाए बिना पाकिस्तान ले लिया और दूसरी गांधी जी की, जिन्हों ने अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में लगाया और अपनी छाती में गोली खाई। इसी प्रकार श्री श्रीरामुलू के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन का महान बलिदान दे कर आंध्र-राज्य की स्थापना करवा दी। यह घटना सदा याद रहेगी। हम में से कौन ऐसा है जो भूखहड़ताल करे ?

मुझे खेद है कि मेरे माननीय मित्र श्री एन्थनी सदन में उपस्थित नहीं हैं। हम ईसाइयों को कई बातों से लज्जित होना पड़ता है। ईसा सलीब पर मर गये, और विशेषतया उनके श्वेतांग अनुयायियों को कई बातों से लज्जित होना पड़ता है। यदि इस देश में श्वेतांग ईसाइयों ने गैर-ईसाई काम नहीं किये होते तो इधर कई विगत पीढ़ियों में देश में झगड़े नहीं हुये होते, और हिन्दू, मुसलमान, सिख आपस में एक दूसरे से नहीं झगड़ते। और अब भी वे श्वेतांग ईसायी चीन और जापान को, चीन, भारत और रूस अथवा हिन्दुस्तान-पाकिस्तान को एक दूसरे से लड़ाने के प्रयत्नों में लगे हुए हैं, और उन का यही स्वार्थ है कि जितना भी अधिक से अधिक सोना चांदी मिलता रहे वह समेटते चलें।

मैं पुनः कह रहा हूं कि मेरे मित्र श्री एन्थनी यहां नहीं हैं। भला यह बताइये कि इंगलैंड की साम्राज्ञी प्रतीकात्मक और उत्सवपूर्ण ढंग से राज्याभिषिक्त होने के लिये क्यों स्काटलैंड जाया करती है। स्काटलैंड ग्रेट ब्रिटेन का एक भाग है, और छोटा सा—नन्हा सा—देश है। जब एक बार इंगलैंड में पूरे धूमधाम से वेस्टमिनिस्टर में साम्राज्ञी का राज्याभिषेक हुआ तो वह पुनः राज्याभिषेक कराने के लिये क्यों स्काटलैंड चली गई ? वह केवल इस लिये कि स्काटलैंड वालों को संतोष मिले और उन में राष्ट्रीयता की भावना पनपे। यदि वहां के इन दो छोटे छोटे देशों में भाषा का अन्तर है, तो भारत के सम्बन्ध में जहां ३५ करोड़ लोग रहते हैं, क्या कहा जा सकता है ?

भारत इतना विशाल देश है। यहां ३५ करोड़ लोग रहते हैं जो पन्द्रह भाषायें बोलते हैं। १७८७ में जब जार्ज वाशिंगटन अमरीका का राष्ट्रपति बना तो वहां केवल १३ राज्य थे और अब वहां ४८ राज्य हैं। किन्तु इतना होते हुये भी वे संयुक्त और संगठित रूप से दावा किया करते हैं।

संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार हमारे यहां क्रमशः नौ, आठ और दस भाग क, ख तथा ग राज्य—अर्थात् कुल सत्ताईस राज्य हैं। किन्तु यदि भाषावार बटवारे के आधार पर गिना जाय तो हमारे हां केवल १५ राज्य होंगे। इस तरह के भाषावार

बटवारे से १५ राज्य बनेंगे, और हमारा व्यय भी कम होगा ।

आज की कार्यवाही हो चुकने पर, आपके प्रबुद्ध और मूल्यवान अध्यक्षत्व में एक क्रियाविधि चालू होगी—आपके पास तामिलनाद और आंध्र का बुद्धिबल और बाहुबल तो है ही—और माननीय गृह-मंत्री, जो उत्तर प्रदेश के हैं और जिन्होंने हमारे प्रधान मंत्री के दिवंगत पिता, भारत के एक गिने चुने देशभक्त पं० मोतीलाल नेहरू के हां शिक्षा-दीक्षा पाई है, भी आपके साथ होंगे । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के १९२७ के अधिवेशन में भाग लेने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है, जिस में पंडित मोती लाल नेहरू को मसौदा बनाने का अधिकार दिया गया था, और उस अधिवेशन के सभापति श्री श्रीनिवास अय्यंगार थे । मैं अपने मित्र श्री गोपालन से यह कहना चाहता हूं कि जब पं० मोती लाल नेहरू ने वह मसौदा तैयार किया, और जब ब्रिटिश सरकार ने उसको कार्यान्वित नहीं किया, तो उसे विवश होकर ३१ दिसम्बर, १९२९ को लाहौर में वह मसौदा—(रिपोर्ट)—फाड़ना पड़ा । हम ने जिस चीज़ की मांग १९३० में की थी, वही खंडित रूप में हमें अब मिली है ।

भाषावार प्रान्तों के बनाने की दौड़ को अब रोका नहीं जा सकता । मैं अपने मित्र श्री एन्थनी को बताना चाहता हूं कि हम ईसाई तो होश संभालते ही अंग्रेज़ी बोलने लगे हैं, और हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी तो कई लाख की ही अल्प संख्या है। हमें जनभाषा में बोलना चाहिये ।

(श्री ए० एम० टामस बीच में बोले)

मैं पीछे नहीं हटता । आप पसन्द करें या न करें, हमें तो अपनी प्रादेशिक भाषाओं में बोलना पड़ेगा । आज ही से प्रत्येकब को प्रादेशिक भाषा तथा हिन्दी राष्ट्रभाषा बोलनी पड़ेगी, और उसके बाद अंग्रेज़ी, जर्मन, चीनी या रूसी भाषा में पारंगत होना पड़ेगा । तीन भाषाओं को सीखना पड़ेगा, अन्यथा कोई भी व्यक्ति पूरा नागरिक नहीं बन सकता ।

इतिहास का क्रम चलता रहता है । आज आंध्र बना और अब करनाटक भी जाग्रत होने लगा । कल आप को करनाटक को वही कुछ देना पड़ेगा जो आप आंध्र देश को दे चुके हैं । मैं भी कांग्रेस के भूतपूर्व प्रधान और अब संसद् के माननीय सदस्य बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन के साथ करनाटक गया था । उन्होंने वहां उन की बातें शान्ति-पूर्वक सुनीं और वे अब उनके दावों की पुष्टि कर रहे हैं । मैसूर में चंकि अन्य कन्नड़-भाषी क्षेत्र मिल गये हैं, अतः एक करनाटक राज्य बनाना पड़ेगा । मैं आप को यह भी बताना चाहता हूं कि करनाटक में इतनी बेतुकी झगड़ेबाज़ी या घृणा भरी बातें नहीं होंगी । करनाटक वालों की यह सामूहिक मांग है कि बहुत जल्दी से करनाटक प्रान्त बनाया जाय, और संघ सरकार कभी भी उन की इस मांग की उपेक्षा नहीं कर सकती । तामिल संसार की सब से पुरानी भाषाओं में से एक भाषा है—और यदि कदाचित तामिलवासियों ने अधिक तितीक्षा से और आंध्रवासियों ने अधिक शान्ति से काम लिया होता, तो आज यह दंगा देखने को नहीं मिलता । आज तो बर्तनों और छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़े हो रहे हैं । जब नया राज्य बनेगा तो इस प्रकार के झगड़े और दंगे नहीं होने चाहियें । हम अपने आंध्रवासी भाइयों से यही प्रार्थना करते हैं कि वे अपने आप को घर में लौटी हुई बहू, लड़के या गृहपति की तरह समझ लें और, तामिलवासियों से हमारी यही

[श्री जोकीन आल्वा]

प्रार्थना है कि वे उन्हें प्रत्येक सहायता दें । यदि ये सब चीज़ें आंध्र को न भी मिलें तो वे (आंध्रवासी) किसी न किसी दिन अपने बल-बूते पर ही डटे रहेंगे, और तामिल वासी यदि उन्हें सहायता दें भी तो वे (तामिलवासी) निर्धन तो नहीं हो जायेंगे ।

श्री एन्थनी की धारणा है कि यदि भाषावार प्रान्त बने तो भारत संगठित नहीं हो सकेगा , किन्तु मेरा विश्वास है कि हम इन प्रान्तों के बनने के बावजूद भी एक दृढ़ संगठित भारत बना लेंगे । ब्रिटिश राज्य में तो प्रशासन में ही एकता थी, और वे (ब्रिटिश शासक) इस देश पर अपना अधिकार बना रखने के लिये लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाते थे ।

श्री ए० एम० टामस (ऐरणाकुलम्) : श्रीमान्, मेरी यह प्रार्थना है कि हमारे स्थान में ईसाई मलयालम बोलते हैं, अंग्रेजी नहीं बोलते ।

डा० काटजू : मेरा विचार है कि सारा सदन मेरी इस प्रसन्नता का सहभागी होगा कि यह बड़ा विवाद सहमति ले कर ही समाप्त हो रहा है । इस विवाद में बहुत से कठिन और विवादास्पद विषय पुर: स्थापित किये गये हैं । मुझे अपने मान्य मित्र श्री गोपालन के लिये बहुत ही सम्मान है, और जब उन्होंने इस प्रकार की बात की तो मैं ने सोचा कि वह एक विवाद समाप्त कर के कोई दूसरा विवाद शुरू कर रहे हैं । उन्होंने उन सभी प्रकार के प्रान्तों की बात छेड़ी जो, उन के मन में आई । मुझे मालूम नहीं कि उन की योजनायें क्या हैं । किन्तु आज हमारे सामने यह प्रश्न नहीं । उन्होंने कांग्रेसी साहित्य से बहुत उद्धरण दिये । उन्होंने हमें बताया कि कई वर्ष पहले वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक सदस्य थे । मैं आशा करता हूं कि वह अपनी उस संगति को छोड़ कर पुन: हमारी संगति में लौट आयेंगे । कदाचित उन्हें हमारी संगति में बहुत अच्छा वातावरण मिलेगा जिस से उनके काम पूरे होंगे, और हमारी यह संगति उनकी उस ध्वंसात्मक संगति से अच्छी रहेगी । उन्होंने उन संकल्पों से बहुत से अंश उद्धृत किये । मैं ने स्वयं उन्हें पढ़ा है .....

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : और भूल गये हैं ।

डा० काटजू : वकील कभी भी नहीं भूलता । भले ही वह भूलने का बहाना करे किन्तु वह कभी नहीं भूलता--यह आपको मालूम ही होगा । वकील को काम की बातें याद रहा करती हैं । कृपया मुझे बाधित न कीजिये; मैं केवल कुछ एक मिनट बोलूंगा।

हम सब उन ही संकल्पों के वातावरण में पल चुके हैं । हम सभी जानते हैं कि गांधी जी के प्रयत्नों के कारण ही उस विभागीय आधार पर कांग्रेस संस्था का पुन: नवीकरण हुआ । कृपया यह भी याद रखिये कि उन्होंने भाषावार आधार पर ही उस संस्था का विभाजन नहीं किया था. किन्तु मुझे कहना चाहिये कि उन्होंने ऐसे आधार पर इसका विभाजन किया था जो संस्था सम्बन्धी दृष्टिकोण से अधिक सुकर था । हां, तो मैं इस बात पर जोर देना चाहता था कि वे सभी नेता जो इन संकल्पों के लिये उत्तरदायी थे .....

श्री एस० एस० मोरे : चले गये हैं ।

डा० काटजू : क्या आप कृपया एक मिनट तक रुकेंगे ? आप को बीच में बोलने की बुरी आदत है । मैं

आप जैसे वयोवृद्ध पुरुष से अधिक अच्छी बातों की आशा करता हूं ।

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान्, मैं इस बात का विरोध करता हूं ।

डा० काटजू : अच्छा, मैं शब्द वापिस लेता हूं; हम 'अधेड़ आयु' के व्यक्तियों को ही लें । आप को चाहिये कि छोटी आयु के अन्य लोगों के लिये एक उदाहरण बना रखें ।

मैं तो इस बात पर आ रहा था कि जो व्यक्ति इन संकल्पों के लिये उत्तरदायी थे--जैसा कि मेरे मान्य मित्र ने भी कहा उन में से कई व्यक्ति अब हमारे बीच नहीं हैं । मैं आज वर्तमान भारत के एक निर्माता को सम्मानपूर्वक याद कर रहा हूं । जब आप इन सभी संकल्पों के सम्बन्ध में बोल रहे हों, तो कृपया यह याद रखिये--यह तो एक सिद्धांत की बात है, और मैं इसे और आगे नहीं बढ़ाना चाहता--कि ये सभी संकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उस समय पारित किये थे जब वे क्षेत्र जिन्हें पारिभाषिक शब्दावली में भारतीय राज्य कहा जाता है--और जो भारत के ३/८ के बराबर थे--इन संकल्पों के साथ नहीं थे । आज यदि आप यहां सारे भारत का प्रतिनिधित्व देख रहे हैं तो यह सब मुख्य रूप से सरदार पटेल, तथा अन्य महान् नेताओं जिन में हमारे सदन नेता भी हैं, के प्रयत्नों से ही हुआ है । उन्होंने क्या परामर्श दिया ? यह तो अजीब सी बात लग रही है कि आप को १९२३, १९२७ और १९३० का इतिहास देखना पड़ेगा । किन्तु १९४७ में, जब भारत स्वतंत्र हुआ, इन ही संकल्प बनाने वालों ने आप से क्या कहा ?

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) : यह देख लीजिये कि सरदार पटेल ने क्या कहा था ।

डा० काटजू : मैं जानता हूं ।

श्री ए० के० गोपालन : उन्होंने क्या कहा है ?

डा० काटजू : आप जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है ।

जब स्वतंत्र भारत बना, और जब १९४७ में यह राजनीतिक--सामाजिक विप्लव, महापरिवर्त्तन और विध्वंस हुआ था तो उन्होंने क्या कहा था ? उस समय यह सभी भारतीय राज्य थे । ब्रिटिश चले गये थे । उन्होंने प्रत्येक भारतीय शासक राजा से कहा: आप सब ने हमारे साथ संधि की थी ; अब तो आप के अपने अधिकार की बात है क्योंकि अब आप सब स्वतंत्र हो चुके हैं । उत्कल, उड़ीसा में २ लाख, ५० हज़ार, तीन लाख रुपये के राजस्व वाले छोटे छोटे राज्य हैं; उनमें से प्रत्येक स्वतंत्र हो चुका । सरदार पटेल वहां कटक स्थित सरकारी वन पर पहुंचे । उन्होंने उन सब राजाओं को बुलाया, और उन से कहने लगे : आप सब स्वतंत्र हो चुके हैं; आप की हमारे साथ कोई भी संधि नहीं है, आप अपने काम में लगे रहिये और अपना शासन चलाइये; हां केवल एक बात है : अब तक आप सहायता के लिये अंग्रेज़ी शस्त्रास्त्र, अंग्रेजी सेना, और अंग्रेज़ी पुलिस पर निर्भर करते थे; अब आप स्वतंत्र हो चुके हैं; हम आप को वह सहायता नहीं देंगे । अस्तु, इस बहस म उसका कोई प्रसंग नहीं । अब मेरा सुझाव यह है कि वे संकल्प चाहे कुछ भी हों, सरदार पटेल जे० वी० पी० (जवाहर-वल्लभ-पट्टाभि) कमेटी के एक सदस्य थे । उन्होंने वहां क्या कहा था ? मैं ने उनके साथ कुछ बातें की थीं । मैं तो राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी सक्रिय भाग नहीं ले रहा था क्योंकि--आचार्य कृपलानी इस समय यहां नहीं हैं;

[डा० काटजू]

गवर्नरों (राज्यपालों) के बारे में उनकी अच्छी सम्मति नहीं--उन दिनों मैं बंगाल में था। म यहां वर्ष में एक बार आया करता था। इन सभी मामलों, जो हम सभी के सम्बन्ध में हैं, के विषय में मैं व्यक्तिगत रूप से उन से बात कर चुका हूं। हम सभी इस बात को जानते हैं कि समय किधर को जा रहा है, लोग किधर को जा रहे हैं, किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, और क्या करना चाहिये। वे हर कहीं गांवों में जाया करते हैं। केवल आप कर्नाटक या महाराष्ट्र नहीं जाते। हम सभी उन से परिचित हैं। हम सभी भारतीय हैं। सरदार पटेल से मैं ने बातचीत की। उन्होंने कहा : आप को थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी चाहिये; पहली बातों को तो पहले उठाया जाता है। मेरे माननीय मित्र श्री एन्थनी ने भी कहा कि पहली बातें पहले ली जानी चाहियें। उन्होंने कहा : पहले हमारी व्यवस्था होनी चाहिये, और शान्ति-व्यवस्था होनी चाहिये। क्या आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि एक करोड़ लोग--स्वयं मैं ने कभी इसके सम्बन्ध में कभी भी नहीं पढ़ा, मैं अपने समय में इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं--इतनी भारी संख्या में लोग प्रव्रजन करें, ५० लाख इधर से वहां जायें और ५० लाख उधर से यहां आयें और बंगाल, पंजाब, आदि में फैल जायें ? उन्होंने कहा हम ने इन सब बातों की व्यवस्था करनी है, अपने देश को जोड़ देना है और स्वतंत्रता को दृढ़ करना है, यह चीज़ें बाद में होंगी। वह सौ या पच्चीस वर्ष तक की बातें तो नहीं बता रहे थे। उन्होंने कहा : पांच-दस वर्ष तक के लिये ठहर जाइये। तो अब आज मझे दुःख है, हम सभी को दुःख है, और स्वयं मझे बहुत ही अधिक परिवेदना है कि गांधी जी हम से छीने गये और सरदार पटेल भी हमारे बीच से चल दिये। चूंकि वे इस विशाल भारत के संस्थापक--प्रतिष्ठापक--थे, वे इस समय ज़रूर हमारा पथप्रदर्शन करते। यों तो इस में कोई संदेह नहीं कि भूख हड़ताल, उपवास, आदि आदि बातों की शिक्षा, आखिर हमें मिली भी कहां से ? महात्मा गांधी, हमारे बापू ने वे सब बातें सिखाईं। वे हमें अवश्य कहते कि किन बातों पर भूख हड़ताल होनी चाहिये और किन के लिये नहीं होनी चाहिये। मेरे शब्दों में इतनी शक्ति नहीं है। उनके शब्द शक्तिशाली थे, और उन से प्रभाव पड़ता, किन्तु वे चल बसे हैं। इसी प्रकार, यदि सरदार पटेल इस समय यहां होते, तो वह ज़रूर हमें रास्ता दिखाते। लोग मुझे उन का एक प्रकार से उत्तराधिकारी कहते हैं; इसी प्रसंग में कल किसी ने मुझे मैलकोल्म हेली, और मैक्सवेल का उत्तराधिकारी बताया, किन्तु किसी ने भी मुझ से यह नहीं कहा कि मैं यहां सरदार पटेल का उत्तराधिकारी हूं। आप पूर्व-ब्रिटश काल और ब्रिटिश काल के इतिहास का प्रसंग देते हैं। मैं तो केवल इतना सुनना चाहता हूं कि मैं राजाजी का भी उत्तराधिकारी हूं। ये ही हमारे निकट के पूर्ववर्त्ती हैं, और मैं अपने नम्रतापूर्ण ढंग से उन ही के चरण-चिह्नों पर चलने का प्रयत्न कर रहा हूं। सरदार पटेल कहा करते थे : देश की एकता को दृढ़ रखा जाय ; देश के संगठन का परिरक्षण हो; सेनाओं की नैतिक शक्ति और नैतिक स्तर का परिरक्षण हो; उन को काम में लगा दो क्योंकि शासन आदि व्यवस्थापनों को चलाने का ढांचा उन ही के कन्धे पर है। कोई सदस्य मंत्रियों आदि की बात बता रहा था। ये सब तो भिन्न बातें हैं, किन्तु हमारे यहां एक अच्छे स्तर की सिविल सर्विस होनी चाहिये। अब तो वे पांच वर्ष बीत चुके हैं। स्वयं मैं ने आज से दो वर्ष पहले यह कहने का साहस

किया था कि व्यक्तिगत रूप से मैं यह नहीं समझ सकता कि किस तरह लोकतंत्रात्मक संस्थायें और संसद् एक प्रकार के बहुभाषाभाषी वातावरण में वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हों। यहां बहुत से माननीय मित्र राष्ट्रीय भाषा में बातचीत करते हैं, मेरा विश्वास है कि लगभग १०० सदस्य राष्ट्रभाषा बोलते हैं, और अब मान लीजिये कि हम यहां उसे समझ नहीं सकते। किन्तु मान लीजिये कि आप को यह कहना पड़े कि आप राष्ट्रभाषा नहीं जानते और अंग्रेज़ी भी, मैं मानता हूं कि भविष्य इसका अच्छा नहीं है—और मान लीजिये कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रादेशिक भाषा में बोलने लगे तो क्या होगा ? हम यहां इस कारण बोलते हैं कि एक दूसरे को समझ सकें न कि इसलिये हमारी वाणी कैसी है। हम यहां इस कारण से बोलते हैं कि हम अपने आपको समझ सकें और अन्य व्यक्तियों को अपनी बात तथा मत से सहमत करा सकें तथा दूसरे व्यक्तियों के मतों की प्रशंसा कर सकें। मान लीजिये कि यदि हम अपनी प्रादेशिक भाषा ही में बोलने लगें तो सारी बातचीत ही निरर्थक हो जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्यथा भी ऐसा होता है। यदि भाषावार प्रान्त न भी हों, और अंग्रेज़ी चली जाये, तथा वे लोग हिन्दी न जानते हों तो तब क्या होगा ?

डा० काटजू : मैं तो केवल आज की बात कर रहा हूं। यदि आप मद्रास जायें तो वहां आप को चार भाषायें मिलेंगी। पिछले सत्र में एक सदस्य ने यहां भाषण देना प्रारम्भ किया। न वे हिन्दी जानते थे और न अंग्रेज़ी—तब डा० लंका सुन्दरम् ने उनके भाषण का अनुवाद करके दुभाषिये का कार्य किया। वे अनुसूचित जातियों के बारे में विशेष आयुक्त के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में होने वाले वाद विवाद में भाग लेना चाहते थे ! ख़ैर मैं अधिक विस्तृत रूप से नहीं कहता। विभिन्न भाषाओं के आधार पर प्रजातन्त्रीय संस्थायें नहीं चल सकतीं। मेरे माननीय मित्रों ने कांग्रेस के बहुत पुराने प्रस्तावों का उदाहरण् दिया है। मैं श्री गोपालन से कहूंगा कि वह पिछला प्रस्ताव पढ़ें। कांग्रेस कोई गतिहीन संस्था नहीं है। कांग्रेस तो शक्तिमान संस्था है और अच्छी तरह से कार्य कर रही है। समय बदल रहा है पहिले भाप का युग था, फिर विद्युत का युग आया, उसके उपरान्त अणुशक्ति युग आया और आजकल हम हाइड्रोजन बम्ब के युग में हैं। अतएव इसलिये मैं आपसे यह नहीं कह सकता कि आप, 'मनुस्मृति देखें'। आप स्वतः ही कहेंगे कि मनुस्मृति क्या है ? अतएव आप यह न कहें कि कांग्रेस ने १९२३ में यह कहा था, १९३० में यह कहा था। आप वह क्यों नहीं कहते जो कि कांग्रेस ने १९५३ में हैदराबाद में कहा था। हमने वहां बड़ा प्रस्ताव पास किया था।

अब हम सीमा आयोग की बात लेते ह। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि अखिल भारतीय सीमा आयोग तो केवल एक धोखा है। वह बड़े सन्देही हैं। उन्होंने कहा था कि यदि आप यहां सदन में इस बात की घोषणा कर देते हैं कि छः महीनों में अखिल भारतीय सीमा आयोग की नियुक्ति हो जायगी तो देश में शान्ति हो जायगी। आप ऐसी घोषणा नहीं करेंगे तो मलाबार तथा केरल का हवाला देते हुए उन्होंने नाना प्रकार की धमकियां दी थीं कि ऐसा होगा अथवा वैसा होगा। उन्होंने किस प्रकार ऐसा मालूम कर लिया कि अखिल भारतीय सीमा आयोग की नियक्ति इतनी जल्दी नहीं हो रही है। संभवतः हम छः महीने के भीतर कर दें अथवा कुछ जल्दी ही कर दें। मैं चाहता हूं कि अखिल

[डा० काटजू]

रतीय सीमा आयोग की नियुक्ति इस वर्ष अर्थात् १९५३ के अंत होने से पूर्व ही हो जाय। मैं चाहता हूं कि यह बन जाय। इसी कारण मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि अखिल भारतीय सीमा आयोग की नियुक्ति बहुत जल्दी होगी हम इस समस्या को निपटाना चाहते हैं। यह अखिल भारतीय सीमा आयोग समष्टि रूप से जांच करेगा न कि छोटे छोटे रूप में। हम यह नहीं चाहते कि पहले कर्नाटक की जांच हो उसके दो वर्ष उपरांत उटकल की—बंगाल तथा बिहार के सम्बन्ध में भी ऐसा ही वादविवाद चल रहा है।

डा० राम सुभग सिंह (शाहाबाद—दक्षिण) : वे सब मिला कर बंगाल, बिहार और उड़ीसा का एक संयुक्त राज्य बनाना चाहते हैं।

डा० काटजू : मैं सारे बंगाल को बिहार के साथ जोड़ने के लिये तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? आप को सारा बंगाल जिसमें कलकत्ता भी है और जिसमें जूट तथा कपड़ा मिलें भी हैं, मिलेगा। इससे अधिक आप क्या चाहते हैं? मैं यहां इनके बारे में इस कारण से कह रहा था कि मुझे इनके विषय में दूसरे रूप से कहना था। मेरा विचार था कि इस प्रकार उन को संतोष मिलेगा।

श्री चौधरी का कहना है कि आसाम जैसे पिछड़े प्रान्त को उत्तर प्रदेश के साथ क्यों नहीं जोड़ दिया। यह तो भौगोलिक ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। मैं नहीं जानता कि आसाम उत्तर प्रदेश से मिलता हुआ भी है। अच्छा यह है कि आप सीमा आयोग में जायें और वहां यह प्रस्ताव रखें संभवतः वे लोग ऐसा कर देंगे।

श्री फ्रेंक एन्थनी ने भूतकाल का हवाला देते हुए कहा है कि बहुत भाषावार राज्यों ने कार्य किया है। यह ठीक है कि उन भाषावार राज्यों ने अंग्रेज़ों के राज्य के अन्तर्गत कार्य किया है जिसके प्रति श्री एन्थनी का अत्यधिक प्रेम है। अंग्रेज़ों की बनाई हुई विधान सभा में मैं भी उपस्थित था। सन् १८९२—लार्ड लैंस-डाउन के समय तक पूर्ण रूप से स्वच्छंद राज्य था। उसके उपरान्त स्थानीय निकाय प्रथा, विधान सभा तथा विभिन्न भाषावार विधान सभायें बनीं। वहां प्रत्येक व्यक्ति अंग्रेज़ी बोलता था। जब माननीय मित्र उन विभिन्न भाषावार प्रान्तों का हवाला दे रहे हैं तो उनका कहने का तात्पर्य यह है कि उन सब को एक सूत्र में बांधने का श्रेय अंग्रेज़ी को था जिसे सभी तामिल, सभी आन्ध्र वालों ने अपनाया था। वह बड़ी भाषा थी जिसने हमें बांधा। जिस पर श्री आलवा ने कहा है कि ज़रा एक मिनट को सोचिये तो सही कि यदि अंग्रेज़ी समाप्त हो जाय तो क्या होगा?

जब हम संस्कृति के बारे में फ़क्र कहते हैं तो मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि यह विषय बहुत महत्व का है हम को धर्म विश्वास आदि के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिये अपितु हमें सब कुछ भारतीय संस्कृति के विषय में कहना होगा किन्तु आज यदि कोई भारतीय है और वह कहता है कि मेरा न केवल धर्म ही अलग है, मेरी भाषा, तथा मेरी अपनी संस्कृति भी अलग है तो मैं ऐसे व्यक्ति से एक भारतीय के नाते कहता हूं कि उसके लिये भारत में कोई स्थान नहीं है वह कहीं और जाय क्योंकि हमें एक भारतीय संस्कृति अपनानी है चाहे वह कुछ भी क्यों न हो? मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि यह संस्कृति एक प्रकार से आप के साथ

अन्याय करेगी अथवा एक प्रकार से आपके ऊपर अधिपत्य जमायेगी । हम तो एक ऐसी संस्कृति बनाने जा रहे हैं जिसके लिये भारतीय, प्रत्येक जाति के व्यक्ति चाहे वह पारसी, सिख, जैन, हिन्दू, मुसलमान, चाहे जो कुछ भी हो जो कि भारत में रहता हो, वह संस्कृति के लिये अच्छा से अच्छा अंशदान दे, तथा इसके लिये गौरव महसूस करे । मेरा अपना ऐसा विचार है इस संस्कृति के बारे में, और मैं इसी विचार को ले कर प्रयत्न कर रहा हूं । माननीय मित्र एन्थनी का विचार कुछ दूसरा है, मेरा उन से यही कहना है कि वे अपने विचारों में कुछ परिवर्तन करें यह अच्छा है कि वह वर्तमान में होने वाली बातों से कुछ शिक्षा लें । यह बात नहीं है कि हम अधिक बोलें बल्कि हमें अधिक सोचना चाहिये । समाचार पत्रों का अध्ययन करना चाहिये । गावों में जाना चाहिये । श्री राजभोज ने अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में कुछ कहा है इसे सुनकर मुझे दुःख हुआ । सदन अथवा विधान सभाओं में भाषण करने से समस्या नहीं सुलझ सकती समस्या तो गावों में जा कर ही सुलझ सकती है ।

वहां गावों में इस संस्कृति को फैलाने के लिए, उन लोगों में एकता, अधिक से अधिक प्रेम तथा उनको अधिक से अधिक सुविधा देने के लिये हमें आन्दोलन करना होगा । जातीयता, साम्यवादिता एवं प्रांतीयता अब मृत हो गई हैं और समाप्त हो चुकी हैं । मुझे यह जान कर महान प्रसन्नता हुई कि यहां सभी के हृदय में महान भारत के लिये एकता है । और मेरा विचार है कि यह एकता किसी भी स्थिति में डावांडोल नहीं होगी ।

माननीय मित्र ने महाविदर्भ के विषय में कुछ नहीं बताया था । अतएव आप सरकार को कोई दोष न दें अतएव आप नागपुर में तथा अमरावती में अपने साथियों से मिलकर यह तै कर लें कि वे महाविदर्भ, महापूना, अथवा क्या चाहते हैं तथा उसकी राजधानी कौनसी होगी चूंकि इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है अतएव इस विषय में मैं कुछ अधिक नहीं कहूंगा ।

हम सब को यह प्रार्थना करनी चाहिये कि यह नया राज्य जो बन गया है, अच्छी तरह कार्य करेगा तथा हमारी भूलों से शिक्षा लेगा । कुछ मित्रों ने कहा है कि यह इस लिये किया जा रहा है कि लोगों को मंत्री तथा उपमंत्री पद पाना है । मेरे विचार से ऐसा कहना बिना किसी आधार का है । मेरे विचार में तो हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसी विचार धारा का नहीं है ।

मैं आशा करता हूं कि आन्ध्र देश के सभी दलों के मेरे सहयोगी, मित्र तथा साथी लोग अपना राज्य बनाने के कार्य में, अन्य कहीं भी हुई गलतियों से लाभ उठायेंगे । मुझे याद है कि जब १९३७ में हमने संयुक्त प्रांत में मंत्रालय का कार्य आरंभ किया तो हम ने छै मंत्रियों की सहायता से काम चलाया था । यह बात ठीक है कि अब काम बहुत अधिक बदल गया है । खाद्य सम्बन्धी कार्य, राशनिंग का काम, लोकहितकारी राज्य का विचार, योजना और विकास आदि का कार्य, यह सभी अत्यधिक बढ़ गये हैं । लेकिन मान लीजिये आप थोड़े से ही काम चला लेते हैं और बहुत अधिक व्यय नहीं करते, तो मुझे विश्वास है कि आन्ध्र लोग संयुक्त प्रयत्न का एक अच्छा उदाहरण लोगों के सामने रखेंगे । मैं आशा करता हूं कि आन्ध्र देश में किसी भी प्रकार की फूट नहीं होगी और रायलासीमा के लोग भी नये राज्य के प्रबन्ध से पूर्णरूपेण संतुष्ट रहेंगे ।

[श्री काटजू]

इन शब्दों के साथ, मैं अपना प्रस्ताव सदन की स्वीकृति के लिये रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मेरे लिये केवल इस प्रस्ताव पर सदन का मत लेना शेष रह गया है ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या यह संविधान का कोई संशोधन नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : संविधान के अनुच्छेद ४ के अनुसार एक नए राज्य का बनाया जाना संविधान का संशोधन नहीं माना जायेगा ।

इस पर मत लेने से पूर्व मैं सरकारी और विरोधी पक्ष के सभी सदस्यों को इस विधेयक पर मित्रता एवं शिष्टता पूर्ण ढंग से वाद-विवाद करने के लिये व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं । वादविवाद के अन्तर्गत हुई गर्मागर्मी, और कहा-सुनी को वे भूल गये हैं । और मैं आशा करता हूं कि राज्य परिषद् में भी सदस्यगण इसी मनोवृत्ति से इस पर सोच विचार करेंगे और शीघ्र ही यह विधेयक एक विधि बन जायेगा तथा पहली अक्तूबर, १९५३ को नया आन्ध्र राज्य जन्म ले लेगा । अब मैं इस संशोधित विधेयक को सदन की स्वीकृति के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है कि :

" विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये " ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सम्पदा शुल्क विधेयक—क्रमशः

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, सम्पदा शुल्क विधेयक पर खण्डवार विचार करना आरम्भ करेगा ।

मेरे विचार से खण्ड २ पर विचार विमर्श अभी स्थगित रखा जाये क्योंकि वह एक पारिभाषिक खण्ड है ।

श्री सी० डी० देशमुख : खण्ड २ पर अभी विचार किया जाना ज्यादा अच्छा होगा ।

खण्ड २—परिभाषायें

श्री तेलकीकर (नान्देड) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १, पंक्ति २४ के अन्त में यह जोड़ दिया जाय : ' तथा "मरना" एवं "मृत्यु" में क़ानूनी मृत्यु अभिप्रेत है जैसा कि संसार त्याग करने वाले सन्यासी के बारे में होता है ; '

श्री मूलचन्द दुबे (ज़िला फ़र्रुखाबाद—उत्तर) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं : पृष्ठ २ पर,

पंक्ति १ से ४, हटा दी जायें और बाद के भागों का पुनरंकण किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : सर्व प्रथम मैं सरकारी संशोधनों पर सदन का मत लूंगा । उस के बाद आवश्यकतानुसार अन्य संशोधनों को प्रस्तुत करने का अवसर दूंगा । श्री देशमुख ।

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ २ पर,

पंक्ति १ से ४ के स्थान पर निम्न शब्द आदिष्ट किये जायें :

"(8) 'executor' means the executor or administrator of a deceased person;"

["(८) 'निष्पादक' का अर्थ है किसी मृतक व्यक्ति का निष्पादक अथवा प्रशासक;"]

(२) पृष्ठ २ पर,

पंक्ति १६ से २० के स्थान पर निम्न शब्द रखे जायें :

"(12) legal 'representative' means a person who in law represents the estate of a deceased person, and includes—

(i) an executor,

(ii) as regards any obligation under this Act, any person who takes possession of, or intermeddles with, the estate of a deceased person or any part thereof, and

(iii) where the deceased was a coparcener of a Hindu family, the manager for the time being of the family;" and

[" (१२) 'वैध प्रतिनिधि' का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो विधि की दृष्टि में किसी मृतक व्यक्ति की सम्पदा का प्रतिनिधित्व करता हो और उस में निम्नलिखित व्यक्ति भी सम्मिलित हैं—

(१) एक निष्पादक,

(२) इस अधिनियम के आधीन किसी आभार के सम्बन्ध में, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी मृतक व्यक्ति की सारी सम्पदा अथवा उसके किसी भाग का कब्जा लेता है या उसके सम्बन्ध में कुछ भी कार्यवाही करता है, और

(३) जहां पर मृतक व्यक्ति किसी हिन्दू परिवार का एक समांशभागी रहा हो, उस परिवार का तत्कालिक प्रबन्धक;"]

(३)पृष्ठ २ पर,

पंक्ति ४६ के पश्चात् निम्नलिखित शब्द प्रविष्ट किये जायें :

"(16A) 'Public charitable purposes' means relief of the poor, education, medical relief and advancement of any other object of general public utility, but does not include a purpose which relates exclusively to religious teaching or worship."

[" (१६क) 'सार्वजनिक धर्मार्थ प्रयोजन' का अर्थ है ग़रीबों की सहायता, शिक्षा, डाक्टरी सहायता और किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता की वस्तु को प्रोत्साहित करना, किन्तु इस में ऐसा कोई प्रयोजन नहीं सम्मिलित है जो अनन्य रूप से धार्मिक उपदेश अथवा पूजा पाठ के सम्बन्ध में हो।"]

अब मैं पहले और दूसरे को साथ साथ लूंगा। सम्पदा शुल्क विधेयक के मूल प्रारूप, १९४६, में "वैध प्रतिनिधि" की कोई परिभाषा

[श्री सी० डी० देशमुख]

नहीं थी : ऐसा कदाचित इसलिये था क्योंकि इस शब्द के अधिकांश तात्पर्य 'निष्पादक' की परिभाषा में सम्मिलित किये जा चुके थे । इस परिभाषा के अनुसार मूल विधेयक के बनाने वालों ने उत्तरदायी व्यक्तियों के दायित्वों और कर्त्तव्यों की चर्चा करते हुए खण्ड ४८ में, जो वर्तमान खण्ड ५१ है, " निष्पादक " शब्द का प्रयोग किया था । किन्तु १९४८ की प्रवर समिति ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता में एक तत्स्थानी परिभाषा के आधार पर "वैध प्रतिनिधि " की एक परिभाषा प्रविष्ट करना उचित समझा और फलस्वरूप खण्ड ४९ में, जो वर्तमान खण्ड ४८ है, कुछ परिवर्तन किये ।

उस समिति का यह कथन था कि इस प्रकार की परिभाषा इस बात को स्पष्ट करने के लिये आवश्यक थी कि मृतक व्यक्ति का "वैध प्रतिनिधि" उस की मृत्यु के बाद मिलने वाली सम्पत्ति पर सारे सम्पदा शुल्क के लिए उत्तरदायी होगा लेकिन वह, मृतक व्यक्ति की वास्तविक रूप से प्राप्त आस्तियों से अथवा उन आस्तियों से जो उस को प्राप्त होती यदि उस ने स्वयं गलती या लापरवाही न की होती, उस से अधिक किसी भी शुल्क के लिए उत्तरदायी नहीं होगा । हम ने इन दोनों परिभाषाओं को भली प्रकार देखा है और हम यह देखते हैं इन दोनों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो समान अर्थ वाली हैं। वर्तमान परिभाषा के अनुसार 'निष्पादक' और 'वैध प्रतिनिधि' दोनों ही में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो मृतक व्यक्ति की सम्पदा के सम्बन्ध में कुछ भी कार्यवाही करते हैं। ब्रिटेन की विधि में, जिस का हम ने आमतौर पर अनुसरण किया है, "वैध प्रतिनिधि" शब्द कहीं पर नहीं आता । उस में केवल 'निष्पादक' शब्द का प्रयोग किया गया है, और ऐसे व्यक्ति में, केवल प्रशासक ही नहीं बल्कि कोई भी व्यक्ति जो मृतक की सम्पदा के सम्बन्ध में कुछ भी कार्यवाही करता है, सम्मिलित होता है । ऐसा प्रतीत होता है कि १९४८ की प्रवर समिति के सामने मुख्य कठिनाई, उत्तराधिकार की विधि का और संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति के प्रबन्ध का विशेष प्रकार का होना तथा विशेष रूप से, ऐसे परिवारों के कर्ता की स्थिति थी । हम समझते हैं कि प्रस्तावित संशोधन उक्त दुहरेपन को ठीक करते हैं लेकिन साथ ही साथ धारा ५१ के प्रयोजन के लिए उन के प्रभाव क्षेत्र में सभी प्रकार के उत्तरदायी व्यक्तियों के दायित्व आ जाते हैं। इसीलिए 'वैध प्रतिनिधि' की परिभाषा में आप पायेंगे कि "वैध प्रतिनिधि" का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो विधि की दृष्टि में.... सम्पदा का प्रतिनिधित्व करता है और जिस में एक निष्पादक भी सम्मिलित होता है..." । फिर "इस अधिनियम के आधीन किसी आभार के सम्बन्ध में, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी मृतक व्यक्ति की सारी सम्पदा अथवा उस के किसी भाग का कब्जा लेता है या उस के सम्बन्ध में कुछ भी कार्यवाही करता है", और विशेषकर "(३) जहां पर मृतक व्यक्ति किसी हिन्दू परिवार का एक समांश भागी रहा हो, उस परिवार का तात्कालिक प्रबन्धक" । अतः मेरे विचार से ये दोनों मिल कर काफी व्यापक हो जाते हैं । तीसरे संशोधन के सम्बन्ध में बाद में कहूंगा क्यों कि वह एक बिल्कुल अलग विषय है ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत किए गए ।

(१) पृष्ठ २ पर,

पंक्ति १ से ४ के स्थान पर निम्न शब्द आदिष्ट किये जायं :

"(8) 'executor' means the executor or administrator of a deceased person;"

["(८) 'निष्पादक' का अर्थ है किसी मृतक व्यक्ति का निष्पादक अथवा प्रशासक';"]

(२) पृष्ठ २ पर,

पंक्ति १६ से २० के स्थान पर निम्न शब्द रखे जायें :

"(12) 'legal representative' means a person who in law represents the estate of a deceased person, and includes—

(i) an executor,

(ii) as regards any obligation under this Act, any person who takes possession of, or intermeddles with, the estate of a deceased person or any part thereof, and

(iii) where the deceased was a coparcener of a Hindu family, the manager for the time being of the family;"

["(१२) 'वैध प्रतिनिधि' का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो विधि की दृष्टि में किसी मृतक व्यक्ति की सम्पदा का प्रतिनिधित्व करता हो और उस में निम्नलिखित व्यक्ति भी सम्मिलित है ।

(१) एक निष्पादक,

(२) इस अधिनियम के आधीन किसी आभार के सम्बन्ध में, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी मृतक व्यक्ति की सारी सम्पदा अथवा उस के किसी भाग का कब्जा लेता है या उस के सम्बन्ध में कुछ भी कार्यवाही करता है, और

(३) जहां पर मृतक व्यक्ति किसी हिन्दू परिवार का एक समांश भागी रहा हो, उस परिवार का तत्कालिक प्रबन्धक;"

ये दोनों संशोधन अब सदन के सामने हैं ।

श्री किलाचन्द ।

श्री तुलसीदास (मेहसाना–पश्चिम) : मैं वित्त मंत्री को यह बता देना चाहता हूं कि परिभाषा में इस परिवर्तन से कई कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं । इस संशोधन का प्रभाव "वैध प्रतिनिधि" शब्द में "निष्पादक" की परिभाषा को सम्मिलित करना है । "एक निष्पादक कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मृतक व्यक्ति की सम्पदा का कब्जा लेता है"; एक निष्पादक का आभार विधेयक के खण्ड ५५ के आधीन है, और वह आभार तभी होता है यदि वह प्रतिनिधित्व की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र देता है। एक व्यक्ति जो निष्पादक नियुक्त होता है, वह उस रुप में कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होता और न वह उस को त्याग करने के लिए बाध्य होता है । यदि कोई और व्यक्ति प्रतिनिधित्व की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र देता है तो न्यायालय उस से इच्छा पत्र द्वारा नियुक्त किए गए निष्पादक से उस पद से त्यागपत्र प्राप्त करने को कहेगा और केवल ऐसे ही मामलों में, आमतौर पर, किसी निष्पादक से त्यागपत्र लिया जायेगा ।

[श्री पाटस्कर अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

अतः मेरी राय में यह उचित नहीं है कि एक ऐसे निष्पादक पर, जिस ने सम्पदा का कब्जा नहीं लिया है और न ऐसा कोई कार्य किया है जिस से पता चले कि वह सम्पदा का प्रतिनिधित्व करता है, इस विधेयक के आधीन कोई दायित्व नहीं लादना चाहिए । अतः मैं चाहता हूं कि उक्त संशोधन को इस प्रकार रखा जाये ।

[श्री तुलसीदास]

"निष्पादक का अर्थ है वह निष्पादक जिस ने प्रतिनिधित्व अथवा प्रशासन की स्वीकृत के लिए आवेदन पत्र दिया हो।" मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री मेरे सुझाव पर विचार करेंगे।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं समझता हूं कि मेरे मित्र का सुझाव स्वीकार करना एक खतरनाक बात होगी। क्योंकि मैं यह उचित नहीं समझता कि केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति मृतलेख-प्रमाण के लिए आवेदन पत्र देता है, उस पर सारे उत्तरदायित्व लाद दिये जायें। कोई भी निष्पादक तब तक विधिवत् बनाया गया निष्पादक नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि किसी मृत्युलेख निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा उसे मृतलेख-प्रमाण नहीं दे दिया जाता अथवा जब तक कि वह एक निष्पादक के रूप में काम नहीं करने लगता और अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं ले लेता। मेरे विचार से वित्त मंत्री को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि वे किसी व्यक्ति पर कोई उत्तरदायित्व केवल इसलिए नहीं लादना चाहते हैं क्योंकि इच्छापत्र में उस को निष्पादक घोषित किया है।

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, यह ठीक है। ब्रिटेन की विधि में निष्पादक के ऊपर जितने उत्तरदायित्व लादे गए हैं, उन से अधिक अपने यहां उन को रखने का हमारा विचार नहीं है। इसी कारण हम 'निष्पादक' की यह परिभाषा लाए हैं। कोई भी व्यक्ति जो तत्सम्बन्धी कार्यवाही करता है, हो सकता है निष्पादक न हो, फिर उस को एक वैध प्रतिनिधि के रूप में माना जा सकता है। इसीलिए हम ने निष्पादक की मूल परिभाषा में से 'कोई व्यक्ति जो उस के सम्बन्ध में कार्यवाही करता है आदि' शब्द निकाल दिए हैं।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : प्रस्तावित अथवा संशोधन के लिये प्रयत्नशील परिभाषा खंड ५५ के साथ पढ़ी जानी चाहिये। मैं वित्त मंत्री की मनोभावना समझने का प्रयत्न कर रहा हूं। इस का अर्थ यह है कि जिस क्षण भी कोई मनुष्य मृत्युलेख प्रमाण के लिये प्रार्थनापत्र देता है वह दायित्व की पूर्ति के लिये यथेष्ट है। यदि इच्छापत्र में एक से अधिक व्यक्तियों के नामों का उल्लेख है दायित्व उन्हीं व्यक्तियों पर होना चाहिये जो निष्पादक का कार्य करने के लिये अंगीकृत हों। मैं श्री चटर्जी के इस कथन का समर्थन करता हूं कि किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादक का कार्य करने की इच्छा प्रकट करने पर ही उसे उत्तरदायित्व सौंपना चाहिये। मान लीजिये कोई व्यक्ति मृत्यु के समय आधे दर्जन से अधिक व्यक्तियों को अपने निष्पादक के बतौर घोषित करता है, उन्हें उस की सम्पदा के विषय में कुछ भी ज्ञान न हो। मैं गलत हो सकता हूं.....

श्री गाडगिल : किन्तु उन व्यक्तियों पर उस स्थिति को स्वीकार करने का कोई दायित्व नहीं है।

श्री एस० एस० मोरे : किन्तु, मेरा विचार है इस आशय का कोई उपबन्ध नहीं है।

संशोधित परिभाषा खंड ५५ के साथ पढ़ना है। आप परिभाषा को इस खंड से अलग नहीं ले सकते। उन्हें साथ साथ पढ़ने पर परिणाम यह होगा कि भार उन व्यक्तियों पर है जो उत्तरदायित्व संभालने में रुचिप्रद नहीं हैं अथवा जो निष्पादक नियुक्त किये गये हैं। वित्तमंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वह अपनी विचारधारा को स्पष्ट करें।

१२ मध्याह्न

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : श्रीमान्, मैं इस सम्बन्ध में एक और कठिनाई

का उल्लेख करना चाहता हूं। प्राय: ऐसा होता है कि किसी इच्छा पत्र में निष्पादक के लिये छः व्यक्तियों के नामों का उल्लेख है किन्तु मृतलेख-प्रमाण एक अथवा दो व्यक्तियों के पक्ष में है। शेष व्यक्ति परित्याग करने को तैयार न हों। अत: हमें इस स्थिति की व्याख्या कर देनी चाहिये। हमें यह मालूम होना चाहिये कि कौन व्यक्ति कर्तव्यबद्ध हैं। विधि अनुसार ऐसा कोई आभार नहीं है कि यदि निष्पादक कार्य करने को इच्छुक न हों तो उसे परित्याग कर देना चाहिये।

श्री गाडगिल : उसे साधारण सतर्कता से काम करना चाहिये।

श्री टेकचन्द (अम्बाला-शिमला) : मैं इस में एक और कठिनाई देखता हूं। मान लीजिये किन्हीं एक अथवा दो व्यक्तियों को निष्पादक नियुक्त किया गया है किन्तु वे इच्छा पत्र के विषय से सर्वथा अनभिज्ञ हैं और पत्र को देखने पर ही वे कार्यनिष्पादन करने के लिये स्वीकृति व्यक्त कर सकते हैं। किन्तु परिभाषा अपने वर्तमान रूप में इस ओर संकेत करती है कि जैसे ही मृत्युलेख कर्ता मर जाता है उल्लिखित व्यक्ति तथ्य से अनभिज्ञ रहते हुए भी स्वयं को निष्पादक की स्थिति में पाता है।

श्री सी० डी० पाण्डे : और वह उक्त कार्य को स्वीकार न भी करे।

श्री टेकचन्द : और तथ्य से भिज्ञ होने पर वह कार्य-निष्पादन के उत्तरदायित्व को न संभालना चाहे। अनिच्छा से किसी व्यक्ति पर कार्यभार नहीं डाला जा सकता। उसे इस के लिये सहमत होना चाहिये। अत: सम्बन्धित व्यक्ति को यह मालूम होना अत्यन्त अपेक्षणीय है कि इच्छा-पत्र के अन्तर्गत वह उत्तरदायी है।

श्री सी० सी० शाह (गोहलवाड–सोरठ): मेरा विचार है इस में कोई कठिनाई नहीं है। परिभाषा कदापि आभार की सृष्टि नहीं करती है।

खंड ५५ के अन्तर्गत निष्पादक का एकमात्र कार्य निर्धारित विधि में हिसाब का ब्यौरा प्रस्तुत करना है। मृतलेख-प्रमाण के लिये प्रार्थनापत्र देने वाले व्यक्ति पर निष्पादक का उत्तरदायित्व है। जो व्यक्ति इस के प्रार्थी नहीं हैं उन पर कभी भी उत्तरदायित्व नहीं रखा जा सकता। एक व्यक्ति को निष्पादक घोषित कर सकते हैं किन्तु....

श्री एस० एस० मोरे : इस विशिष्ट सुझाव की आधारभित्ति क्या है ?

श्री सी० सी० शाह : खंड के अनुच्छेद से यह पूर्ण स्पष्ट है कि अनुदान के लिये प्रार्थी व्यक्ति ही उक्त कार्य के लिये उत्तरदायी है। मेरा विचार है कि इस में भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैध प्रतिनिधि' और 'निष्पादक' दोनों शब्द अपनी वर्तमान आकृति में स्पष्ट हैं। 'वैध प्रतिनिधियें' 'निष्पादक' और वे सब व्यक्ति सम्मिलित हैं जो सम्पदा से सम्बन्धित हैं अथवा विध्यनुकूल कार्य निष्पादक हैं अथवा संयुक्त परिवार के समांशभागी के प्रबन्धक हैं। अत: विध्यनुकूल प्रतिनिधि की परिभाषा को अधिक उदार रूप देने की आवश्यकता है। सम्पदा से असम्बद्ध अथवा प्रार्थना पत्र न देने वाले व्यक्ति को कर्त्तव्य में आबद्ध करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है।

श्री एस० एस० मोरे : सरकारी बेंचों के दृष्टिकोण का मान करते हुए मेरा यह निवेदन है कि स्वयं विधेयक में ही उस अभिप्राय को अधिक स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये। निरर्थकता की दिशा में त्रुटि करना अधिक श्रेयस्कर है। यदि हम यह लिख दें कि निष्पादक का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिस ने समूचे उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिये हैं अथव

[श्री एस० एस० मोरे]

जो नियुक्त किया गया है अथवा जिसे प्रतिनिधान प्रदत्त है तो सब कठिनाइयां दूर हो जायेंगी। इस सम्बन्ध में मैं वित्त मंत्री और उन के सहयोगी का ध्यान खण्ड ५५ के उपखंड की ओर आकर्षित करता हूं जिस में कहा गया है :

"निष्पादक.....हिसाब के साथ शपथ-पत्र की एक प्रति नियंत्रक के सुपुर्द करेगा।"

यह स्पष्ट दायित्व है।

श्री एन० सी० चटर्जी : श्री मोरे के कथन में यह महत्वपूर्ण बिन्दु है। निस्सन्देह ही निष्पादक का स्वरूप स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये। अन्यथा एक निष्क्रिय निष्पादक को केवल इसलिये उत्तरदायी मान लिया जायगा कि उस का नाम इच्छा पत्र में व्यक्त किया है।

श्री सी० डी० देशमुख : मूल विधेयक में निष्पादक की परिभाषा गलत थी। अब हम ने निष्पादक को इस गलती से मुक्त कर दिया है। हमारे अनुसार निष्पादक वह है जो परिभाषित नहीं करता है किन्तु निश्चित रूप से स्पष्टीकरण करता है। हमारे अनुसार वैध प्रतिनिधि में निष्पादक---वह व्यक्ति जो सम्बन्धित है---और हिन्दू अविभाजित परिवार का कर्ता सम्मिलित है। खंड ५१ में निष्पादक सहित कुछ व्यक्ति उत्तरदायी ठहराये गये हैं। खंड ५५ में बतलाया गया है कि निष्पादक क्योंकर उत्तरदायी है। अब, यदि यह शंका हो कि खंड ५१ के अन्तर्गत उत्तरदायी करार दिये गये व्यक्तियों में किस व्यक्ति से प्रयोजन है तो मेरा विचार है कि खंड ५५ की भाषा में कुछ स्पष्टीकरण करने की बात सोची जा सकती है किन्तू मैं सोचता हूं कि हम इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं।

सभापति महोदय : 'परिभाषा' के संबंध म कोई कठिनाई नहीं है। खण्ड ५५ के समय हम उस पर विचार करेंगे। अब मैं सदन के सम्मुख प्रथम संशोधन उपस्थित करूंगा। प्रश्न यह है :

पृष्ठ २ पर

पंक्ति १ से चार तक के स्थान पर निम्न शब्द आदिष्ट किये जायें :

"(8) 'executor' means the executor or administrator of a deceased person;"

["(८) 'निष्पादक' का अर्थ है कि किसी मृतक व्यक्ति का निष्पादक अथवा प्रशासक;"]

सभापति महोदय : अब मैं सदन के सामने दूसरा संशोधन उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है

पृष्ठ २ पर

पंक्ति १६ से २० के स्थान पर निम्न शब्द रखे जायें :

"(12) 'legal representative' means a person who in law represent the estate of a deceased. person and includes--

(i) an executor,

(ii) as regards any obligation under this Act, any person who takes possession of, or intermeddles with, the estate of a deceased person or any part there of, and

(iii) where the deceased was a coparcener of a Hindu family, the manager for the time being of the family; and"

["(१२) 'वैध प्रतिनिधि' का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो विधि की दृष्टि म किसी मृतक व्यक्ति की सम्पदा का प्रतिनिधित्व करता हो और उस म निम्नलिखित व्यक्ति भी सम्मिलित हैं —

(१) एक निष्पादक,

(२) इस अधिनियम के आधीन किसी आभार के सम्बन्ध में, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी मृतक व्यक्ति की सारी सम्पदा अथवा उस के किसी भाग का कब्जा लेता है या उस के सम्बन्ध में कुछ भी कार्यवाही करता है, और

(३) जहां पर मृतक व्यक्ति किसी हिन्दू परिवार का एक समांश भागी रहा हो, उस परिवार का तात्कालिक प्रबन्धक;"]

संशोधन स्वीकार कर लिया गया ।

श्री सी० डी० देशमुख : तृतीय संशोधन इस प्रकार है :

पृष्ठ २ पर

पंक्ति ४६ के पश्चात निम्नलिखित शब्द प्रविष्ट किये जायें :

"(16 A) 'Public charitable purposes' means relief of the poor, education, medical relief and advancement of any other object of general public utility, but does not include a purpose which relates exclusively to religious teaching or worship;"

"(१६ क) 'सार्वजनिक धर्मार्थ प्रयोजन' का अर्थ है गरीबों की सहायता, शिक्षा, डाक्टरी सहायता और किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता की वस्तु को प्रोत्साहित करना, किन्तु इस म ऐसा कोई प्रयोजन नहीं सम्मिलित है जो अनन्य रूप से धार्मिक उपदेश अथवा पूजा पाठ के सम्बन्ध में हो;"]

१९४६ के मूल विधेयक के खण्ड (८) के उपबन्ध में मृत्यु के पूर्व निश्चित अवधि के भीतर उपहार के सम्बन्ध में ये शब्द प्रयुक्त किये गये थे "सार्वजनिक अथवा धर्मार्थ कार्य ।" अतः हम ने सोचा कि इस के अर्थ की अस्पष्टता को दूर करने के लिये इस अभिव्यक्ति की परिभाषा ठीक है । मैं ने २० अगस्त १९५३ के भाषण में कहा था कि उक्त अभिप्राय की अभिव्यंजना ही हमारा उद्देश्य था ।

इस परिभाषा के दो व्यापक लक्षण हैं जिन की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । प्रथम, यह उस अभिप्राय का स्पष्टतः अपमार्जन कर देता है जो पूर्णतया धार्मिक प्रशिक्षण अथवा आराधना से सम्बन्धित है । दूसरे शब्दों में, सार्वजनिक धार्मिक कार्यों में मन्दिर, मस्जिद और गिर्जाघर सम्मिलित किये जायेंगे । यही स्थिति ब्रिटेन की विधि तथा हमारी आयकर विधि में है । दूसरी में, यद्यपि सार्वजनिक धार्मिक ट्रस्ट स्वयं कर से मुक्त हैं इन धार्मिक संस्थाओं को दिया गया दान कर से कदापि मुक्त नहीं है । दान की यह मुक्ति सार्वजनिक धार्मिक कार्यों पर ही व्यवहृत है ।

आयकर-अधिनियम में 'साधारण जन उपयोगिता' शब्द भी प्रयुक्त किये गये हैं और वृहद् संख्या में न्यायिक निर्णयों ने उस के क्षेत्र की उपयुक्त परिभाषा कर दी है । अतः 'जन उपयोगिता' में सार्वजनिक पार्क, अजायब घर अथवा धर्मशालाओं के निर्माण के लिये दिया गया अनुदान सम्मिलित है ।

'सार्वजनिक' शब्द की रचना भली करनी है और केवल यह तथ्य कि हिताधिकारियों की संख्या विचारणीय है किसी निजी

पृष्ठ २ पर

[श्री सी० डी० देशमुख]

हिताकर्ता को पूर्त उपहारों के वर्ग में नहीं कर सकता। यथार्थ मापदण्ड यह है कि दान किसी जाति के लिये है अथवा जाति के सराहनीय महत्वपूर्ण वर्ग के लिये है। उदाहरण के लिये उस तरह के उपहार के पात्र किसी विशिष्ट समूह के व्यक्ति अथवा नगर के निवासी हो सकते हैं किन्तु किसी अस्थायी निकाय के निजी व्यक्ति नहीं हो सकते। किसी क्लब के सदस्य के हित के लिये न्यास अथवा किसी समवाय या कारखाने के कर्मचारी सार्वजनिक पूर्त की परिभाषा को तृप्त नहीं कर सकेंगे क्योंकि यह केवल अस्थायी निकाय के निजी व्यक्तियों के लाभ के लिये ही है। संक्षेप में, मापदण्ड को संतुष्टि के लिये समस्त मानवजाति अथवा हमारे देश के अथवा किसी विशेष राज्य के समस्त निवासियों के हित का उद्देश्य आवश्यक नहीं है। किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों से भिन्न जनता के वृहद् भाग के हित की मंशा पर्याप्त है।

कुछ सदस्यों का आग्रह है कि 'सार्वजनिक पूर्व-काल' की नाईं 'सार्वजनिक कार्य' को भी रियायत मिलनी चाहिये। किंतु यह सराहनीय तथ्य है कि साधारण सार्वजनिक उपयोगिता के समस्त कार्य सम्मिलित कर लिये गये हैं। यदि विशुद्ध सार्वजनिक पूर्त को रियायत दी गई तो ब्रिटेन निर्णय के यह संकेत करते हैं कि राजनैतिक दलों की निधियों में दिये गये उपहार भी उस में सम्मिलित कर लिये जायेंगे। हमारा उद्देश्य इस के क्षेत्र को विस्तृत करना नहीं है अतः उक्त पूर्त-कार्य अपमार्जित कर दिये गये हैं।

अब मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य न तो किन्हीं पूर्त कार्यों पर प्रतिबन्ध लगाना है और न उन की धाराओं को अन्य दिशाओं में मोड़ देना ही है। जहां तक प्रस्तुत विधयक का सम्बन्ध है यदि कोई उपहार इस खंड में सम्मिलित हैं तो अपमार्जन की अनुविहित अवधि कम हो जाती है; दो वर्षों के स्थान पर छः महीने, और प्रस्तावित परिभाषा युक्ति संगत और उपयुक्त दोनों है। मैंने यह भी विचार कर लिया है कि आयकर अधिनियम की धारा १५ (ब) में प्रयुक्त परिभाषा का यहां अनुवाद सम्भव है अथवा नहीं परन्तु उक्त खण्ड का सम्पूर्ण प्रतिरूप भिन्न है। यह "समस्त पूर्त कार्यों" से प्रारम्भ होता है। उस के पश्चात यह किन्हीं संस्थाओं के उपहार का निर्देश करता है तदन्तर संस्थाओं के अपमार्जन का स्पष्टीकरण करता है। हम ने उस व्याख्या को प्रस्तुत विधेयक में जारी करने के कार्य को प्रबन्ध के बाहर अनुभव किया और यही कारण है कि हम ने इस वैकल्पिक को स्वीकार किया है।

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत किया गया :—

पृष्ठ २ पर

पंक्ति ४६ के पश्चात निम्नलिखित शब्द प्रविष्ट किये जायें :

"(16 A) 'public charitable purpcses' means relief of the poor, education, medical relief and advancement of any other object of general public utility, but does not include a purpose which relates exclusively to religious teaching or worship."

["(१६ अ) 'सार्वजनिक धर्मार्थ प्रयोजन' का अर्थ है गरीबों की सहायता, शिक्षा, डाक्टरी सहायता और किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता की वस्तु को प्रोत्साहित करना, किन्तु इस में ऐसा कोई प्रयोजन सम्मिलित नहीं जो अनन्य रूप से धार्मिक उपदेश अथवा पूजा पाठ के सम्बन्ध में हो।"]

श्री वी० पी० सिंह (मुंगेर सदर व जमूई) : मैं कहूंगा कि इस धारा में रिलिजस टीचिंग का अर्थ बहुत संकीर्ण दायरे में लिया गया है । इस के सम्बन्ध में मैं थोड़ा प्रकाश चाहता हूं ।

श्री तलकीकर : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं "श्री सी० डी० देशमुख द्वारा प्रस्तावित संशोधन में "अनन्य" के स्थान पर "अथवा प्रधानतः" निविष्ट कीजिये ।"

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत किया गया ।

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २ पर

पंक्ति ४६ के पश्चात् निम्नलिखित शब्द प्रविष्ट किये जायें :

"(16A) 'public charitable purpose includes relief of the poor, education, medical relief and the advancement of any other object of general public utility but does not include a purpose which relates exclusively to religious teaching or worship or a purpose which is communal unless the gift is for the benefit of the backward communities and scheduled castes and tribes."

"(१६क) 'सार्वजनिक धर्मार्थ प्रयोजन' का अर्थ है गरीबों की सहायता, शिक्षा, डाक्टरी सहायता और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता की वस्तु को प्रोत्साहित करना, किन्तु उस में ऐसा कोई प्रयोजन नहीं सम्मिलित है जो अनन्य रूप से धार्मिक उपदेश अथवा पूजा पाठ के सम्बन्ध में हो अथवा जो साम्प्रदायिक हो इस अपवाद को मान कर कि वह उपहार पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लाभार्थ हो ।"

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत किया गया।

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान मुझे श्री एस० एस० मोरे द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार्य है ।

श्री एन० पी० नथवानी (सोरठ) : श्रीमान् मेरा संशोधन श्री मोरे के संशोधन में आ गया है, परन्तु मैं इस पर बोलना चाहता हूं ।

इस संशोधन में यह मांग की गई है कि केवल धार्मिक शिक्षा देने वाले न्यासों को लोक पूर्तों की श्रेणी से निकाल दिया जाये । मैं इसे नहीं समझ सका । मैं यह तो समझ सकता था कि धार्मिक पूजा के लिए रचित न्यासों को अपवर्जित किया जाए क्योंकि आज के समाज के पास इतने अधिक मन्दिर और पूजा गृह हैं कि उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये । मुझे संदेह है कि यह परिभाषा पूर्त धर्मस्व अधिनियम से ली गई है जिस में प्रयोजन यह था कि ऐसे न्यासों के कार्य में बाधा न डाली जाए । यहां पर प्रयोजन भिन्न है । जहां तक मैं समझता हूं, जो न्यास धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं, वे यदि ठीक प्रकार से शिक्षा दें तो वे अवश्य मानवता का हित साधन करते ह । इसलिए इस संशोधन को पूर्णतः अस्वीकार कर देना चाहिये ।

दूसरे मुझे शंका है कि यदि "केवल" शब्द रखा गया तो इसका उल्लंघन किया जा सकता है ।

वित्त अधिनियम १९५३ के आधार पर श्री मोरे के संशोधन में वृद्धि करनी चाहिये । वहां उस अधिनियम में दिए गए अपवर्जन और इस अधिनियम में दिए गए अपवर्जन में भेद का कारण में नहीं समझ सका । आप

[श्री एन० पी० नथवानी]

कर और सम्पदा शुल्क दोनों कर निर्धारण के परिनियम हैं। धारा १५-ख में एक विशेष परिभाषा दी गई है कि अनुसूचित जातियों, पिछड़ी हुई जातियों, अनुसूचित आदिवासियों अथवा स्त्रियों और बच्चों के लिए दान और न्यास धार्मिक जाति के हित स्वरूप नहीं माने जाएंगे ।

संशोधित धारा १५-ख में यह उपबन्ध किया गया था कि यदि कुछ विशेष शर्तों को पूरा किया जाए तो कुछ दानों को आय कर से अपवर्जित किया जा सकता है। एक शर्त यह थी कि दान किसी धार्मिक सम्प्रदाय के लिए न हो। इस परिभाषा के अनुसार कुछ न्यासों का अपवर्जन किया जाता है ।

इसलिए समान रूपता के लिए भी तथा सिद्धांत और अनुकूलता के लिए हमें इस विधेयक में भी उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिये ।

अभिव्यक्ति "लोक पूर्त प्रयोजन" का अभिप्राय मैं नहीं समझ सका। विधि में "निजि पूर्त प्रयोजन" कोई नहीं होते इस लिए यहां पर 'लोक' शब्द निर्थरक है इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि यह अभिव्यक्ति आय कर अधिनियम में प्रयोग नहीं की गई। मेरी प्रार्थना है कि दोनों अधिनियमों में वही भाषा अपनाई जानी चाहिये ।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) : श्रीमान् मैं श्री मोरे के संशोधन में यह परिवर्तन चाहता हूं कि जहां उस में केवल धार्मिक पूर्तों का अपवर्जन किया गया है, वहां धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक हितों की प्रगति से जो कुछ भी संबंधित पूर्त हों उन का अपवर्जन किया जाए। इसका अभिप्राय यह है कि सब ऐसे पूर्तों का अपवर्जन किया जाए जिनका धर्म के साथ दूर का भी संबंध हो। आप जानते हैं कि कर से बचने वाले अकस्मात धार्मिक हो जाते हैं। वे पूर्तों की रचना कर लेते हैं। इस लिए इन का अपवर्जन आवश्यक है ।

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत किया गया कि :—

In Page 2

After line 46, insert—

"(16 A) 'Public Charitable purpose' includes medical relief to the indigent, education, or relief to the poor irrespective of communities or any other benefit for the public but does not include a purpose for the promotion of religious teaching or worship or anything for the advancement of religious or communal cause."

पृष्ठ २ में

पंक्ति ४६ के पश्चात्

["(१६ क) 'लोक पूर्त प्रयोजन' मे अपाहजों की चिकित्सा सहायता, किसी भी जाति के दरिद्र की सहायता अथवा शिक्षा अथवा कोई अन्य लोक हित का कार्य सम्मिलित है परन्तु धार्मिक शिक्षा अथवा पूजा की प्रगति का प्रयोजन अथवा किसी धार्मिक या साम्प्रदायिक कार्य की प्रगति से संबंधित कुछ सम्मिलित नहीं है।"] निविष्ट किया जाए ।

श्री सी० डी० पांडे : इस में बहुत कुछ अस्पष्ट है। भारत में और विशेषत: हिंदुओं में संस्कृति और धर्म इस प्रकार मिले हुए हैं कि उन के बीच भेद करना तथा धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा में अन्तर दिखाना अत्यन्त कठिन है। गीत प्रचार के न्यास को

आप किस श्रेणी में रखेंगे । वह तो केवल ज्ञान और दर्शण का विषय है । इसी प्रकार क्या वेदान्त समाज के लिए अंशदान को धार्मिक पूर्त समझा जायगा । संस्कृत पाठशाला को आप क्या समझेंगे, यह धार्मिक भी हो सकता है और संस्कृत का विशद्ध ज्ञान भी । इस प्रकार संस्कृति और धर्म में इतना घनिष्ट संबंध है कि पूर्तों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये।

श्री गाडगिल : जब सरकार ने श्री मोरे के संशोधन को स्वीकार कर लिया है तो मैं श्री तेलकीकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन के संबंध में भी कहना चाहता हूं । 'मुख्यतया' शब्द को छोड़कर 'केवल' शब्द से लाभ उठाया जा सकता है। इसलिये दोनों शब्दों की आवश्यकता है ।

श्री सी० डी० देशमुख : हम इसे स्वीकार करते हैं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : क्या वित्त मंत्री श्री मोरे के संशोधन को स्वीकार करते हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : हां, हम उस के प्रारूप में कुछ परिवर्तन के साथ स्वीकार करते हैं। "प्रयोजन जो कि साम्प्रदायिक है जब तक कि वह दान.....के हित के लिए न हो....." । शब्दों के स्थान पर "प्रयोजन जो साम्प्रदायिक हो जब तक कि वह प्रयोजन .....के हित के लिए न हो ....." रखे जाएंगे ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं कहना चाहता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार नहीं करना चाहिये । माननीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि उन के संशोधन का आधार भारतीय आय कर अधिनियम तथा पूर्त धर्मस्व अधिनियम के आधार पर है । भारत आयकर अधिनियम के अधीन दिए गए निर्णय कुछ इस प्रकार हैं । ट्रिब्यून के मामले में प्राईवी कौंसल के निर्णय और श्रीमती चारुशीला के निर्णय म यही बताया गया था कि यदि आप सब हिंदू सदस्यों के लिए कोई दान देते हैं तो वह सार्वजनिक पूर्त न्यास होगा । श्री मोरे के संशोधन को स्वीकार करके हम इस प्रकार के कार्य का भी निषेध कर देंगे । जहां सार्वजनिक हित को सम्मिलित किया गया है वहां इस संशोधन द्वारा केवल धार्मिक अथवा मुख्यतया धार्मिक प्रयोजनों का अपवर्जन किया गया है । अनुमान कीजिये कि किसी क्षेत्र में अधिकतया मुस्लिम रहते हों और कोई मुसलमान उन्हें कुछ देना चाहता हो तो क्या होगा ? भारतीय आय कर अधिनियम के अधीन प्राईवी कौंसल और उच्च न्यायालयों ने इन्हें सार्वजनिक पूर्त न्यास ही स्वीकार किया है ।

श्री सी० डी० देशमुख : किस प्रयोजन के लिए ? १५-ख के प्रयोजन के लिये नहीं । यह आय को कर से बचाने के प्रयोजन के लिए नहीं । मैं १५-ख की ओर निर्देश कर रहा हूं जिस का संशोधन हाल में किया गया है । वह एक न्यास के दानों का अपवर्जन करना है और उसका निर्देश धार्मिक समाज की ओर है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : उन्होंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह उस आश्वासन के अनुसार है जो उन्होंने दिया था । परन्तु श्री मोरे के संशोधन को स्वीकार करने पर तो एक हिंदू हिंदू विधवाओं को कोई भवन दान भी नहीं कर सकेगा । आप को यह लाभ उससे नहीं छीनना चाहिये , जब कि इस संशोधन का उद्देश्य लाभ पहुंचाना है । रक्षित किए जाने वाले दानों का निर्णय न्याय संबंधी निर्णयों में हो चुका है । उस में अनुसूचित जातिओं और पिछड़ी जातियों के लिए लाभ की वृद्धि ठीक है परन्तु ऐसा निषेधन हीं होना चाहिये ।

श्री टेकचन्द : श्री मोरे के संशोधन की कुछ बातें श्लाघनीय हैं। परन्तु ५ वीं पंक्ति में जहां धार्मिक शिक्षा और धार्मिक पूजा का अपवर्जन किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि धार्मिक पूजा के संबंध में यह ठीक है परन्तु धार्मिक शिक्षा में प्रायः विश्व-व्यापी सत्य हुआ करते हैं। इसलिए यदि कोई पूर्त अथवा धर्मस्व हो तो उसको विमुक्त करना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि इस संशोधन में दिए गए शब्द हैं "अथवा ऐसे प्रयोजन के लिए जो साम्प्रदायिक हो।" इस देश में 'साम्प्रदायिक' शब्द रूढ़ि द्वारा स्थिर हुए हैं। परन्तु सब अंग्रेज़ी जानने वाले व्यक्ति "साम्प्रदायिक" के यह अर्थ नहीं लेते। इस लिए जब कि साम्प्रदायिक शब्द की परिभाषा नहीं हो सकती इस से गड़बड़ होने का भय है। स्पष्टी-करण के लिए साम्प्रदायिक (Communal) शब्द के सथान पर (Denomination) 'साम्प्रदायिक' शब्द होना चाहिये।

एक और सुझाव प्रारूप के संबंध में है। "जब तक मेरे पिछड़ी जातियों, तथा अनुसूचित जातियों तथा आदिवासियों के हित के लिए न हो" शब्दों से दो बार 'और' आने के कारण बहुत उलझन और कठिनाई का भय है। इस से विमुक्ति प्राप्त करने के लिये तीनों बातें हो जानी आवश्यक हो जाती हैं। इस में पहले 'और' का लोप करके दूसरे 'और' के स्थान पर "अथवा" शब्द जोड़ा जाना चाहिये।

श्री धुलेकर (झांसी ज़िला—दक्षिण) : मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री के संशोधन में यह शब्द "इस में ऐसा प्रयोजन सम्मिलित नहीं है जो केवल धार्मिक पूजा अथवा शिक्षा से संबंधित हो" आवश्यक नहीं हैं। इस उपबन्ध का प्रयोजन इसे असाम्प्रदायिक बनाना है और यह उद्देश्य इन शब्दों द्वारा नष्ट प्रायः हो जाता है। इन द्वारा विधेयक साम्प्रदायिक बन जाता है। यदि आप यहीं समाप्त कर दें कि "सार्वजनिक पूर्त प्रयोजनों से अभिप्राय है दरिद्र की सहायता, तथा सामान्य सार्वजनिक उपयोग के अन्य उद्देश्य से शिक्षा, चिकित्सा, सहायता, तथा प्रगति," तो पर्याप्त है। इस में सार्वजनिक की परिभाषा आ जाती है। "धार्मिक शिक्षा अथवा पूजा शब्दों को लाकर आप धार्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इस का अभिप्राय यह है कि आप हिंदुओं मुसलमानों अथवा अन्य लोगों की निन्दा करते हैं यदि मैं अयोध्या में रघुनाथ मंदिर को दान देना चाहूं तो आप उसे साम्प्रदायिक कहेंगे परन्तु आप द्वारा यहां पूजा शब्द रखने पर मैं आपको साम्प्रदायिक कहता हूं। आपका अधिनियम जो धर्म पर आक्षेप करता है साम्प्रदायिक है।

मैं यह पूर्ण आग्रह से कहता हूं कि जब आप यह प्रमाणित करते हैं कि आप असाम्प्रदायिक हैं तो उस समय आप साम्प्रदायिक बन जाते हैं।

साम्प्रदायिक (Communal) के जो अर्थ किए गए हैं वे शब्द कोष में अर्थ नहीं हैं। ..... आप भारत में साम्प्र-दायिकता की व्याख्या कैसे करेंगे ? इसी लिए मैं कहता हूं कि यदि "साम्प्रदायिक" शब्द स्वीकार कर लिया गया तो यह भारत के लोगों के साथ बहुत अन्याय होगा। वेद पढ़ाने के लिए यदि कोई स्कूल हो, तो आप उसे साम्प्र-दायिक कहेंगे। आप उन लोगों को भी साम्प्रदायिक कहते हैं, जो कुरान या गुरु ग्रंथ साहब पढ़ाते हैं। यदि मैं अपने आप को ब्राह्मण कहता हूं तो भी मुझे साम्प्रदायिक कहा जाता है मैं यह पूछता हूं कि आप हर समय साम्प्रदायिकता के बारे में क्यों बातें करते हैं। आप मन्दिर, गुरुद्वारा और मस्जिद को साम्प्रदायिक चीज़े कहते हैं। यह कितनी विचित्र बात है। यह भावना कि पवित्रता के ये सब चिन्ह हैं, साम्प्रदायिक हैं, आप के मन

में अंग्रेजों ने पैदा की थी । मैं कहता हूं कि धर्म की शिक्षा देना साम्प्रदायिकता नहीं है । यदि यह सिद्ध कर दिया जाये कि कोई चीज़ सार्वजनिक पूर्त नहीं है, तो इसे अस्वीकार कर दिया जायगा । किंतु कोई व्यक्ति एक स्कूल या मन्दिर के लिए अवश्य दान दे सकता है । क्या आप का यह विचार है कि चूंकि आप ने यह उपबन्ध रखा है, इस लिए लोग मन्दिर बनाना छोड़ देंगे ? क्या आप इन मन्दिरों को हटाना चाहते हैं ? आप को अधिनियमों में ऐसी चीजे नहीं सम्मिलित करनी चाहिए, जो कि हमारी संस्कृति की जड़ काटती हों । भारत में संस्कृति और धर्म को अलग नहीं किया जा सकता । इसी लिए मैं श्री मोरे से निवेदन करूंगा कि वे अपना संशोधन वापस ले लें । मैं श्री देशमुख से कहूंगा कि उनके संशोधन के अन्तिम शब्द "सामान्य रूप से लोकोपयोगी" होने चाहियें ?

श्री बन्सल (झज्जर-रिवाड़ी) : मेरा निवेदन है कि माननीय वित्त मंत्री के संशोधन को संशोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं । श्री मोरे का संशोधन स्वीकार करने से कई एक कठिनाईयां पैदा हो जायेंगी । उन में से एक यह है कि "पिछड़े हुए समुदाय" इन शब्दों की कहीं व्याख्या नहीं की गई । मेरे विचार में इसकी व्याख्या न तो संविधान में, न इस विधेयक में और न हमारे किसी अधिनियम में की गई है ।

श्री सी० डी० देशमुख : "समुदाय" के स्थान पर "वर्ग" होना चाहिए ।

श्री बन्सल : ऐसा करने से भी मैं संतुष्ट नहीं हो सकूंगा । मैं एक उदाहरण देना चाहूगा । उत्तर प्रदेश और पंजाब में अहीर और जाटों को पिछड़े हुए वर्ग समझा जाता है, यद्यपि वे सब से अधिक अमीर खुद-काश्त ज़मीनदार होते हैं । मैं यह नहीं कहता कि वे पिछड़े हुए हैं या नहीं पिछड़ हुए हैं किंतु यह आवश्यक है कि यदि "पिछड़े हुए समुदाय और वर्ग" इन शब्दों को यहां रखा जाना है, तो इन की व्याख्या करनी चाहिए । अतः मैं समझता हूं कि यदि यह खंड माननीय वित्त मंत्री के संशोधन के अनुकूल रहे, तो इस से प्रयोजन सिद्ध हो जायगा ।

यह बात भी सब लोग मानते हैं कि अनुसूचित आदिम-जातियों और अनुसूचित वर्गों के हित के लिए जो कुछ किया जायेगा, वह सार्वजनिक पूर्त के लिए होगा । इसलिए मेरे विचार में श्री मोरे का संशोधन स्वीकार करना आवश्यक नहीं है । आखिर हम "साम्प्रदायिक" शब्द पर क्यों ज़ोर दें । मैं माननीय मंत्री को कहूंगा कि वे श्री मोरे का संशोधन स्वीकार न करें, बल्कि अपने संशोधन पर आग्रह करें ।

श्री वी० पी० सिन्हा : मेरा ख्याल है कि अर्थ मंत्री ने रिलीजन शब्द का बहुत संकीर्ण अर्थ लिया है । रिलीज़न का वह अर्थ है जो हमारा आध्यत्मिक उत्थान करे । मैं समझता हूं कि मोरे साहब का जो संशोधन अर्थ मंत्री ने क़बूल किया है वह ग़लत है और उनका जो संशोधन है उस की प्रथम दो लाइन ही यथार्थ हैं । उन से वह माने निकल आते हैं । हम जिन कम्यूनल शब्दों से भागना चाहते हैं, मोरे साहब के संशोधन मान कर हम उन ही क़बूल करते हैं ।

धुलेकर साहब के सुझावों से मैं पूरी तरह सहमत हूं । और मैं अर्थ मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह अपने संशोधन की प्रथम दो लाइनों को ले लें और दूसरी दो लाइनों को निकाल दें, क्योंकि इससे सारा मतलब निकल आता है । धर्म से हमें घबराना नहीं चाहिय । उस के संकीर्ण अर्थ लगाने से ही हम कठिनाई में पड़ जाते हैं । हमें धर्म का वही अर्थ लेना चाहिय जिस से हमारा आध्यात्मिक उत्थान

[श्री वी० पी० सिंह]

जिस मार्ग पर चल कर हम सत्य मार्ग पर अग्रसर हो सकें वही धर्म का अर्थ होना चाहिये। जो धर्म हमें संकीर्ण बनाता है वह हमें नीचे गिराता है।

मोरे साहब का जो संशोधन है उस से यह होगा कि हम जिस कम्यूनल शब्द से भागना चाहते हैं उसी में हम पड़े रहते हैं और संकीर्ण विचारों वाले बने रहते हैं। इसलिये मैं कहूंगा कि अगर हमें लोगों की सेवा करनी है, अगर हमें मानवता की सेवा करनी है तो हमें अर्थ मंत्री के संशोधन की प्रथम दो लाइनों को स्वीकार करना चाहिये और मोरे साहब का जो संशोधन है उस को न मानना चाहिये क्योंकि वह कम्यूनल भावना पैदा करता है। मूल संशोधन की पहली दो लाइनों को ही रखना चाहिये।

१ म० प०

पंडित सी० एन० मालवीय (रायसेन) : इस संशोधन के संबंध में धुलेकर साहब ने और बनारसी दास जी ने जो कुछ कहा है उस से मेरा ऐसा ख्याल है कि बड़ी ग़लतफ़हमी पैदा हो गई है। मैं उन की इस विचार धारा से सहमत नहीं हूं कि गवर्नमेंट ने या मोरे साहब ने जो चीज़ रक्खी है उस में खुद उन्होंने किसी कम्यूनल भावना का प्रदर्शन किया है। जो संशोधन रक्खा गया है उस को मानने के साथ 'एक्स्क्लूसिवली', लफ़्ज को हटा कर 'प्रिडामिनेनटली' का जो शब्द रक्खा गया है वह इसलिये रक्खा गया है कि जायदाद वाले जिस तरह से टैक्स को धर्म की आड़ लेकर हटाना चाहते हैं वह उस को न हटा सक। धर्म की भावना का जो नाम लेते हैं उस धर्म के अर्थ से हम नफरत करते हैं। आज कौन सा धर्म हम और आप यहां पर देख रहे हैं जिस के नाम पर आज बहस की जाती है और बहुत से और काम किये जाते हैं। धर्म की उच्च भावना का मतलब तो यह है कि सब कुछ त्याग दिया जाय। लेकिन यहां सब कुछ त्यागने को नहीं कहा जा रहा है। जो कुछ आप के पास है उस में से कुछ फ़ी सदी गवर्नमेंट टैक्स के रूप में लेना चाहती है। इस से आपका दिल क्यों दुखता है? धर्म का मतलब तो यह है कि सब कुछ त्याग दिया जाय और जनता जनार्दन की सेवा म लगा दिया जाय। इस जायदाद का धर्म से कोई ताल्लुक मेरी समझ में नहीं आता।

दूसरी बात यह है कि धर्म के नाम पर जो ट्रस्ट किये जाते हैं इस किस्म का जो रुपया ट्रस्ट या दान किया जाता है उसका धर्म के नाम पर दुरुपयोग किया जाता है। मैं तो कहता हूं कि जो इस किस्म के आदमी हैं जो दूकानों के अन्दर बैठ कर हर कौम से, हर मज़हब के आदमी से, तिजारत करके रुपया कमाते हैं उन को क्या हक है कि वह एक धर्मशाला ऐसी बना दें जिस में एक ही जाति वाले रह सकें, दूसरी जाति वाले उस में न घुस सकें, एक ऐसा स्कूल बना दें जिस में एक ही कौम के लोग पढ़ सकें और बाकी दूसरी कौमों के लोग न पढ़ सकें। मैं इन तमाम चीज़ों को यहां दोहराना नहीं चाहता। मैं आप को बता सकता हूं कि आज देश के अन्दर ऐसी संस्थायें बढ़ रही हैं जिस में एक ही कौम के लोग पढ़ सकते हैं दूसरी कौम के आदमी नहीं पढ़ सकते हैं, हालांकि उन में सारे देश का रुपया लगा हुआ है। आखिर, धर्म का मतलब क्या है? अगर आप धर्म की टीचिंग देना चाहते हैं, अगर आप धर्म की उच्च भावना को रखना चाहते हैं तो सरकार उस की आड़ में नहीं आती, हम और आप उस की आड़ में नहीं आते। सेकुलर नाम तो उस की आड़ में नहीं आता। सेकुलर का मतलब तो यह है कि आप जिस धर्म को चाहिये मानिये; हम नहीं कहते कि आप किसी खास धर्म को मानिये। रामानुजाचार्य को मानने

वालों को क्या हक है कि वह दूसरों से कहें कि आप हमारे साम्प्रदाय को ही मानें और शैव कहें कि शिव को ही मानिये या वैष्णव कहें कि आप विष्णु को ही मानिये। धर्म तो आजाद है। इस धर्म की आजादी पर गवर्नमेन्ट विश्वास रखती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस किस्म की इजाज़त होनी चाहिये कि किसी चीज़ के नाम से लोग टैक्स ऐवायड करें ? सिर्फ कुछ फी सदी की रकम तो आप से मांगी जाती है और उस के लिये धर्म यहां पर आ जाते हैं। सिर्फ उस को बचाने के लिये सारी चीज़ कम्यूनल बन जाती है। आगरे में, जिस शहर में मैं रहता हूं वहां पर इस किस्म की पाठशालायें हैं जिस में यह है कि सर्फ फलां जाति या फलां धर्म के लोग ही पढ़ेंगे, दूसरे धर्म के लोग नहीं पढ़ेंगे, जब कि उन्हों ने देश के रुपयों से उन को बनाया है। इसलिये मैं कहता हूं कि धुलेकर साहब का या बनारसी दास जी का यह कहना कि यदि किसी दल का व्यक्ति, या सरकार या हम में से कोई ऐसा संशोधन रखता है और इस चीज़ का विरोध करता है तो वह धर्म के नाम पर करता है या साम्प्रदायिकता के नाम पर करता है, यह ठीक नहीं है। उस का मतलब सिर्फ यह है कि आप अपने अपने धर्म में खुश रहें। अगर आप धर्म की उच्च भावना रखना चाहते हैं तो आप अपनी जायदाद को जाने दीजिये, उस को जनता जनार्दन को अर्पण कर दीजिये, कोई उस में रुकावट नहीं है। लेकिन इस फैसले का जो कि जनता के हित में होने वाला है आप विरोध क्यों करते हैं। गवर्नमेन्ट का कोई आदमी इस रुपये को अपनी जेब में रखने वाला नहीं है।

इस लिये जो ऐमेन्डमेन्ट मैं ने दिया था उसका मतलब भी वही था जो कि मोरे साहब के ऐमेन्डमेन्ट का था। वही उस का भी मफहूम था और मैं उन के संशोधन का समर्थन करता हूं। मेरा खयाल है कि कम्युनल का मतलब तो आप सब लोग जानते हैं जैसे गर कोई मारवाड़ी है अगर यहां कोई मारवाड़ी साहब हों तो मुझे माफ करेंगे, मेरा मतलब मारवाड़ी से नहीं बल्कि पूरी मानव जाति से है। मैं एक तिजारत करना चाहता हूं या जमीन से कुछ रुपया कमाता हूं और उस को इस तरह से खर्च करना चाहता हूं कि एक स्कूल खोल कर यह कह दूं कि इस में सिर्फ मालवीय का ही बच्चा पढ़ेगा या इस में किसी जाति विशेष का ही बच्चा पढ़ेगा। तो यह ठीक नहीं है। एक कम्यूनिटी के लिये ही कहने का मतलब यह होता है कि जो रुपया आप पब्लिक से लेते हैं उस को एक जाति के लिये सीमित कर देते हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आप रिलीजस टीचिंग के लिये पैसा खर्च करना चाहते हैं, करिये आप को कोई नहीं रोकता, आप को इस का हक है, लेकिन उस का थोड़ा सा हिस्सा सरकार के पास जायेगा। आप की सारी जायदाद आप से नहीं ली जा रही है, सिर्फ थोड़ा सा हिसा सरकार ले रही है, बाकी आप खर्च कीजिये। इस लिये मैं इस संशोधन का पूरी तौर से समर्थन करता हूं और अपील करता हूं हाउस से तमाम मेम्बरों से कि इस को स्वीकार करें।

जब कभी इस किस्म का सुधार लाया जाता है तो समाजों तथा व्यक्तियों की यह प्रवृत्ति होती है कि वह धर्म का नाम ले कर उस का विरोध करते हैं। इस तरह से धर्म का दुरुपयोग किया जाता है। ऐसे स्थान पर धर्म को नहीं लाना चाहिये। इस सवाल को भूल कर हमें इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये। मैं तो कहता हूं कि यह धर्म का उपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग है। इस में किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचती, किसी के मजहब का इस से हरण नहीं होता बल्कि सारे देश को, जिस देश को हम अच्छा रखना चाहते हैं, प्रगति की तरफ ले जाता है। यह आप की सभ्यता, आप के कल्चर, आप की संस्कृति को

[श्री सी० एन० मालवीय]

नष्ट नहीं किया जा रहा है, बल्कि उस को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो सारी खराबी फोड़े की तरह से देश के अन्दर अन्दर बढ़ रही थी उस को हटाने की कोशिश की जा रही है न कि देश को बरबाद करने की कोशिश की जा रही है। हमें इस कोशिश की तारीफ करनी चाहिये और धर्म के नाम पर उस में रोड़ा नहीं अटकाना चाहिये।

इस लिये मैं पूरी तौर से इस का समर्थन करता हूं और समझता हूं कि यह हाउस यकीनन इस को मंजूर करेगा।

श्री महीउद्दीन और श्री आर० के० चौधरी उठे—

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, यदि मैं एक वक्तव्य दे दूं, तो इस से चर्चा में सुविधा होगी। मैं इन कठिनाइयों का एक युक्ति-युक्त हल ढूंढने की चेष्टा करता रहा हूं। मैं ने देखा है कि सदन ने धार्मिक सम्प्रदाय, स्त्रियों और बच्चों, पिछड़े हुए वर्गों आदि के सम्बन्ध में सविस्तार बहस की है। मेरे विचार में, आय-कर अधिनियम की धारा १५ ख में जो उपबन्ध है, वह हमें यहां भी रखना चाहिये। अतः, आप की आज्ञा से मैं यह संशोधित संशोधन, जिस में श्री मोरे के संशोधन का कुछ अंश भी सम्मिलित है, सदन के समक्ष रखना चाहूंगा.....

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

श्री सी० डी० देशमुख : ....और यह इस प्रकार होगा :

" 'सार्वजनिक पूर्त निमित्त' में निर्धनों की सहायता, शिक्षा, डाक्टरी सहायता और सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति के लिए दी गई सहायता सम्मिलित है किन्तु इस में ऐसा कोई उद्देश्य सम्मिलित नहीं जो कि किसी विशेष धार्मिक समुदाय के हित के लिए किया गया हो"... और अब मैं धारा १५ ख के शब्दों को दुहराता हूं : ".....जब तक कि यह अनुसूचित जातियों, पिछड़े हुए वर्गों, अनुसूचित आदिम-जातियों अथवा स्त्रियों और बच्चों के लिए न हो"।

इस का परिणाम यह होगा कि वेदांत या कुरानी प्रणालियों के सम्बन्ध में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, मैं हिन्दू होते हुए भी कुरानी स्कूल में जा सकता हूं और कोई मुस्लिम, यदि वह चाहे तो वेदांत के स्कूल में जा सकता है। स्पष्ट है कि इस का उद्देश्य शिक्षा ही होगा और वेदांत स्कूल किसी विशिष्टि धार्मिक समुदाय के हित के लिए नहीं होगा। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि उस चीज़ का अपवर्जन किया गया है, जिस से किसी धार्मिक समुदाय को लाभ पहुंचता हो।

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान्, क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं ?

श्री टी० एन० सिंह : (ज़िला बनारस—पूर्व) : संशोधन परिचारित किया जाये।

सभापति महोदय : यदि यह संशोधन परिचारित किया जाये, तो बेहतर होगा।

श्री सी० डी० देशमुख : जी हां।

श्री एन० सी० चटर्जी : अब बैठक स्थगित होनी चाहिये।

सभापति महोदय : इसे परिचारित किया जायेगा।

इस के पश्चात् सदन की बैठक शुक्रवार, २८ अगस्त, १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।